लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
6-7-92
Parliament Library

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची/CONTENTS

ग्रंक 56 शुक्रवार, 4 ग्रगस्त, 1967/ 13 श्रावण, 1889 (शक)

No 56 Friday, August 4, 1967/Sravana,13 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1587	कपड़े की नियंत्रित किस्म के मुल्यों में वृद्धि	Increase in the Price of Controlled varieties of Cloth	787-791
1588	रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करना	Fixation of Fair Price of Rubber	791-792
1589	उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई	Supply of Power for Industries	792-796
1591	साहिबगंज और मनिहारी-घाट के बीच माल लाया लेजाया जाना	Movement of goods between Sahibganj and Manihari Ghat ... —	796-797
1592	पाकिस्तान द्वारा रोके गये माल का लौटाया जाना	Release of Cargo by Pakistan	797-800
1593	द्वितीय श्रेणी के शयन डिब्बे चलाना	Introduction of Second class Sleeper Coaches	800-802

नियम संख्या 40 के ग्रन्तर्गत / Under Rule No. 40

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन	Proceedings of the Estimate committee report	802-803

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

तारांकित प्रश्न संख्या / S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1590	बिका टिकट यात्रा करने वाले लोगों की जांच	Check on Ticketless Travel	804

---

* किसी नाम पर ग्रंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.

ता.प्र.संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1595	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of N. C. D. C.	804
1596	विदेशी कम्पनियों में उच्च कार्यकारी पदों पर भारतीय	Indian Top Executive in Foreign owned Companies ...	804–805
1597	पटेंटों (एकस्वों) सबंधी वर्तमान प्रणाली	Present system of Patents	805
1598	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार	Trade with UAR	806
1599	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore to Japan	806
1600	लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेता	Licensed porters and vendors ...	807
1601	रेशम तथा रेयन कपड़े का निर्यात	Export of Silk and Rayon Textiles	807–808
1602	रेयन के कपड़े का निर्यात	Export of Rayon Cloth	808
1603	इन्जीनियरिंग उद्योग में मंदी	Recossion in Engineering Industry ...	808
1604	कच्चे पटसन का राजकीय व्यापार	State Trading in Raw Jute	809
1605	पूंजीगत माल का आयात	Import of Capital Goods	809
1606	राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of S.T.C.	810
1607	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में श्रम स्थिति	Labour situation in N. C. D. C.	810
1608	रूई के मूल्य पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Price of Cotton	810–811
1609	नकली रेशम बुनने के उद्योग में संकट	Crisis in Art Silk Weaving Industry ...	811–812
1610	इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industry	812–813

प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी) /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1611	डोइवाला स्टेशन के निकट मालगाडी दुर्घटना	Goods Train Accident near Doiwala Station	813-814
1612	केरल में इल्मेनाइट सेन्ड संबंधी बिड़ला परियोजना	Birla Project on Ilmenite Sands in Kerala ...	814
1613	सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों की मजूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करना	Linking of Wages to Production in Public Undertakings	814-815
1614	रेलवे में खोमचे और खानपान की वस्तुओं की दरों में वृद्धि	Increase in Rates of Vending and Catering on Railway	815
1615	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal ... –	815-816
1616	इस्पात के निर्यात में राजसहायता	Subsidies in Export of Steel ...	816

अता. प्र. सं./U. S.Q. Nos.

7912	संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए निगम	Corporation for Sick Textile Mills	816
7913	गुजरात में लघु-उद्योग	Small Scale Industries in Gujarat	816-818
7914	गुजरात में उद्योग	Indudstries in Gujarat ...	818
7915	राजकीय व्यापार निगम द्वारा कपडे का निर्यात	Export of Cloth by S. T. C. – ...	818-819
7916	जमालपुर वर्कशाप में रोजगार की स्थिति	Empolyment in Jamalpur Workshop ...	819
7917	रूई पर से नियंत्रण हटाया जाना	Decontrol of Cotton ... –	819-820
7918	भारतीय इस्पात सेवा बनाना	Constitution of Indian Steel Service... ...	820
7919	ताड़ गुड़ तथा शक्कर	Palm Gur and Shakkar – ...	820-821
7920	राजकीय व्यापार निगम	State Trading Corporation	821-823
7921	पत्तियों (बिलेटों) का निर्माण	Production of Billets	823-824
7922	भिलाई में रेल की पटरियों का निर्माण	Production of Rails at Bhilai	824-835

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता.प्र.संख्या/ U.S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Peges
7923	रूई पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cotton ..	825
7924	महाराष्ट्र में उद्योग	Industries in Maharashtra	825
7925	निर्यात सम्बर्धन योजनाऐं	Export Incentive Schemes ..	826–827
7926	उद्योगों के लिये लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त करना	Delicensing of Industries ...	827–828
7927	जापान को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan ...	828
7928	पश्चिम रेलवे में डीजल इंजनों से चलाई जाने वाली रेलगाड़ियां	Trains running with Diesel Locomotives on Western Railway	829
7929	रेल के पे-क्लर्कों के निरीक्षक	Inspectors of Pay-Clerks on the Railways	829–830
7930	भारतीय रेलवे 'पे क्लर्क'	Pay Clerks on Indian Railways	830
7931	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi ...	830–831
7932	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi	831–832
7933	गंगापुर सिटी और कोटा के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Railway employees at Gangapur city and Kota	832
7934	विदेशों में चाय केन्द्र	Tea Centres Abroad ..	832–833
7935	बिड़ला के बहुत से समवायों का लाइसेन्स रद्द किया जाना	Cancellation of licences of various Birla concerns	833–834
7936	विदेशों में भारतीय वस्तुओं की मांग	Demand of Indian Goods in Foreign countries –	834–835
7937	फतेहपुर से चुरु तक रेल का किराया	Railway Fare from Fatehpur to Churu	835
7938	मोतीहारी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक	Level Crossing near Motihari Railway Station	835–836

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7939	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement	836-837
7940	कपडे का उत्पादन	Production of Cloth	837-838
7941	इस्पात का आयात	Import of Steel	838
7942	गोरखपुर कारखाने के निकट रेलवे लाइन पर हथगोलों (हैंडगर्नेड) का पाया जाना	Recovery of Hand Grenades on Railway Track near Gorakhpur Factory	838-839
7943	बिहार में रेलवे लाइन के निकट बमों का पाया जाना	Recovery of Bombs near Railway Track in Bihar	839
7944	खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखाने	Food-Stuff Factories ..	839
7945	पटना स्टेशन पर तांबे का पकड़ा जाना	Seizure of Cooper at Patna Station ...	839-840
7946	भवन निर्माण के लिए इस्तपात का सम्भरण	Supply of Steel for Construction of Houses	840
7947	समवाय अधिनियम 1956 में संशोधन	Amendment to Companies Act, 1956 ...	840
7948	बिहार सहायता कोष के लिये पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित उत्सव	Fete Organised by Western Railway for Bihar Relief Fund	840-841
7949	बांसपानी रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर लोडिंग प्लाट (लदान करने का स्थान)	Loading plots on Banaspani Railway Station (S. E. Rly.)	841
7950	खुर्दा रोड़ जंकशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर पूछताछ कार्यालय	Enquiry office at Khurda Road Junction (S. E. Rly.) ...	841
7951	आन्ध्र प्रदेश का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण	Mineral Survey of Andhra	841-842

7952	प्रौद्योगिक सम्पदाओं को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Industrial Estates	842-843
7953	यातायात का रेलवे से सड़क परिवहन की ओर व्यववर्तता	Diversion of Traffic from Railways to Road Transport	843
7954	बम्बई और कलकत्ता के लिये रूई बुक करने के लिये रियायत	Concession for Booking of Cotton to Bombay and Calcutta	843
7955	उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in U. P.	844
7956	मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज	M/s Republic Forge	844
7957	नॉलर रेलवे की पार्सल गाड़ी के तीसरे दर्जे के डिब्बे में झगड़ा	Clash in Third Class Compartment of Parcel Train on N. E. Rly.	845
7958	इंडिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, सेरामपुर	India Belting & Cotton M lls, Serampur ...	845
7959	बाराबांकी स्टेशन पर मार्शलिंग यार्ड	Marshalling Yard at Barabanki Station ...	845
7960	बढ़िया किस्म के कपड़े निर्यात	Export of Superior quality of cloth ...	846
7961	निर्यात शुल्क में कमी	Reduction in Export duties	846–847
7962	मध्य प्रदेश में कपड़ा बनाने की मिलें	Cloth Mills in Madhya Pradesh	847–848
7963	मध्य प्रदेश में बुनकरों की सहकारी समितियां	Weavers' Cooperative Societies in Madhya Pradesh	848
7964	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Madhya Pradesh ...	848
7965	हथकरघा बुनकर	Handloom Weavers	849
7966	रेलवे यात्रियों की संख्या में बृद्धि	Increase in Number of Railway Passengers	849–850

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7967	चलती गाड़ियों में अपराध	Crimes in Running Trains	850
7968	उत्तर प्रदेश में नये उद्योग	New Industries in U. P.	851
7969	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कलमासेरी (केरल) स्थित कारखाना	H. M. T. Unit of Kalamassery, Kerala ..	851–852
7970	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में हड़ताल	N. C. D. C. Strike ...	852
7971	निर्यात	Exports	852-853
7972	चाय का निर्यात	Export of Tea	853–854
7973	मथुरा स्टेशन पर कुछ टिकट कलक्टरों की मार पीट	Assault on Ticket Collectors at Mathura Station	854
7974	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में लगी पूंजी	Capital Employed in the Hindustan Steel, Ltd.	855
7975	रेलवे टिकटों के पीछे का स्थान	Reverse side of Railway Tickets	855
7976	कुलियों से रजिस्ट्रेशन फीस का लिया जाना	Charging of Registration fees from Railway Porters	855–856
7977	रेलवे पर ब्लाक और सिगनल इंसपैक्टर	Block and Signal Inspectors on the Railways	856–857
7978	पूर्वी बर्लिन में भारतीय व्यापार संगठन का कार्यालय	Office of the Indian Trade Organisation in East Berlin	857
7979	वाडला रेलवे स्टेशन के निकट मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train near Wadala Station	857–858
7980	पटसन व्यापार में सट्टेबाजी	Speculation in Jute Trade	858
7981	अखिल भारतीय कतर्क (स्पिनर्स) संस्था, गाँधी आश्रम	All India Spinners' Association, Gandhi Ashram ...	858

7982	हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचने वाले कर्मचारियों की कमी	Inadequate staff for selling tickets at Hardwar Railway Station ...	859
7983	विदेशों को भेजे गए भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Indian Trade Missions sent Abroad... ...	859
7984	खंडवा से अजमेर तक रेल गाडियों का धीमो गति से चलना	Slow Running of Trains from Khandwa to Ajmer	860
7985	खिड़किया स्टेशन (मध्य रेलवे) पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of over bridge at Khirkiya Station (C/Rly.)	860
7986	रेलवे कुलियों से लाइसेंस शुल्क लिया जाना	Charging of Licence fee from Railway Porters	860-861
7987	महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर	Maheshwari Devi Jute Mills, Kanpur ...	861-862
7988	आसाम की चाय कम्पनियों के अंशों के मूल्य	Share Prices of Assam Tea Companies	862
7989	ऊंझा रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के साथ दुर्घटना	Accidents to Pilgrims at Unjha Railway Station ..	862-863
7990	पश्चिम रेलवे में माल डिब्बे देने के लिये घूस मांगी जाना	Demand of Premium for Wagons on Western Railway	863-864
7991	जापान को लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	864
7992	पोदीने के सत्त का आयात	Import of Menthol	865
7993	चाय का निर्यात	Export of Tea	865-866
7994	औद्योगिक अनुसन्धान तथा उद्योगों के बीच समन्वय का अभाव	Lack of Co-ordination between Industrial Research and Industries	866-867

7995	सीमेंट का उत्पादन	Production of Cement	867
7996	हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रीकल्स प्लांट	Heavy Electricals Plant at Hardwar	867-868
7997	भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड	H. E. L. Bhopal	868
7998	सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाया जाना	Decontrol of Cement	868-869
7999	सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा की जाना	Ticketless Travel by Government Officials	869-870
8000	37-अप पंजाब मेल रेलगाड़ी का देर से चलना	Late Running of 37-Up Punjab Mail ...	870-871
8001	ऐनकों के शीशों का आयात	Import of Opthalmic Glass ...	871
8002	कोटा में औजार बनाने का कारखाना	Instruments Factory, Kotah	871
8003	कम्प्रेशरों और पम्पों का निर्माण	Manufacture of Compressors and Pumps ...	872
8004	पश्चिम रेलवे में मेहसाना–अजमेर रेलगाड़ी का देर से चलना	Late Running of Mehasana-Ajmer Trains on the Western Rly.	872-873
8005	भागलपुर–मण्डार हिल ब्रांच लाइन पर बोगियों की संख्या में वृद्धि	Increase in number of Bogies on Bhagalpur-Mandar Hill Branch	873-874
8006	कांगड़ा घाटी में रेलवे के माल डिब्बे सवारी डिब्बे और इंजन	Wagons, Bogies and Engines on Kangra Valley	874
8007	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बाजारों का सर्वेक्षण	Survey of Markets by H. S. L. ..	875
8008	निर्यात व्यापार बढाने के लिये पत्रिकाओं का प्रकाशन	Publication of Journals for promoting Export Trade	875-876

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

8009	निर्यात को बढाने के लिये चलचित्रों का प्रदर्शन	Exhibition of Films for Propagating Exports ..	876
8010	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा कोयले का उत्पादन	Coal Production by N. C. D. C.	877
8011	पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labour in Jaipur Division of Western Railway ...	877–878
8013	कोयले का उत्पादन	Coal Production ...	878
8014	दिल्ली में बैटरी के सेलों की कमी	Shortage of Battery Cells in Delhi	878
8015	कोयले के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाया जाना	Abolition of Control over Coal prices	879
8016	बुनकरों के लिये रोजगार	Employment of Weavers	879–880
8017	मनीपुर में कताई मिल	Spinning Mill in Manipur	880
8018	मनीपुर में हथकरघा से बनाये गये उत्पाद	Handloom Products Manufactured in Manipur ...	880–881
8019	मनीपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना	Cement Factory in Manipur	881
8020	कागज बनाने के कारखाने	Paper Mills	881–882
8021	सीमेंट बनाने के कारखाने	Cement Factories	882
8022	कम्पनियों का कार्य संचालन	Working of Companies	882–883
8023	मुनीराबाद स्थित तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड	Tungabhadra Pulp and Board Mills, Ltd. Munirabad	883–884

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

8024	तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का बन्द हो जाना	Closure of Tungabhadra Pulp and Board Mills, Ltd. ...	884
8025	एम. एस. के. मिल्स, लिमिटेड, गुलबर्ग	M. S. K. Mills Ltd., Gulbarga	884-885
8026	रेलवे ट्रालियां चलाना	Running of Railway Trolleys ..	885
8027	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में मितव्ययता	Economy in Railway Board's Office ..	885
8028	स्प्रे स्टील मेकिंग तरीका	Spray Steel Making Process ..	886
8029	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में विशेष वेतन तथा भत्ते	Special pay and allowances in Railway Boards Office ..	886-887
8030	पत्तियों (बिलेटों) के मूल्य	Prices of Bullets	887
8031	होटगी–शोलापुर मीटर गेज लाइन (मध्य रेलवे) का बन्द हो जाना	Closing of Hotagi-Sholapur M. G. Line (C. Rly.) ...	887-888
8032	रेशम की टाइयों का निर्यात	Export of Silk Ties ...	888
8033	ग्लैक्सो एण्ड त्रिसूरे इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई	Glaxo and Trisure India (Pvt.) Ltd., Bombay	888
8034	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	Hindustan Motors Ltd	888-889
8035	दक्षिण रेलवे के मद्रास डिविजन के कर्मचारी संघ द्वारा मंहगाई भत्ते की मांग	Demand for D. A. by Madras Division of Southern Railway Workers' Union ...	889
8036	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	889-890
8037	अमरीका को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore to USA ...	890

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

8038	जापान को लोह युक्त अयस्क का निर्यात	Export of Ferrogenous Ore to Japan.. ..	890-891
8039	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore	891-892
8040	मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करने वाले लोग	Manganese Ore Supplies	892-893
8041	जमालपर के रेलवे कर्मचारियो द्वारा प्रदर्शन	Demonstrations by Railway Workers of Jamalpur	893
8042	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक तथा मुख्य अधीक्षक	General Manager and Chief Superintendent of Durgapur Steel Plant	893-894
8043	उत्तर रेलवे में संस्कृत जानने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Sanskirt knowing Class IV Employees on Northern Railway	894
8044	गुना - मक्सी रैलवे परियोजना	Guna-Maksi Railway Project	894
8045	नमक का निर्यात	Export of Salt	895
8048	रेलवे की आवश्यकता वाले पूंजीगत माल के निर्माण में मन्दी	Slump in the Manufacture of Capital Goods required by Railway ..	896
8049	इस्पात, खान तथा धातु मत्रालय में संसद् कार्य सहायक (पालियामेंटरी असिस्टेंट)	Parliament Assistants in the Ministry of S. M. and M.	896
8050	वाणिज्य मंत्रालय में संसद कार्य सहायक (पालियामेटरी असिस्टेंट	Parliament Assistants in Commerce Minitsry	896-897
8051	आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना	Cement Manufacture Units in Andhra Pradesh	897
8052	छोटी लाइन के सेक्शनों का राष्टीयकरण किये जाने पर फालतू घोषित हुए कर्मचारियों को नौकरी दी जाना	Absorption of Surplus Workers in Nationalisation of N. G. Sections	897-898

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

8053	कोचीन मेल के लिये डीजल इंजन	Diesel Locomotive for Cochin Mail	898
8054	खनिज अयस्क का निर्यात	Export of Mineral Ore ...	898-899
8055	विदेशों में वाणिज्य दूत	Trade Attaches Abroad	899-900
8056	कीनिया में जस्ते का कारखाना	Zinc Factory in Kenya	900
8057	पलवल तथा वल्लभगढ़ के बीच तेज रफ्तार की रेलगाड़ी	Fast Train between Palwal and Ballabhgarh ...	900
8058	कानन दीवान हिल प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड	Kannan Devan hill Produce Company Ltd.	900-901
8059	उत्तर रेलवे में पर्मनेन्ट वे इन्सपेक्टरों तथा असिस्टेंट पर्मनेन्ट वे इन्सपेक्टरों को सबसे बढ़िया गैंग बनाये रखने के लिये योग्यता प्रमाण–पत्र दिया जाना	Grant of Merit Certificates for Best Maintained Gangs by P. W. Is. and A. P. W. Is. on the N. Rly.	901
8060	हाथी दांत का निर्यात	Export of Ivory	901-902
8061	उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Survey of U. P.	902
8062	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग तथा औद्योगिक एकक	Heavy Industries and Industrial Units in U. P.	903
8063	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in U. P. ...	903
8064	उत्तर प्रदेश का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण	Mineral Survey of U. P. ...	904
8065	दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता	Assistance to U. P. for Development of Handicrafts Industries	904

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

8066	जींद जंक्शन के निकट रेल्वे संस्थान की इमारत	Railway Institute Building near Jind Junction ..	904-905
8067	ढाले गये लोहे के पाइप बनाने का उद्योग	Forged Iron pipe Manufacturing Industry	905
8068	पटसन मिलों का बन्द हो जाना	Closure of Jute Mills ...	906
8069	लखनऊ के डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के लिये वातानुकूलित डिब्बे में स्थान का आरक्षण	Reservation in AC Compartment for Divisional Supdt. Lucknow	906-907
8070	एम. ओ. पी. बटनों का निर्यात	Export of M. O. P. Buttons	907
8071	अरब देशों को ऋण दिया जाना	Extension of Credits to Arab Countries	907
8072	कलकत्ता में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्यालय	Office of the M. M. T. C. at Calcutta ...	907-908
8073	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इंस्पेक्टर आफ वर्क्स	Inspectors of Works in Chittaranjan Locomotive Works	908
8074	निर्यात गृहों की स्थापना	Creation of Export Houses	908-909
8075	उषा मार्टिन ब्लैक (वायररोप) लि०	Usha Martin Black (Wire Rope) Ltd. ...	909
8076	उच्च वोल्टता के इन्सूलेटरों का निर्माण	Manufacture of High Tension Insulators. ...	910
8077	बाल बेयरिंग फैक्टरियां	Ball Bearing Factories ...	910
8078	किराया खरीद योजना में जीपों और ट्रकों को शामिल किया जाना	Inclusion of Jeeps and Trucks in the Hire Purchase Scheme	911

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. No.	विषय	Subject	Pages
8079	पटना दिघा रेल्वे लाइन में घाटा	Loss on Patna Digha Line ...	911
8080	पटना-दिघा सेक्शन पर सवारी आवागमन बन्द किया जाना	Closing of passenger traffic on Patna-Digha Section	912
8081	समूची गाड़ी बनाने वाले कारखाने (इन्टेग्रल कोच फैक्टरी) को इस्पात की चादरों की सप्लाई	Supply of Steel Sheets to Integral Coach Factory	912
8082	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली का सूचना विभाग	Information Department of the Khadi and Village Industries Commission, New Delhi ...	912-913
8083	अम्बाला छावनी स्टेशन तथा अम्बाला नगर स्टेशन के बीच नया रेल्वे स्टेशन	New Railway Station between Ambala Cantt. and Ambala City Stations ...	913
8084	जगाधरी और चंडीगढ़ के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना	Direct Rail link between Jagadhri and Chandigarh	914
8085	रेलों के टिकट कलेक्टर तथा कमर्शियल क्लर्क	Ticket Collectors and Commercial clerks on Railways	914
8087	सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रेल्वे कर्मचारियों को अग्रिम राशि	Advance to Railway Employees in Draught affected areas	915
8088	सोमपुर स्टेशन में रेल्वे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Railway Quarters for Staff at Sompur Station	915-916
8089	अलाभप्रद रेलवे लाइनें	Un-Remunerative Railway Lines	916-917
8090	बोरिया गांव (पूर्व रेल्वे) के निकट फ्लैग स्टेशन	Flag Station Near Boria Village (E. Rly.) ...	917
8091	संघ राज्य क्षेत्रों के लिये औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates for Union Territories	917

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

देश में अनाज वितरण के बारे में	Re. Food Distribution in the Country	918-919
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	919
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	Committee on Government Assurances	920
कार्यवाही सारांश	Minutes	920
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	920
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	920
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	920
पहला प्रतिवेदन	First Report	920
सभा का कार्य	Business of the House	921-923
विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1967	Appropriation (Railway) No. 2 Bill, 1967	923-924
संशोधित रूप में विचार तथा पारित करना	Considered and passed as amended.	923
व्यक्तिगत मासिक व्यय सीमित करने के हेतु समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Appointment of Committee for Restriction of Individual monthly Expenditure.	925-935
डा. राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	925
डा. सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	928
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	928
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	929
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B. Vajpayee	929
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamal Nayan Bajaj	930
श्री कंडप्पन	Shri S. Kandappan	930
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	931
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Naraian	931

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)|WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री प. राम मूर्ति	Shri P. Ramamurti	...	931
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinker Desai	..	932
श्री रणधीरसिंह	Shri Randhir Singh	...	933
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham		933
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	..	933
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	..	934
गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	... ...	936
ग्यारहवां प्रतिवेदन	Eleventh Report	..	936
वधेयक पुरःस्थापित :	Bills Introduced:		
(1) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 25एफ एफ एफ का संशोधन) (श्री देवेन सेन का)	(1) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 25 FFF) by Shri Deven Sen	..	936
(2) विदेशी सहायता (लेखा संधारण) विधेयक, (श्री कंवरलाल गुप्त का)	(2) The Foreign Aid (Maintenance of Account) Bill, 1967 by Shri Kanwar Lal Gupta	... ...	937
(3) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक,1967 (धारा 309 का संशोधन) (श्री दी. चं. शर्मा का)	(3) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 309) by Shri Diwan Chand Sharma	..	937
(4) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 21 का संशोधन) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी का)	(4) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 21) by Shri Atal Bihari Vajpayee	... ...	938

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(5) संविधान (संशोधन विधेयक ,1967 (अनुच्छेद 352 का प्रतिस्थापन तथा नये अनुच्छेद 259 क का रखा जाना) (श्री सेक्वीरा का)	(5) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Substitution of article 352 and insertion of new article 359 A) by Shri Erasmo De Sequeira	
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 358 का हटाया जाना) (श्री स. कुण्ड का)	(6) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of article 358) by Samarendra Kundu	939
(7) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 291, 362 तथा 363 का हटाया जाना) (श्री स. कुण्डू का)	(7) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Omission of article 291, 362 and 363 by Shri Samarendra Kundu ... —	939
(8) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 164 का हटाया जाना) (श्री ओ. प्र. त्यागी का)	(8) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amedment of article 164) by Shri Om Prakash Tyagi ...	939
(9) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 311 का संशोधन) (श्री बिश्वनाथ मेनन का)	(9) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 311) by Shri V. Viswanatha Menon ...	940
(10) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1967 (श्री अ. त्रि. शर्मा का)	(10) The All India Ayurvedic University Bill, 1967 by Shri A. T. Sharma	941
(11) अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1967 (श्री अ. त्रि. शर्मा का)	(11) The All India Ayurvedic Medical Council Bill, 1967, by Shri A.T.Sharma...	941

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

(12) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का)	(12) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 85) by Shri Prakash Vir Shastri ..	941
संविधान (संशोधन) विधेयक 1967 जारी	Constitution (Amendment) Bill 1967–Contd.	942
(अनुच्छेद 368 का संशोधन (श्री नाथ पाई का)	(Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee	
श्री प. राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	942
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta .. –	943
श्री नातिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary	944
श्री कृ. मा. कौशिक	Shri K. M Koushik	945
श्री मानवेन्द्र शाह	Shri Manabendra Shah ...	946
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee	948
श्री दा. रा. चव्हाण	Shri D. R. Chavan	948
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ...	950
संयुक्त समिति को सौंपा गया	Referred to Joint Committee	954
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill	954
(धारा 293 क, 324 आदि का प्रतिस्थापन)	(Substitution of sections 293A, 324 etc.)	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ... –	954
वाइकाउंट विमानों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Viscounts ...	954
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	954

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 4 अगस्त, 1967/ 13 श्रावण, 1889 (शक)

Friday, August 4, 1967/*Sravana* 13, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कपड़े की नियन्त्रित किस्म के मुल्यों में वृद्धि

+
***1587. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्य में $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस वृद्धि से उपभोग की अन्य वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ेंगे; और

(ग) इसका निर्वाह देशनांक तथा सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार कपड़े की नियंत्रित किस्मों के मूल्यों में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं कर रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Shri Madhu Limaye : May I know the extentent to which prices of fine and supper fine varieties of cloth have been enhanced during the last 10 years in view of the fact that the manufactures are always complaining about the increase in the cost of manufacture of the controlled cloth, but they never disclose their lucrative gains in superfine varieties ?

Shri Dinesh Singh : We have controlled the price of certain specific items of cloth such as dhotis, saries, long cloth, shirting, drill including coarse, fine and super fine qualities regardless of the texture of the cloth. The hon. Member presumably wanted to know the increase in the price of the uncontrolled cloth. This I cannot tell off hand. Regarding cotton textile I can tell that taking 1952-53 as the base year, the index reached to 127.9 in 1961-62 and at present it is 153.1. I will try to give the information required the hon Member.

Shri Madhu Limaye : From the data given in "The Economic Times" of 23rd April, regarding 25 Textile Mills, what I could deduce is that the profits of those mills has swelled to Rs. 30 crores in the last year as compared to Rs 20 crores in year previous to that. What Government propose to do to lift control from the cotton without entailing any increase in the price of the manufactured cloth so that the cotton growers may be ensured fair return for their produce ?

Shri Dinesh Singh : As regards the profits earned by the manufactures I am to not in a position to say anything off hand. As regards cotton, I am very shortly going to lay before the House the policy in this regard. Presently I can only assure the House that the interests of the peasants will be property safeguarded. We will not allow the price of the controlled cloth to be increased. The non-controlled cloth does fall within our sphere and its prices will be regulated by the forces of demand and supply.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह बात सरकार की जानकारी में लाई गई है कि त्यौहारों के दिनों में नियंत्रित कपड़े के मूल्य कम से कम 10 प्रतिशत बढ़ जाते हैं ? इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार राज्य सरकार की सहायता से क्या कदम उठाना चाहती हैं ? यदि या सुपर फाइन कपड़े की कीमतें अत्यधिक न बढ़ाई जायें इसको सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

Shri Dinesh Singh : We exercise this control with the assistance of the State Government. The inspectors of the State Government according go for checking. They send us periodic reports about the availability of these varieties in their towns. If there is any specific complaint that is investigated. From the reports so for received from the State Governments, I can say that the number complaints is not very high.

Shri George Fernandes : During the last session of Lok Sabha it was stated that the Mill oweners had demanded an increase of 9 per cent in the prices of cloth and later, immediately after the session was over the Government permitted an increase of 4 or 5 percent. May know whether any request has been received since April for increasing the prices of cloth or for meeting their demand in entirely which had been only half met ?

Shri Dinesh Singh : The question of revising the prices of cloth is raised twice every year during April and in October. In April, the prices were raised by 4 percent. The question of revision will next come in October, but as I stated just now we will not allow an increase in the prices of cloth.

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों में लगाई गई पूंजी को ध्यान में रखते हुए उनके मुनाफे में कमी हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : ये सब विभिन्न आंकड़े हैं जो समय समय पर आते रहते हैं, परन्तु मैं नहीं समझता कि सामान्य समृद्धि में कोई कमी हुई है। कुछ कमजोर मिलें हैं जिन्हें निश्चय ही घाटा हुआ है।

श्री अनन्त राव पाटिल : क्या रुई के निम्नतम मूल्य में प्रत्याशित वृद्धि से नियंत्रित कपड़े की कीमतों में भी कोई वृद्धि होने की सम्भावना है ? और यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह रुई सम्बन्धी नीति की घोषणा तक प्रतिक्षा करें।

श्री म० अमरसे : क्या सरकार का विचार कपड़े पर लगाये गये भारी उत्पादन शुल्क में कुछ कमी करने का है ;

श्री दिनेश सिंह : कमी करने का कोई विचार नहीं है।

श्री अमर सिंह सहगल : क्या सरकार का विचार रुई की कीमतों पर निगरानी रखने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : एक रुई सम्बन्धी सलाहकार समिति है; यह हमें इस मामले पर सलाह देती है और इस विशिष्ट प्रयोजन अन्य कोई समिति बिठाने का कोई विचार नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल में पूजा और समस्त देश में दीपावाली और दशहरे के त्यौहार कुछ महीनों में आने वाले हैं, क्या सरकार कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए विशेष उपाय करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी बताया कि कीमतों में वृद्धि करने का हमारा कोई विचार नहीं है और अतिरिक्त सप्लाई के प्रश्न पर हम विचार करेंगे। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर मिलें स्वयं ही सप्लाई बढ़ा देती हैं।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister stated that the officials go wether State towns for periodical checking. May I know whether those officials have ever reported that on the occasion of important festivals like, Dussehra and Dewali those shops run out their stocks of controlled cloth ?

Shri Dinesh Singh : Those officials are of the State Government. As I submitted just now, on the occasion of important festivals the mill owners themselves release enough stock to meet the demand.

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रुई उगाने वाले बहुत समय से यह शिकायत कर रहे हैं कि रुई का अधिकतम मूल्य उचित नहीं है और मिल मालिकों ने स्वयं

सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि इस मूल्य में वृद्धि कर दी जाय और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फाइन और सुपरफाइन कपड़े केवल उच्चमाध्यमिक श्रेणी के लोगों और अमीर लोगों द्वारा ही खरीदे जाते हैं, सरकार रुई के अधिकतम मूल्य में वृद्धि करने पर विचार क्यों नहीं करती है ?

श्री दिनेश सिंह : मोटा कपड़ा भी उसी रुई से बनाया जाता है, जिससे कि फाइन और सुपर फाइन। यह तो फिर सभी रुई के शिखर मूल्य में वृद्धि करने की बात हैं। सामान्य मांग यह है कि रुई के शिखर मूल्य को समाप्त किया जाये परन्तु ऐसा करने से मोटे कपड़े के उत्पादन में प्रयोग में आने वाली रुई की कीमत में भी वृद्धि हो जायेगी। मैं सभा से अनुरोध से करूंगा कि वह नीति की घोषणा तक प्रतीक्षा करे।

श्री प्र० ग० सोनार : कितने प्रतिशत कपड़े पर नियन्त्रण किया गया हैं।

श्री दिनेश सिंह : मिल के बने लगभग 40 प्रतिशत कपड़े पर।

श्री लोबो प्रभु : क्या सरकार की नीति कपड़े के मूल्य को एक बड़ी हद तक प्रभावित नहीं करती है, अर्थात, खादी, हैंडलूम आदि को जो राज सहायता दी जाती है उससे और नियन्त्रित कपड़े का कम मूल्य होने के कारण सुपर फाइन कपड़े की कीमत नहीं बढ़ा दी जाती है ? क्या यह सच नहीं है कि कपड़े का 60 प्रतिशत मूल्य रुई उगाने वाले निर्माता या व्यापारियों में से किसी को भी नहीं जाता है ?

श्री दिनेश सिंह : जो निर्माता, व्यापारी या उत्पादक को नहीं जाता वह देश के लोगों को जाता है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether it has been brought to the notice of the hon. Minister by the officials going on periodic checkings, that the prices on the cloth are printed in excess of the controlled rates and if so, the action taken against the defaulters ?

Shri Dinesh Singh : If a specific case is brought to our notice that will be looked into. Normally all the complaints are properly scrutinised.

Dr. Sushila Nair : Is it not a fact that the quantities of subside given to Khadi is far less than the hidden subsidy given to millowners, if so, have the data in this regard been collected ?

Shri Dinesh Singh : We do not give any hidded subsidy. Figures regarding the subsidy given to Khadi are already known to the House.

रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करना

+

*1588. श्री राम कृष्ण गुप्त : श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री अब्राहम : श्री श्रीधरन :
श्री वासुदेव नायर : श्री मंगलायुमाडोम :
श्री जनार्दनन : श्री क० लक्कपा :
श्री अदिचन : श्री नायनार :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री यशपाल सिंह : श्री विश्वम्भरन् :

क्या वाणिज्य मन्त्री 11 अप्रैल, 1967 को राज्य सभा में दिये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबड़ का उचित मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है । उस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है । प्रतिवेदन की एक प्रति और उस पर सरकार के निर्णय का संकल्प सभा पटल पर रखा जायेगा ।

Shri Ram Kishan Gupta : What are the floor and ceiling Prices of natural rubber ?

Shri Dinesh Singh : I do not know about the ceiling prices. But the maximum and minimum prices go on fluctuating in accordance with the market operations.

Shri Ram Kishan Gupta : May I know the shortage of rubber in our country and the steps being taken to make the country self-sufficient in respect of rubber ?

Shri Dinesh Singh : Efforts are being made to increase the rubber production. The difficulty in the way is that our rubber plantation are of old pattern. Now we are giving subsidy for planting new and good varieties of rubber plants.

श्री वसुदेवन नायर : मंत्री महोदय को मालूम है कि रबड़ के उत्पादक लोग इस विषय पर अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रशुल्क आयोग ने जिस ढंग से जांच की और सिफारिश की है, उस पर छोटे उत्पादकों मे चिन्ता व्यक्त की है। क्या सरकार ने उनके प्रतिवेदन पर भी विचार किया है ? क्या छोटे उत्पादकों के लिये रबड़ के भाव बढ़ाये जायेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में जो अभ्यावेदन हमारे पास आये हैं उन सब पर सरकार ने विचार किया है। साथ ही मैं यह आश्वासन देता हूं कि छोटे रबड़ उत्पादकों के

हितों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अगले सप्ताह तक नीति घोषित कर दी जाएगी ।

श्री जनार्दनन : क्या यह सच है कि प्रशुल्क आयोग ने रबड़ का मूल्य निर्धारित करते हुए केरल के छोटे रबड़ उत्पादकों के हितों पर ध्यान नहीं दिया है ?

श्री दिनेश सिंह : हमने इन सब बातों पर विचार किया है । परन्तु मेरे लिये यह उचित नहीं है कि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन को बिना सभा पर रखे उसके विषय में कुछ बताऊं ।

श्री अदिचन : चीनी आदि अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में सरकार उद्योगपतियों तथा उत्पादकों दोनों ही के हितों पर ध्यान देती है परन्तु रबड़ के मामले में उत्पादकों के हितों की उपेक्षा की जाती है । क्या इसलिये कि यह केरल में पैदा होता हैं ।

श्री दिनेश सिंह : हम उनके हितों की रक्षा के प्रति सजग हैं ।

Shri Bhogendra Jha : May I know whether the Government will increase prices of rubber in order to have its increased production ?

Shri Dinesh Singh : Only incentive given by way of increase in the prices is not enough to have the increased production of the rubber. Fertile land, good needs and healthy plants are other necessities. All these collectively go to increase the production. We are trying to make all these things available to rubber cultivators.

Shri Ramgopal Shalwale : What was the demand of rubber in our country before and after independence ? What is the reason of increase in the prices of rubber when it is being produced in India itself ?

Shri Dinesh Singh : I have no figures of it with me at the moment. It is a fact, however, that its demand has cosiderably increased since then.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जब तक यह प्रतिवेदन प्रकाशित तब तक क्या सरकार उत्पादकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देगी ताकि वे प्लास्टिक तथा नकली रबड़ के मुकाबले ठहर सकें और देश में रबड़ का उत्पादन भी बढ़ जाये ?

श्री दिनेश सिंह : जो पौधे नये ढंग से लगाने की सुविधा पीछे भी दी जाती रही हैं । अब तो रबड़ बोर्ड का गठन कर दिया गया है जो इस उद्योग के सामान्य कल्याण पर ध्यान देती है । परन्तु अभी किसी प्रकार की अन्तरिम राहत देने का सरकार का विचार नहीं है । तत्सम्बन्धी नीति की घोषणा मैं अगले हफ्ते करूंगा ।

उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई

\+
***1589. श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कई उद्योगों को बिजली बार-बार खराब हो जाने से तथा उत्पादन कार्यों के लिये उन्हें पर्याप्त बिजली न मिलने से संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या हाल में देश के उद्योगों की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता का कोई सर्वेक्षण किया गया है, और

(ग) इस सम्बन्ध में उद्योगपतियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, नहीं। फिर भी उद्योगों ने बिजली के अनिश्चित सम्भरण के बारे में शिकायत की है।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में बिजली के सम्भरण की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. पड़ौसी राज्यों से इकट्ठी बिजली लेना ;
2. जिन स्थानों में निर्माण कार्य पिछड़ गया है उनके लिये ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शीघ्रता से करने के लिये बाहर से बिजली लेना तथा
3. सम्बन्धित राज्यों में कार्यान्वित की जा रही तापीय विद्युत योजनाओं को चलाने में शीघ्रता करना।

श्री रा० बरुआ : बिजली के अभाव का सरदर्द उद्योगपतियों को निरन्तर बना रहता है। कई कारखाने तो बिल्कुल ही बन्द हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि योजना बनाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि औद्योगिक कारखाना समूह के लिए कितनी बिजली आवश्यकता होगी। क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिये किसी जाच समिति को नियुक्त करेगी ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : सरकार बिजली की सप्लाई बढ़ाने जा रही है। वर्तमान योजना के अनुसार 1970-71 तक लगभग 14665 मेगा वाट बिजली की सप्लाई होने की सम्भावना है।

श्री रा० बरुआ : मेरा प्रश्न यह है कि क्या औद्योगिक कारखाने समूह की आवश्यकतानुसार बिजली तैयार की जा रही है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाता है।

श्री रा० बरुआ : क्या बिजली को अनियमित सप्लाई का प्रभाव कारखाने की लागत संरचना पर पड़ता है, यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : निरन्तर यह प्रयास किया जा रहा है कि बिजली की सप्लाई न टूटने पाये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या सरकार को पता है कि जब भी विद्युत यंत्र में खराबी आती है तो लगातार कई हफ्तों तक बिजली की सप्लाई बन्द रहती है और पुर्जों के अभाव तथा गलत मरम्मत के कारण ऐसा होता है । इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पुर्जों का भण्डार भरपूर रखेगी तथा मरम्मत-कार्य को कड़ा करेगी ? दूसरे बिजली की बार बार खराबियों के कारण औद्योगिक उत्पादन किस हद तक प्रभावित होता है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय इस कठिनाई को दूर करने के बारे में विचार कर रहा है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : बिजली के बन्द होने के कारण कुल कितनी हानि हुई है ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह एक पृथक प्रश्न है जिसके लिये पृथक से सूचना दी जानी चाहिये ।

श्री सु० कु० तापड़िया : अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय करें कि यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध है या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो तर्कसंगत है, परन्तु मंत्री महोदय के पास उसका उत्तर नहीं है ।

श्री शशि रंजन : दो बातों के बारे में लोग विशेषत: उद्योगपति प्राय: शिकायत करते हैं कि बिजली की सप्लाई बढ़ाई जाये और बिजली की दर सबके लिये समान की जाये परन्तु इस ओर काफी समय से ध्यान दिया गया है । क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कम से कम कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बिजली के दर निश्चित कर दिये जाएं ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस बात का सम्बन्ध विद्युत बोर्डों से है और उनके स्वायत्त होने के कारण सरकार उन्हें केवल निदेश दे सकती है ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : भारत में बिजली की न्यूनतम और अधिकतम दरें क्या हैं ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये मुश्किल है क्योंकि इसका सम्बन्ध बिजली बोर्डों से है ।

(अन्तर्बाधायें)

श्री हेम बरुआ : अध्यक्ष महोदय, आपको सभा का पक्ष लेना चाहिये। यदि मंत्री महोदय उत्तर के लिये तैयार होकर नहीं आते तो प्रश्न काल की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जब मन्त्री के सामने कठिनाई होती है तो उसका पक्ष लेना पड़ता है।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : मूल प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक दिया है। परन्तु उनके उद्योगों बिजली न मिलने से घाटा हुआ है। हमारे यहां बिजली का उपयोग बहुत कम किया जाता है। देश की औद्योगिक प्रगति को इस बात से आंका जाता है कि देश में बिजली की कितनी खपत होती है। बिजली परियोजनाओं के, विशेषकर कोयला बहुल क्षेत्र में विस्तार के लिए सभी मन्त्रालय मिलकर क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : यह बात तो सच है कि आन्ध्र प्रदेश में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग तथा बिजली का उत्पादन कम है। जहां तक तापीय विद्युत के उत्पादन को बढ़ाने का सम्बन्ध है, उस बात पर विचार किया जा रहा है। जहां तक विभिन्न मंत्रालयों में और बिजली बोर्डों में सहयोग की बात है, समय समय पर ऐसे प्रयास किये गये हैं सब राज्यों में बिजली की प्रशुल्क दर एकसी हो। परन्तु विभिन्न राज्यों में बिजली पर उत्पादन लागत एकसी नहीं आती इसलिए सभी राज्यों में प्रशुल्क दर भी एक सी नहीं की जा सकती।

Shri Rabi Ray : May I know the reasons for scarcity of the power ? Secondly the poweri s supplied a concessional rates to some industries like one aluminium factory in Orissa, even then, there is no increase in their production. Why ?

Shri Prem Chand Verma : The industry of electricity is essential one. It is a national problem. May I know the number of industrial units statewise which are not getting the full supply of electricity and which have not been granted new connection for the last one year ? Secondly, may I know whether any preference is given to small scale industries over large scale industries with regard to the supply of electricity ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक छोटे औद्योगिक एककों के बिजली की सप्लाई के विवरण का सम्बन्ध है उसके लिये माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिये। जहां तक लघु उद्योगों को बिजली की सप्लाई का सम्बन्ध है यह बिजली बोर्डों का विषय है। फिर भी बिजली बोर्डों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया जाता है कि लघु उद्योगों को तथा 3 अश्व शक्ति से अधिक उपभोग वाले गृह उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली दी जाये।

Shri Hukam Chand Kachwai : Small scale and large scale industries are growing up but they remain idle due to scarcity of electricity. May I know the time limit within which new industries should be given new connection of electricity and the reasons for delay in granting new connections.

Shri Bhanu Prakash Singh : The ruler governing the supply of electricity are formulated by Electricity Boards. The production of electricity also depends on the rains also, which is beyond the control of Electricity Boards ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वित्त विधेयक पर भाषण के दौरान वित्त मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये उद्योगों को रियायतें दी जायेगी । सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे भविष्य में उद्योगों का यह संकट टल जाये और उद्योगों को बिजली की सप्लाई नियमित रूप से होती रहे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सच है कि वित्त मन्त्री ने ऐसी घोषणा की थी । इन रियायतों को देने सम्बन्धी नियमों और उनकी कार्यान्वित के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Movement of Goods Between Sahibganj and Manihari Ghat

+

***1591. Shri A. B. Vajpayee :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the movement of goods between Sahibganj and Manihari Ghat is being stopped ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether it is a fact that 500 workers would be thrown out of employment on account of it ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Consequent to the development of Farakka/Khejuria Ghat Barge crossings, materialisation of goods traffic via Sakrigali-Manihari Ghat route has fallen to an un-economic level and orders were issued on 20th April 1967 to close down this point for goods and parcel traffic.

(c) No, Sir. The number of labour employed is much less and varies from month to month.

मुख्य उत्तर के अतिरिक्त

इसके बाद हमने धारा को बन्द करने के निर्णय को स्थगित कर दिया । मामला विचाराधीन है ।

Shri Atal Behari Vajpayee : The Government have postponed the decision of closing the Ghat. I want that the Government should seriously consider this matter. Whether it is not a fact that if this closed, we have only the water way of Farakka. As it is near to Pakistan it can ever be dangerous to our security. Even though we have to spend enough on it, we should consider it from the point of defence, I want to know whether some final decision would be taken on it.

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : फरक्का पर वैगन क्रासिंग प्रणाली है जबकि सकरी गली मनीहर घाट पर माल उतारने और भेजने का कार्य बजटों द्वारा होता है । आपत् काल की स्थिति में इसका लाभ उठाया जा सकता है अतः इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद माल को चढ़ाना और उतारना बजरों की मदद से किया जाता है । अतः आपत काल स्थिति के समय यह सुविधा

अवश्य उपलब्ध होगी चाहे आपत् काल कुछ ही क्यों न हों। इस क्रासिंग से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होगी जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे कि जून के महीने में उसकी औसत 2 बैगन आ गई थी, जब कि फरक्का में क्रासिंग के लिये 304 से 285 हुई थी।

अतः इस तरीके से माल को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। किसी विशेष आपत के समय क्या किया जायगा, इस मामले पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा।

Shri A. B. Vajpayee : The hon. Minister has told that the number of effected workers is hundred or two hundred. Should I suppose that these workers are employed on daily wages and as a result or its closure, they will not be effected ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मजदूर ठेके पर काम कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या अप्रैल 1959, मई में 124 और जून में 60 प्रति दिन थी। अत: प्रत्येक महीने व्यापार के अनुसार उनकी संख्या भिन्न थी।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has told that it was uneconomic. I want to know how far it uneconomical, and how much there is a loss in it and when would the final decision be taken in this regard.

श्री चे० मु० पुनाचा : इसे बन्द करने के निर्णय लेने के बाद कुछ मामले हमारी जानकारी में लाये गये अतः हमने निर्णय स्थगित कर दिया। इस प्रश्न पर हम विचार कर कर रहे हैं कि फरक्का पर दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त हम इस क्षेत्र में भी विकास कर सकते हैं। हम इस सम्बन्ध में जांच करेंगे और मुझे आशा है कि कुछ ही महीनों में हम इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेंगे।

पाकिस्तान द्वारा रोके गये माल का लौटाया जाना

+
***1592. श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री हुकमचन्द कछवाय :**
श्री ब्रह्मानन्दजी : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वाणिज्य मन्त्री 26 मई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों तथा माल को वापस प्राप्त करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) ये जहाज और माल कब तक वापस मिल जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कितना समय और लगने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों और जब्त किये गये माल में से अब तक केवल दो जहाज और 70.14 लाख रुपये का माल वापिस आया है।

(ग) संघर्ष के दौरान, दोनों सरकारों द्वारा जब्त किये गये जहाजों, माल, सम्पत्तियों, परिसम्पतियों आदि को छोड़ने के सम्पूर्ण मामले को तय करने के लिये बार बार किये गये हमारे प्रयत्नों का पाकिस्तान सरकारण से कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है, इस लियेइस अवस्था में यह बताना कठिन है कि इस मामले को तय करने में कितना समय और लगेगा।

Shri Jaganath Rao Joshi : The Tashkent accord was made with the good offices of Russia I want to know whether the Government have drawn the attention of Russia towards these activities of Pakisthan and whether Russia have tried to stop these activities by using her good offices and whether the Government have recovered the information that Russia was not successful in it,

Shri Denesh Singh : This matter has been discussed in detail several time. We have done what we can do according to the Tashkent agreement. Pakisthan have not acted according to the agreement. In this connectikn, information has been given to all the friends. All are of the view that Pakisthan have not taken the steps which it ought to do in order to narmalise the situation.

Shri Jaganath Rao Joshi : I want to know whether the Government of Russia have used her good offices in the matter and whether it has secured any success in this matter.

Shri Dinish Singh : No success has been achieved as Pakisthan have done nothing.

Shri Jagannath Rao Joshi : If Russia had not been succeeded in this matter would the Government send this matter to the Court of International Justice ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir,

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether the attention of the Minister has been drawn towards the recent statement given by Shri Ayub and whether the hopes that there would be some progress in this direction ? What is the approximate price of the goods stopped by Pakisthan ? If Pakisthan is not prepared to return those goods to us, what stern action Government intend to take in this regard ?

Shri Dinesh Singh : I gave all these figures last time. The price of the Cargo confiscated by Pakisthan was about 9,31,19,019 rupees. and out of it goods worth 7014 lakh rupees have been returned.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार भारत-पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये माल का मुआवजा व्यापारियों को देगी। यदि हां, तो कब।

यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : इसमें से बहुत से माल का बीमा कराया हुआ था और बीमा कम्पनियां इसको छुड़ाने का प्रयास कर रही हैं। यदि इसमें वह सफल नहीं हुई तो तटस्थ शक्तियां बीमे की रकम देंगी।

Shri Raghuvir Singh Shastri : We also stopped some goods of Pakistan. Whether we have returned all those goods.

Shri Dinesh Singh : I gave its reply in detail last time. There has been a lot of discussion on this matter. Pakisthan's goods valued 27.15 crores of rupees were seized. It was the cost of whole enemy property and it contained cargo worth rupees 1.5 crores. We decided that we would return those goods to them.

श्री विक्रम चन्द महाजन : मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि भारत सरकार को पाकिस्तान को माल लौटाने के लिये इतनी जल्दी करने के लिये क्यों बाध्य होना पड़ा जब कि पाकिस्तान ने भारत के माल को वापिस करना आरम्भ भी नहीं किया था ।

श्री दिनेश सिंह : ताशकन्द घोषणा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान अपने सम्बन्ध सामान्य बनाये रखना चाहते थे ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि जिन बीमा कम्पनियों ने इस माल का बीमा किया था वे भारत–पाक संघर्ष के बीच रोके जाने वाले जहाज के माल के मूल्य को देने के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है । चूंकि ये असाधारण परिस्थितियां हैं, क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो बीमा कम्पनियों और सम्बद्ध व्यक्तियों की सहायता करेगी ताकि इसके कारण हानि न उठानी पड़े, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : हम यथा सम्भव सहायता करेंगे ।

श्री हेम बरूआ : ताशकन्द सन्धि के अन्तर्गत भारत तथा पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों की एक बैठक रावल पिंडी में हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि दोनों देश पकड़े गये माल को छोड़ देंगे । पाकिस्तान उसमें असफल रहा । पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत पाकिस्तान में सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के वक्तव्य की हमारे प्रधान मंत्री ने स्वागत किया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने राष्ट्रपति अयूब को यह कहा है कि उन्हें अपने अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के आशय के प्रमाणस्वरूप भारत के माल को शीघ्र छोड़ देना चाहिये ?

श्री दिनेश सिंह : हम पाकिस्तान सरकार को इस सम्बन्ध में वार्ता करने के लिये बार बार याद दिलाते रहे हैं ताकि हम माल को छोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा कर सकें ।

श्री हेम बरूआ : मैं बैठक में रूचि नहीं रखता । रावल पिंडी में पहले ही एक बैठक हो चुकी है और उसमें माल को छोड़ने का निर्णय लिया गया था । मैं और अधिक बैठकों के पक्ष में नहीं हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार ने राष्ट्रपति अयूब खां को यह कहा है कि यदि वह भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत का माल है उसे वह छोड़ना आरम्भ कर दें ।

श्री दिनेश सिंह : यह कार्य करने के लिये एक सुझाव है । इस सम्बन्ध में हमने उन्हे कोई सुझाव नहीं दिया है ।

श्री हेम बरूआ : यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया है तो प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति अयूब के वक्तव्य के स्वागत करने का क्या प्रयोजन था ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : चूंकि पाकिस्तान से सामान्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये अनावश्यक जल्दी करने के कारण हम असामान्य स्थिति में हो गये हैं और हमें काफी हानि उठानी पड़ी क्या मंत्री महोदय नौवहन मंत्री से बात चीत कर इस मामले को अन्तरराष्ट्रीय शिपिंग लाइन में ले जायेंगे और उसे यह सलाह देंगे कि वह पाकिस्तान बन्दरगाहों पर माल भेजने की अनुमति न दें जब तक कि वह माल भारत को वापिस न कर दें ।

श्री दिनेश सिंह : यह बहुत पेचीदा प्रश्न है । माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री स० कुण्डू : पाकिस्तान सरकार ने भारत का किस प्रकार का माल पकड़ा है और माल को छोड़ने के सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री द्वारा लिखे पत्र का पाकिस्तान ने क्या उत्तर दिया है ।

श्री दिनेश सिंह : उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है । हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अन्य बातों के अलावा हम इस सम्बन्ध में भी मिल कर विचार विमर्श करें । हमारे उच्चायुक्त ने भी कई मौकों पर यह कहा है कि हम यह चाहते हैं कि माल को शीघ्र छोड़ दिया जाये । उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया है । जहां तक माल का सम्बन्ध है वह विभिन्न प्रकार का है उसमें मशीनें और दूसरी तरह का माल भी है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether the hon. Minister be pleased to state that in addition to cargo some factories have also been left in Pakistan and whether the industrialists of Delhi whose factories have been left in Pakistan have submitted a representation to you, asking you to give them some assistance like credit facilities, electricity and land etc. ? Whether the Government is considering that representation and if so, what action has been taken in this regard so far ?

Shri Dinesh Singh : The cost of our immovable property left in Pakistan is about 10 crore rupees. So far as the question of giving them some assistance is concerned, I cannot say what action has been taken by our Rehabilitation Ministry in this regard.

द्वितीय श्रेणी के शयन-डिब्बे चलाना

\+
*1593. श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री गं० च० दीक्षित :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लम्बी यात्रा वाली सभी रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के शयन-डिब्बे लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, इस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है; और

(ग) ये डिब्बे कब तक चलाये जाने की संभावना हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी नहीं।

(ख) लम्बी यात्रा वाले बड़ी लाईन की चुनी हुई गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के शयन डिब्बे लगाने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के इंजन डिब्बे के कार्यक्रम में 50 ऐसे डिब्बों के का पक्का उपबन्ध है और 60 का अस्थायी उपबन्ध है। इन 110 डिब्बों की कुल अनुमति लागत 2 करोड़ 22 लाख रु० है।

(ग) वर्तमान प्रस्ताव कालका-दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-मद्रास, अमृतसर दिल्ली बम्बई, बम्बई-हावड़ा और बम्बई मद्रास मार्गों पर द्वितीय श्रेणी के शयन डिब्बे लगाने का है। ये सुविधाएं इन मार्गों पर अक्तूबर, 1967 से दी जायेगी।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इन लम्बी यात्रा वाली गाड़ियों की खींचने की क्षमता को ध्यान मैं रखते हुए, क्या उन द्वितीय श्रेणी के शयन डिब्बों का लगाया जाना तृतीय श्रेणी के शयन डिब्बों के लिये हानिकारक होगा ?

श्री परिमल घोष : जी नहीं। द्वितीय श्रेणी के शयन डिब्बे तृतीय श्रेणी के शयन डिब्बों से किसी भी तरह हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द्वितीय श्रेणी के यात्री और वे यात्री जो शयन डिब्बों के अतिरिक्त अन्य डिब्बों में यात्रा करते हैं, अधिक किराया देते हैं परन्तु उनको वह सुविधा प्राप्त नहीं है जो शयन डिब्बों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों को प्राप्त हैं।

श्री परिमल घोष : द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में वर्तमान व्यवस्था यह है कि इनमें से आधे डिब्बे शयन स्थानों के लिये दिये जाते हैं और आधे बैठने के स्थानों के लिये। वास्तव में इससे शयन स्थानों वालों को कुछ असुविधा हो रही है। अतः अब हमने एक नया तरीका निकाला है कि शयन स्थान केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो जो शयन डिब्बों में यात्रा करना चाहते हैं। अब बिल्कुल पृथक प्रबन्ध होगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मेरा प्रश्न यह था कि द्वितीय श्रेणी के गैर-शयन डिब्बों का क्या फायदा है जबकि यात्री पहले ही उन सुविधाओं को प्राप्त किये बिना ही अधिक किराया देते हैं।

श्री परिमल घोष : इस समय यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के स्थान के लिये 5 रु० अधिभार देना पड़ता है। इस समय डिब्बों में जगह ऐसी है कि 5 रु० ही देने पर यात्रियों को साधारण डिब्बों की अपेक्षा कहीं अधिक आराम मिल जाता है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The passengers do not find any difference as regards the amenities between the 2nd class and 3rd class coaches. In view of this do Government propose to replace the second class coaches by the third class coaches by providing sleeping accommodation in them ?

श्री परिमल घोष : नये द्वितीय श्रेणी के डिब्बे निश्चित ही वर्तमान द्वितीय श्रेणी के डिब्बों से अधिक आराम दे होंगे और उनके लगाये जाने से तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियम 40 के अन्तर्गत प्रश्न

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन

4. **श्री मधु लिमये** : क्या प्राक्कलन समिति के सभापति यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों में अथवा किसी अन्य प्रकार से की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश किये जाने के लिए प्राक्कलन समिति ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है (अथवा अध्यक्ष महोदय को किसी समय-सीमा की सिफारिश की है);

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में इस समय–सीमा का पालन किया गया है;

(घ) क्या इन प्रतिवेदनों से तथा की गई कार्यवाही संबंधी इन प्रतिवेदनों पर प्राक्कलन समिति द्वारा किये गये विचार से यह पता चलता है कि वही अनियमिततायें फिर होती है और सरकार द्वारा वही आश्वासन फिर दिये जाते हैं कि वह इन अनियमितताओं को दूर करेगी और इसके बाद फिर उन्हीं गलतियों की पुनरावृत्ति होती है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हीं गलतियों तथा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये प्राक्कलन समिति का क्या कारगर कार्यवाही/उपाय करने का विचार है ?

सभापति, प्राक्कलन समिति (श्री पें० वेंकटा सुब्बया) : (क) जी हां, 6 महीने जैसा कि प्राक्कलन समिति द्वारा निर्धारित किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तृतीय लोक सभा के दौरान प्रस्तुत 58 मूल प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, केवल चार प्रतिवेदनों के मामले में ही 6 मास की समय–सीमा का पालन किया गया था ।

(घ) और (ङ) प्राक्कलन समिति का कार्य, इस बारे में प्रतिवेदन देना है कि प्राक्कलनों की जांच के बाद क्या बचत, सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं। उपरोक्त कृत्यों के अनुसरण में समिति के प्रतिवेदनों में इसकी टिप्पणियां और सिफारिशें

होती हैं। सिफारिशों पर सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों की जांच प्राक्कलन समिति द्वारा की जाती है और सभा को अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं। इनकी की गई कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों में यह दिखाया जाता है कि अनियमितताओं को हटाने के लिये सरकार ने किस हद तक कार्यवाही की है। समिति अपने प्रतिवेदनों में विभिन्न मंत्रालयों की त्रुटियों को बताती है। तथापि, तृतीय लोक सभा के दौरान समिति ने एक ही मंत्रालय के सम्बन्धी प्राक्कलनों की जांच नहीं की है, अतः समिति की जानकारी में एक प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं आई है।

Shri Madbu Limaye: Sir, it is a very disquieting feature that Government have replies only to 4 reports out of 50. You should take some steps in regard to all the three standing committees. In the book "Financial Committees of the Indian Parliament by Aggarwal a sentence by the ex-chairman reads as follows :

> "It is regrettable that Government have not in fact accepted many major recommendations of the committee On the whole, what they have carried out so far are rather minor recommendations."

In view of this may I know whether more powers are needed to alleviate these short comings or whether some modification are sought to be made in the present procedure, if so, the nature thereof ?

श्री पें० वेंकटा सुब्बया: जहां तक संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये 13 कार्यवाही सम्बन्धी प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है, सभा को प्रस्तुत की गई 715 सिफारिशों में से सरकार ने 643 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। यह प्रतिशतता 89.9 हैं। 44 सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उत्तरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने उन सिफारिशों का अनुसरण करना आवश्यक नहीं समझा। 27 सिफारिशों के ऊपर सरकार और समिति एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके। एक सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने अपना उत्तर नहीं दिया और समिति ने उत्तर की अपेक्षा किये बिना ही अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया और ऐसा नियम 108 के अन्तर्गत अध्यक्ष के स्पष्ट अनुदेशों के अन्तर्गत किया गया है।

जिन सिफारिशों पर सरकार और समिति एक दूसरे से सहमत नहीं हो सके उनके बारे में मामले का अग्रेतर अनुसरण करना संसद का काम है। इस समय उन मामलों में कार्यवाही करने का प्राक्कलन समिति के पास कोई तरीका नहीं है जिनमें सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया है, परन्तु उनको क्रियान्वित नहीं किया है। अतः यदि संसद और अध्यक्ष यह वांछनीय समझते हैं कि प्राक्कलन समिति को और मजबूत बनाया जाये ताकि यह बाद की कार्यवाही कर सके, तो यह उनके करने की बात है।

Shri Madhu Limaye: Sir, will it be possible for you to allocate 2-3 hours for dicussion On the working of all the three standing committees ?

अध्यक्ष महोदय: मैं इस समय कोई आश्वासन नहीं दे सकता। हम देखेंगे सोमवार को हम बैठ रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिना टिकिट यात्रा करने वाले लोगों की जांच

*1590. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की जांच करने के लिए रेलगाड़ियों को दो स्टेशनों के बीच रोक कर जांच करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन रेलगाड़ियों में इस प्रकार की जांच की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को सड़क द्वारा ले जाकर छोटे स्टेशनों पर अथवा किसी सेक्शन के बीच गाड़ियों को रोककर उनकी जांच करने की प्रथा पहले ही प्रचलित है। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे गाड़ियों की अचानक जांच की जा सके और यह बात जांच करने वाले दल के प्रभारी अधिकारी पर छोड़ दी गई है कि किन गाड़ियों की जांच की जाये।

Reorganisation of N. C. D. C.

***1595. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nihal Singh :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 403 on the 9th June, 1967 and state:

(a) whether the question of re-organisation of the National Coal Development Corporation has since been examined;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time it is likely to take further ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c) Not yet, Sir. A Committee has been set up to look into the affairs of the National Coal Development Corporation. This Committee will, inter alia, indicate what improvements can be made in the organisational set up of N. C. D. C. for its efficient functioning. Resolution constituting the Committee has already been laid on the Table of the House on 26.7.67.

विदेशी कम्पनियों में उच्च-कार्यवाही पदों पर भारतीय

*1596. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री क० कृ० नायर :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कार्य कर रही विदेशी तथा विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में प्रतिमास 5000 रुपये तथा इससे अधिक वेतन पाने वाले ग्रुप में, उच्च कार्यकारी पदों में से केवल 25 प्रतिशत पदों पर भारतीय नियुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे ऐसे पदों पर अधिक भारतीय नियुक्त हो सकें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार समझाने बुझाने की नीति का अनुसरण करके भारतीय राष्ट्र-जनों के लिए काफी प्रतिशत पद प्राप्त कर चुकी है और इस नीति को जारी रखने का विचार है। जहां तक विशेष रूप से 5000 रु० तथा उससे अधिक वेतन वर्ग का सम्बन्ध है भारतीयों की संख्या में 1 जनवरी, 1964 को लगभग 17 प्रतिशत से बढ़कर 1 जनवरी, 1966 तक लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है ।

पेटेंटों (एकस्वों) संबंधी वर्तमान प्रणाली

***1597. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पेटेंटों (एकस्वों) संबंधी वर्तमान प्रणाली विदेशियों के लिए अधिक लाभदायक है ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस प्रणाली में क्या क्या संशोधन करने की योजना कर रही है ताकि देश के पेटेंट-प्राप्त लोगों को अधिक लाभ पहुंचे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) भारत में पेटेंटों से सम्बन्धित कानून भारतीय और विदेशियों दोनों को पेटेंट प्रणाली से समान लाभ उठाने के अवसर देता है। फिर भी, चूंकि औद्योगिक कार्य-कलाप काफी बढ़ गये हैं और विदेशों में काफी अनुसंधान हो चुके हैं, इसलिये इस देश में अधिकांश रूप से विदेशी ही पेटेंटों के लिये आवेदन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय पेटेंट प्रणाली से उन्हें अधिक लाभ होता है । देश में औद्योगिक एवं अनुसंधान संबंधी कार्य-कलापों का क्षेत्र सीमित होने के कारण भारतीयों द्वारा इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

(ग) भारत सरकार पेटेंटों से संबंधित वर्तमान कानून का पुनरीक्षण करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और मैं आशा करता हूँ कि इस विषय पर एक विशद विधेयक शीघ्र ही सदन में रखा जायगा। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों पर अन्य चीजों के साथ साथ यथोचित विचार किया जायगा ।

Trade with U. A. R.

*1598. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kameshwar Singh :
Shri A. Sreedharan :
Shri Marandi :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri D. Amat :
Shri D. N. Deb :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether any assurance in respect of some kind of economic collaboration was given by him during his recent visit to U. A. R.;

(b) if so, whether the question for further strengthening the trade relations was considered at that time; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : There is already close economic collaboration between India and the UAR within the framework of the Indo-UAR Trade Agreement. The possibility of extending its scope has been under consideration both bilaterally and also at tripartite meetings of India, UAR and Yugoslavia.

During his recent visit to Cairo, the Commerce Minister had an opportunity of discussing these matters further. It was found that there were certain new fields for the expansion of our trade. These include drugs and pharmaceuticals and components and spares for the automotive and textile industries. We have expressed our willingnes to help wherever practicable.

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

*1599. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जापान को होने वाले लोह अयस्क के निर्यात के बारे में हमारे इस्पात उद्योग को माल बेचने तथा अच्छा मूल्य लेने में कठिनाई अनुभव हो रही है, क्योंकि जापान ने अन्य देशों से भी इस्पात लेना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कदाचित माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या जापान को भारतीय लोह अयस्क के निर्यात का विदेशी बाजारों में भारतीय इस्पात उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति पर कोई कुप्रभाव पड़ रहा है। यदि ऐसा है तो विद्यमान परिस्थिति में इसका उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेता

***1600. श्री बालगोविंद वर्मा :** **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री किन्दर लाल : **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में काम कर रहे लाइसेंस प्राप्त कुली तथा विक्रेताओं की संख्या क्या है;

(ख) विभिन्न रेलों में अलग अलग ऐसे लाइसेंस प्राप्त कुलियों तथा विक्रेताओं की की संख्या क्या है; और

(ग) रेलवे के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1329/67]**

रेशम तथा रेयन कपड़े का निर्यात

***1601. श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री आत्म दास :**
श्री धीधरन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री शिव चन्द्र झा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद ने अपने सदस्यों को हाल में यह निर्देश दिया है कि वे निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम को न तो कोई माल बेचें और न ही सप्लाई करें;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा राज्य व्यापार निगम का बहिष्कार करने के निर्णय का प्रभाव रेशम तथा रेयन कपड़े के निर्यात पर पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) रेशम तथा रेयन कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम तथा रेशम तथा रेयन वस्त्र संवर्द्धन परिषद् के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद की प्रशासन समिति ने ऐसा संकल्प पारित किया था परन्तु उन्होंने बाद में राज्य व्यापार निगम से असहयोग सम्बन्धी यह संकल्प वापिस ले लिया।

(ख) यह कहा गया था कि उन्होंने अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिये ऐसा किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) कृत्रिम रेशमी कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये एक अधिक विस्तृत योजना तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने परिषद के सदस्यों के साथ विचार विमर्श शुरु कर दिया है।

Export of Rayon Cloth

***1602. Shri Molabu Prasad :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Rabi Ray :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement regarding the export of rayon cloth bas been concluded by the State Trading Corporation with Canada;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether the Export Promotion Council has objected to the prices agreed upon in the said agreement; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Commerce (**Shri Dinesh Singh**) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

इंजीनियरिंग उद्योग में मंदी

1603. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग उद्योग को वर्तमान मन्दी से निकालने में सहायता करने के हेतु इंजीनियरिंग एसोशियेसन आफ इंडिया ने सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त एसोशियेशन द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उनके बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे पटसन का राजकीय व्यापार

***1604. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में लगभग 2,40,000 पटसन मिल मजदूरों ने अपनी मांगें जिनमें अन्य मांगों के साथ-साथ एक मांग यह भी है कि कच्चे पटसन का राजकीय व्यापार आरम्भ किया जाये, मनवाने के लिए 17 जुलाई, 1967 को एक दिन की हड़ताल की थी;

(ख) क्या उनकी मांग पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं कि कच्चे पटसन के मूल्य, कलकत्ता या देश के अंतर्वर्ती भाग के विपणन केन्द्रों में, पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे न गिरने पायें । तो इस प्रयोजन के लिये यदि आवश्यक हुआ और जिस सीमा तक आवश्यक हुआ, राज्य व्यापार का आश्रय लेना पड़ेगा ।

पूंजीगत माल का आयात

1605. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूंजीगत माल के, विशेषतः इंजीनियरी क्षेत्र में, आयात में बहुत कमी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो आयात पर इस कड़े प्रतिबन्ध को लगाने से कितने उद्योगों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) आयात नीति और कार्यविधियां इस प्रकार बनाई गई हैं जिससे इसका सुनिशचय किया जा सके कि उन पूंजीगत वस्तुओं जिनका या तो देश में निर्माण किया जा रहा है अथवा किया जा सकता है, आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है । यद्यपि पूंजीगत वस्तुओं का आयात कम करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है तो पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है । और केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी जाती है जिनका निकट भविष्य में देश में निर्माण किये जाने की संभावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Strike by Employees of S. T. C.

*1606. **Shri Srichand Goel : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri J. B. Singh : Shri N. S. Sharma :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of the State Trading Corporation have decided to go on strike to press their demands;

(b) the nature of their demands; and

(c) the action taken by Govnrnment to meet them ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) The demands of the employees mainly relate to improving promotion prospects, provision of residential accommodation, payment of conveyance allowance, rationalisation of pay scales etc.

(c) The management of the Corporation have initiated action for improving the service conditions and welfare amenities of the employees.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में श्रमस्थिति

*1607. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री श्रीचन्द गोयल : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री वेणीशंकर शर्मा श्री जि० व० सिंह : श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चित काल तक के लिये हड़ताल कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां, महोदय। तंथापि हड़ताल खत्म हो गई है और काम शुरू हो गया है।

(ख) निगम को लगभग 5.2 लाख रुपये का घाटा हुआ है।

(ग) कुछ मांगें अधिनिर्णय के लिये निर्देशित है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिये, जिसमें प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के परस्पर सम्बन्ध शामिल हैं, एक समिति नियुक्त की गई है।

रुई के मूल्य पर से नियंत्रण हटाना

*1608. **श्री वामानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रुई की सप्लाई कम होने के परिणामस्वरूप कपड़ा उद्योग के लिये समस्यायें पैदा हो गई हैं;

(ख) देशी रुई की सप्लाई में कितनी वृद्धि हुई है और इस उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिये वस्तुतः कितनी विदेशी रुई का आयात करने की अनुमति दी गई; और

(ग) क्या रुई के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) कपास के अनुमानित उत्पादन में भारी कमी के कारण चालू मौसम के आरम्भ में देशी कपास की मांग और पूर्ति के मध्य गंभीर असंतुलन पैदा हो गया। कपास की उपलब्ध मात्रा के व्यवस्थित विपणन और समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाए गये। कपास को बचाने के लिये मिलों में मशीनों के चलने को कम किया गया। चालू कपास मौसम में कपास की लगभग 9,00,000 गांठों के आयात की अनुमति दी गई। 31–5–67 तक लगभग 6,00,000 गाठों के पहुंचने की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त, पी०एल० 480 के अन्तर्गत 5,00,000 गांठ कपास के आयात के लिए हाल ही में क्रय प्राधिकार प्राप्त हुआ है। वर्ष 1967 के अंत तक इस कपास के आयात किए जाने की संभावना है। आगामी कपास मौसम में देशी कपास की उपलब्धि में सुधार होने की आशा है।

1967-68 के लिये कपास मूल्य नीति इस समय सरकार के विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

नकली रेशम बुनने के उद्योग में संकट

***1609. श्री मेघचन्द्र :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष से नकली रेशम बुनने के उद्योग में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सूरत में 50 प्रतिशत करघों में काम बंद हो गया है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से लोग बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) अवमूल्यन के कारण और उसके परिणामस्वरूप निर्यात संबर्द्धन योजनाओं की समाप्ति हो जाने के कारण नकली रेशमी वस्त्रों की निर्यात संबर्द्धन योजना भी, जिसके अन्तर्गत निर्यातकों को उनके निर्यातों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 70% तक नकली रेशम के धागे (संश्लिट धागे) के

आयात की अनुमति थी, समाप्त कर दी गई है। इसके फलस्वरूप संश्लिष्ठ धागे की प्राप्यता में कुछ कमी हो गई है। सैल्यूलोसिक विस्कोज तन्तु धागा स्टेपल रेशे का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और परिणाम के हिसाब से वह स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिये लगभग पर्याप्त है। फिर भी, संश्लिष्ट धागे की पूर्ति में गिरावट और स्वदेशी रेयन तथा नायलन धागों की उपलब्ध सप्लाई में से मांग बढ़ जाने के कारण संपूर्ण नकली रेशम उद्योग में व्यापक कमी उत्पन्न हो गई है। देश के किसी भी भाग से, जिसमें सूरत भी शामिल है, वस्त्र आयुक्त को, बुनाई कारखानों के पूर्णतः बंद होने के संबंध में कोई औपचारिक सूचनाएं नहीं मिली हैं। सरकार को उद्योग से विदित हुआ है कि धागे की कमी, धागे के मूल्यों में वृद्धि, माल के जमा होने और कपड़ा बाजार में मंदी के कारण कुछ कारखाने बंद हो गये हैं और अन्य कारखानों ने अपनी बहुत पारियों को घटा दिया है।

सरकार बुनाई उद्योग की कठिनाइयों को जानती है और उनकी सहायतार्थ संश्लिष्ट धागे के आयात के लिये विदेशी ऋणों से संबद्ध विदेशी मुद्रा का पर्याप्त नियतन सुनिश्चित किया गया है। ये आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जायेंगे। इस माल में से कुछ के लिये पहले ही क्रयादेश दे दिये गये हैं और इन क्रयादेशों का आयातित माल इस महीने से ही देश में आना आरम्भ हो जायेगा। वास्तविक उपयोगकर्ताओं में इस धागे के द्रुत वितरण के लिये भी प्रबंध किये जा रहे हैं। इससे स्थिति के सामान्य हो जाने की आशा है।

इंजीनियर उद्योग

***1610. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में इंजीनियरी उद्योग की क्षमता बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो किन ब्रांचों में;

(ग) सरकार ने इन उद्योगों के निर्यात में वृद्धि करने में इनकी सहायता करने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन तथा मांग (आन्तरिक तथा वाह्य) में समरूपता लाने के लिये क्या उपाय करना चाहती है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) विभिन्न उद्योगों में क्षमता का निर्माण क्रमागत पंच वर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ही किया जाता है। इसलिए उद्योग के किसी भी क्षेत्र में जानबूझ कर आवश्यकता से अधिक क्षमता का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर भी यह तथ्य है कि कुछ उद्योगों में विशेषकर इन्जीनियरी उद्योग में कुछ क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है उसका कारण दो क्रमागत सूखों के फलस्वरूप विकास कार्य पर होने वाले व्यय में कटौती है।

2. निम्नलिखित उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता बहुत कुछ गम्भीर रूप से है :

(1) इस्पात के बने हुए ढांचे ।

(2) मालगाड़ी के डिब्बे ।

(3) भूरे लोटे की ढलाई ।

(4) इस्पात की ढ़लाई ।

(5) इस्पात के पाइप और ट्यूबें नलकियां ।

(6) इस्पाती तार के रस्से ।

(7) मशीनी औजार ।

(8) बिजली के केवल और कन्डकटर ।

जहां तक निर्यात में गति लाने का सम्बन्ध है, अन्य वस्तुओं के साथ साथ सरकार यथा सम्भव निर्माताओं को विदेशी मण्डियों में इन वस्तुओं की खपत की सम्भावनाओं से अवगत करा रही है ; इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता दी जा रही है:–

(क) जहाज पर निःशुल्क निर्यात मूल्य पर 10 से 20 प्रतिशत की नकद सहायता ।

(ख) निर्यात के लिए निर्मित सामान के लिए आवश्यक देशी कच्चे लोहे तथा इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर प्राथमिकता देकर सस्मरण करना ।

(ग) निर्यात के लिए उत्पादन में काम में लाए गए आयातित कच्चे माल तथा पुर्जों का प्रतिस्पर्द्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से पूरा किया जाना ।

(घ) निर्यातित उत्पादों को सब प्रकार के केन्द्रीय प्रशुल्कों तथा उत्पादन शुल्कों के भार तथा उसमें प्रयोग किए गए आयातित कच्चे माल, जिन पर आयात शुल्क दिया गया हो, से छूट देना ।

3. भारतीय इन्जीनियरी उत्पादों के लिये विदेशी बाजारों में मांग उत्पन्न करने तथा उसको बनाये रखने का काम निश्चित रूप से धीमी गति से होगा, विशेष का अत्याधिक प्रतिस्पर्द्धा होने के कारण निर्यात के द्वारा अप्रयुक्त क्षमता का पूरा प्रयोग किये जाने की आशा करना और वह भी अल्पावधि में सम्भव नहीं है ।

डोईवाला स्टेशन के निकट मालगाड़ी दुर्घटना

1611. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री मोहसिन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह अग्रवाल :
श्री काशी नाथ पाण्डेय :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 4 मई, 1967 को डोईवाला स्टेशन से 2 मील पर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था और किस प्रकार की क्षति हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस दुर्घटना का कारण यह था कि जब गाड़ी ऊंची सतह पर जा रही थी तब वह इंजिन से अलग हो गई जिसके फलस्वरूप वह फिसल कर डोईवाला स्टेशन पर सुप्त पथिका पर चली गई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप 5 व्यक्ति, जिसमें गार्ड भी शामिल था, मारे गये और 8 व्यक्तियों को, जिनमें से दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये चोटें आईं ।

केरल में इल्मेनाइट सैन्ड संबंधी बिड़ला परियोजना

***1612. श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के उद्योग मंत्री द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि डाक्टर हजारी के प्रतिवेदन तथा इस पर संसद की दोनों सभाओं में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए इल्मेनाइट सैन्ड संबंधी बिड़ला परियोजना प्रायः रद्द कर दी गई है; और

(ख) क्या बिड़ला समूह ने लाइसेंस के बारे में कोई कार्यवाही की है तथा पेटेन्ट के बारे में उनको पत्र जारी कर दिया गया है ?

औद्योगिक मिकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी उपक्रमों में श्रमिकों की मजूरी को उत्पादन से सम्बद्ध करना

***1613. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी .**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी का कुछ भाग उत्पादन और । अथवा उत्पादिता से सम्बन्द्ध करने के लिये कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क)से(ग) सरकार ने अभी तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों की मजदूरी को उप्तादन और। अथवा उत्पादिता से सम्बद्ध करने की कोई भी योजना नहीं बनाई है। फिर भी इस बारे में जांच की जाती रही है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले मजदूरों को अधिक मजदूरी दिये जाने हेतु कोई वैज्ञानिक प्रणालीका पता लगाने के लिये एक रूसी विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया गया था। इस दल की रिपोर्ट पर सरकार के श्रम और रोजगार सलाहकार की अध्यक्षता में एक उप-समिति द्वारा विचार किया गया था। इस उप समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में गैर-सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में समूचे देश के सभी औद्योगिक उपक्रमों में काम करने वाले मजदूरों को प्रोत्साहन देने की योजनाएं लागू करने की व्यवस्था की गई है।

रेलवे में खोमचे और खानपान की वस्तुओं की दरों में वृद्धि

***1614. श्री बालगोविन्द वर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में खोमचे और खान पान की वस्तुओं की दरें बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खोमचे वालों और बैरों की कमीशन की दरें भी उसी अनुपात से बढ़ाई गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां। कच्चे माल की लागत और कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि हो जाने के कारण दरों को बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया था जिससे लागत को पूरा किया जा सके।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

चूंकि कमीशन की गई बिक्री पर प्रतिशतता के रूप में दी जाती है, इसलिये दरों के बढ़ने से खोमचे वालों और बैरों को स्वतः अधिक कमीशन मिलेगी।

नेपाल के साथ व्यापार

***1615. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रघुवीर सिंह पाटोदिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने सीमा शुल्क प्रशुल्क लगाया है, जिससे भारत से आयात किये जाने वाले माल को विशेष अधिमान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसा अनुमान लगाया है कि वर्धमान स्थितियों में नेपाल में किस किस माल के अधिक बिकने की संभावना है; और

(ग) नेपाल को किये जाने वाले निर्यात में इससे कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) 9 जुलाई, 1967 को नेपाल सरकार ने एक नई प्रशुल्क पद्धति (टेरिफ) लागू की जिसके अनुसार भारत से नेपाल में आयात की जाने वाली कई मदों पर शुल्क/अधिप्रभार में कटौती की गई है। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें हमारे पास उपलब्ध आंकड़े दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1330/67**] संबद्ध मदों के नाम और कटौती के परिणाम के बारे में पूरे ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है। शुल्क/अधिप्रभारों में की गई कटौती के परिणामस्वरूप संबद्ध मदों को नेपाल में अच्छा बाजार प्राप्त होने की आशा है। नेपाल को इस माल का निर्यात कितना बढ़ेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता।

इस्पात के निर्यात में राजसहायता

***1616. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न किस्मों के इस्पात के निर्यात पर राजसहायता बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार ने निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या इस्पात की पत्तियों के निर्यात के लिये राजसहायता देने के प्रश्न पर भी निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) देश में लौह एवं इस्पात के भावों में संशोधन के प्ररिणामस्वरूप राजसहायता की संशोधित दरें घोषित कर दी गई हैं जो 2.5.67 से लागू हैं। इनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1331/67**] ये दरें इस्पात की देश में लागत एवं निर्यात के उपरी खर्च तथा निर्यात से मिलने वाली राशि को दृष्टि में रख कर निश्चित की गई हैं।

(ग) मामला विचाराधीन है।

Corporation for 'Sick' Textile Mills

7912. Shri D. S. Patil
Shri Kashi Nath Pandey :
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 542 on the 16th June, 1967 and state:

(a) whether a corporation has been set up to take over the Sick textile mills;

(b) if so, its Composition, Scope of powers and functions; and

(c) whether the Corporation would start new textile mills ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) The matter is still under consideration.

गुजरात में लघु उद्योग

7913. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-चीन संघर्ष के दौरान गुजरात के कितने लघु उद्योग कारखानों ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन करने के लिये अपनी सेवायें अर्पित की थीं;

(ख) क्या ये पेशकश प्रतिरक्षा सम्बन्धो आवश्यकताओं के लिये उपयोगी थीं और यदि हां, तो उनमें से कितने कारखानों का उपयोग प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन करने के लिये किया गया था;

(ग) कुछ पेशकश किस आधार पर स्वीकार नहीं की गई थी; और

(घ) क्या सरकार ने उन फर्मों की कमियों को दूर करके उनकी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया था।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लगभाग 278 एकक।

(ख) इनमें से कुछ रक्षा की आवश्यकताओं के उपयुक्त समझे गए और उनको कुछ वस्तुओं जैसे नाइलोन कार्डज, हवाई जहाज से गिराये जाने वाले उपकरण, समय नोट करने वाली घड़ियां, शस्त्रों को रखने के बक्से, हल्की हथगाड़ियां, पेन्ट्स और पिकेकस के दस्ते इत्यादि के लिए आर्डर दिये गए।

(ग) कुछ प्रस्तावों को अस्वीकार किये जाने के कारण निम्न प्रकार थे :-

(1) उनके उत्पादों की रक्षा विभाग को आवश्यकता नहीं थी।

(2) उनकी मशीनें और कार्य कुशलता ऐसी नहीं थी जिसकी आवश्यकता सूक्ष्म और बढ़िया मशीनें बनाने के लिए पड़ती है और इसी कारण उन्हें रक्षा विभाग के आर्डर पूरे करने के उपयुक्त नहीं समझा गया।

(3) परीक्षण सुविधाओं तथा तकनीकी जानकारी का अभाव।

(4) बताई गई कीमतें अधिक थीं जो रक्षा प्राधिकारियों को स्वीकार नहीं थी।

(घ) लघु उद्योग सेवा संस्थान अहमदाबाद राज्य उद्योग निदेशालय के सहयोग से गुजरात लघु उद्योग निगम तथा छोटे उद्योगपति उन त्रुटियों को दूर कर रहे हैं और उनकी कार्य-कुशलता या क्षमता में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम निम्न लिखित हैं :—

(1) देश में रक्षा विभाग के विभिन्न नमूना कक्षों में छोटे उद्योगपतियों लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा गुजरात लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के अध्ययन दौरों का आयोजन करना जिससे छोटे उद्योगपति उन नमूना कक्षों में प्रदर्शित रक्षा सम्बन्धी उत्पादों से परिचित हो सकें।

(2) गुजरात राज्य में स्थित विभिन्न लघु उद्योग एककों में रक्षा अधिकारियों के दौरों की भी व्यवस्था की गई थी जिससे लघु उद्योग रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए उत्पादों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

(3) लघु उद्योग सेवा संस्थान ने उन छोटे उद्योगपतियों के लाभ के लिए जो रक्षा उत्पादों में रुचि रखते हैं, 763 उत्पादों के खाके और विशिष्ट विवरण खरीदे हैं जिससे वे रक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन कर सकें।

(4) परीक्षण सुविधाओं के अभाव की समस्या का निराकरण करने के लिए विस्तार केन्द्र, जामनगर में अतिरिक्त परीक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

गुजरात में उद्योग

7914. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिये गुजरात सरकार को कितनी राशि दी है; और

(ख) इस अवधि में राज्य सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा कपड़े का निर्यात

7915. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री महंत दिग्विजय नाथ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम मिलों से महंगे भावों पर कपड़ा खरीद रहा है, और वह इसे राज-सहायता से कम दामों पर हंगरी, रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों को बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह निगम कितना कपड़ा बेच रहा है और कितनी छूट दे रहा है;

(ग) क्या आयात करने वाले देश इस माल का निर्यात पश्चिम यूरोप के देशों को कर देते हैं, और इससे भारतीय निर्यातकों को हानि होती है; और

(घ) यदि हां, तो यह बात कहां तक उचित और तर्कसंगत है कि राजकीय व्यापार निगम महंगे दामों पर माल खरीदे और सस्ते दामों पर बेचे, जिससे अपने ही निर्यातकों को हानि हो ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क),(ख) और (घ) कई वर्षों के सतत सम्बर्द्धन के परिणामस्वरूप भारतीय कपड़े ने सोवियत रूस, हंगरी तथा अन्य पूर्व यूरोपीय बाजारों में जो ख्याति अर्जित की है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम ने सोवियत रूस को लगभग 55.30 लाख रु० मूल्य का पोशाकों का छपा हुआ कपड़ा तथा धुला हुआ चादरों का कपड़ा, रूमाल, तौलिये और हंगरी को 33.52 लाख रुपये की कोरी चादरों के कपड़े का निर्यात किया यद्यपि सोवियत रूस तथा हंगरी के निर्यातों में उसे क्रमशः जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 10–11 2 प्रतिशत तथा लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य पर 13 प्रतिशत हानि हुई। देश के निर्यातों के सम्बर्द्धन देश के उत्पादों के लिये नये बाजार ढूंढने और दुर्लभ परन्तु सम्भाव्य बाजारों को बनाए रखने के एक प्रयास के रूप में ही राज्य व्यापार निगम ने ऐसा किया।

(ग) पश्चिमी यूरोप को भारतीय कोरे कपड़े की पुनः बिक्री सम्बन्धी समाचार सरकार की जानकारी में आये हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।

जमालपुर वर्कशाप में रोजगार की स्थिति

7916. **श्री एस० एम० जोशी** : **श्री मोलहू प्रसाद** : **श्री मधु लिमये।** **श्री शिवचरण लाल** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान जमालपुर वर्कशाप (पूर्वी रेलवे) में पिछले बीस वर्षों मे रोजगार के अवसरों के घटने तथा इस कारण जमालपुर के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले असंतोष की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जमालपुर वर्कशाप में रोजगार के अवसरों को बनाये रखने तथा उनमें वृद्धि करने के लिये नये काम उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियां शुरू करने के लिये क्या योजना तैयार की गई है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस विषय पर लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2035 का उत्तर 9 जून को दिया गया था। पुनः जांच करने पर सरकार को पता लगा है कि वर्कशाप में रोजगार के अवसरों में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि जैसाकि उक्त प्रश्न के उत्तर में बताया गया था जमालपुर में डीजल और भाप की क्रेनों, हाइड्रालिक जैकों, इलेक्ट्रो मैकेनिकल लिफ्टिंग हायस्टों पेट्रोल टैंकवैगनों, बाक्स बैगनों के पुर्जो आदि का निर्माण करने जैसी योजनायें पहले ही क्रियांवित की जा रही हैं।

रुई पर से नियंत्रण हटाया जाना

7917. **श्री मोलहू प्रसाद** :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान रुई पर से आंशिक रूप में नियंत्रण हटाये जाने के सम्बन्ध में 4 जुलाई, 1967 के 'इकनामिक टाइम्स' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है, कि उत्पादकों के उस रुई का अधिक मूल्य मिलना बन्द न हो जाये जो नियंत्रित किस्मों के कपड़े बनाने के लिये नहीं खरीदी जाती; और

(घ) बिचौलियों के लाभ को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कपास पर नियंत्रण का सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय हो जाने की सम्भावना है। ब्यौरे की घोषणा उसके बाद ही की जायेगी।

भारतीय इस्पात सेवा बनाना

7918. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **इस्पात, खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात सेवा बनाने का है;

(ख) इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है; और

(ग) प्रस्तावित सेवा की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Palm Gur and Shakkar

7919. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the suggestion made by the palm Gur Expert that the production of palm Gur and palm Shakkar should be raised, in view of the shortage of Shakkar and Gur;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) the action being taken to encourage the production of palm Gur and palm Shakkar: and

(d) whether Government propose to sanction any grant for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government are doing their best to develop the palm gur industry.

(c) For the development of palm gur industry, the Khadi and Village Industries Commission extends assistance by way of finance, technical know-how, training and marketing facilities.

(d) Yes, Sir.

राजकीय व्यापार निगम

7920. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय व्यापार निगम किस तारीख को स्थापित किया गया था तथा उसे वर्ष-प्रति-वर्ष 31 मार्च, 1967 तक कुल कितनी शुद्ध आय हुई है;

(ख) गत पांच वर्षों में 31 मार्च, 1967 तक उस निगम के कर्मचारियों पर तथा अन्य अनुरक्षण कार्यों पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च हुआ है;

(ग) राजकीय व्यापार निगम के विभिन्न कार्यालयों के लिये इमारतें खरीदने पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया गया अथवा इमारतों के किराये पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया गया;

(घ) उस निगम के सर्वोच्च बारह अधिकारियों के नाम क्या हैं उनके वेतन और परिलब्धियों के रूप में प्रतिवर्ष कितना धन खर्च किया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मितव्ययता की दृष्टि में सिब्बंदी और कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में कमी करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम 18 मई, 1956 को स्थापित किया गया था। निगम के आरम्भ से उसकी शुद्ध आय निम्नलिखित है :—

वर्ष	निवल आय लाख रु० में (कर लगने से पूर्व निवल लाभ)
1956–57	83.63
1957–58	226.07
1958–59	281.99
1959–60 (केवल नौ महीने)	264.72
1960–61	285.50
1961–62	363.92
1962–63	430.16
1963–64	221.88

1964–65		472.76
1965–66		424.36
1966–67	इस वर्ष के लिये राज्य व्यापार निगम की लेखा परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है।	

+1–7–59 से 31–3–60 (1959–60 से पूर्व लेखा वर्ष 30 जून को समाप्त होता था)।

++ खनिज तथा धातुओं से सम्बन्धित भाग राज्य व्यापार निगम के लेखे से अलग कर दिया गया क्योंकि 1–10–1963 से खनिज तथा धातु व्यापार निगम नामक एक नये निगम की स्थापना हो गयी।

(ख)

वर्ष	अमला (व्यवस्था व्यय)	अन्य अनुरक्षण व्यय (व्यापार तथा अन्य विविध खर्चों के अलावा आकस्मिक व्यय)
	(लाख रु० में)	(लाख रु० में)
1962–63	77.46	23.07
1963–64	65.99	22.02
1964–65	62.32	19.37
1965–66	80.06	24.57
1966–67	इस वर्ष के लिये राज्य व्यापार निगम की लेखा-परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है।	

(ग) निगम द्वारा 13,47,121 रु० वार्षिक किराया दिया जाता है। क्योंकि राज्य व्यापार निगम ने अपने विभिन्न कार्यालयों के लिये अभी तक कोई भवन नहीं खरीदा है अतः इसके लिये कोई धनराशि खर्च नहीं की गयी है।

(घ)

क्रम सं०	नाम	वार्षिक वेतन तथा परिलब्धियों की कुल राशि
1.	श्री वी० पी० पटेल	56,007,00
2.	श्री जी० एस० सियाल	38,700.00
3.	श्री पी० जे० फरनेन्डीज	36,900.00
4.	श्री एम० एल० काला	31,573.00
5.	श्री एच० ए० सुजान	29,100.00

6.	श्री एफ० सी० धौन	26,945.00
7.	श्री बी० एल० साहनी	32,810.00
8.	श्री बी० बी० गुजराल	31,390.00
9.	श्री एस० एन० माथुर	32,340.00
10.	श्री एम० एम० सकलानी	28,843,00
11.	श्री आर० एल० मेहरा	29,700.00
12.	श्री पी० के० शेषन	28,624.00

(ङ) अपने ऊपरी खर्चों में मितव्ययता करना मुख्यतः निगम का कार्य है। निगम के ऊपरी खर्च असने प्रत्यक्ष व्यापार के 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रहे हैं तथा (पहले वर्ष के अलावा) उसके समस्त खर्च के 1 प्रतिशत से कम रहे हैं। निगम की कार्य कुशलता और बढ़ते हुए व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, निगम अपने सिलबन्दी तथा कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता करने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगा।

पत्तियों (बिलेटों) का निर्माण

7921. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक इस्पात कारखाने में; अर्थात भिलाई दुर्गापुर, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में पत्तियों (बिलेटों) का कुल कितना निर्माण हुआ;

(ख) पिछले पांच वर्ष में उपर्युक्त प्रत्येक इस्पात कारखाने ने कुल कितनी मात्रा में पत्तियों (बिलेटों) बेची;

(ग) वर्ष 1967-68 के अन्त तक तीसरी योजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रत्येक इस्पात कारखाने की पत्तियों (बिलेटों) के निर्माण की कितनी क्षमता हो जाने की सम्भावना है;

(घ) वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में इनमें से प्रत्येक इस्पात कारखानो से पुनर्वेलन मिलों (रिरोलर्स) को कितनी मात्रा में पत्तियां (बिलेटों) मिलने की आशा है;

(ङ) चौथी योजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रत्येक इस्पात कारखाने की पत्तियों (बिलेटों) की निर्माण की क्षमता कितनी हो जाने की आशा है; और

(च) इनका चौथी योजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रत्येक इस्पात कारखाने से पुर्नवेलन मिलों "रिरोलर्स" की कितनी मात्रा में पत्तियां (बिलेट) मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिलाई में रेल की पटरियों का निर्माण

7922. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियों का कुल कितना निर्माण हुआ है;

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियों के निर्माण की वर्तमान क्षमता कितनी है और तीसरी योजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद कितनी क्षमता हो जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात कारखाने ने रेल की पटरियां बनाने के अपने कारखाने की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिये पत्तियों (बिलेटों) का निर्माण किया था;

(घ) यदि हां, तो रेल की पटरियां बनाने के कारखाने में पत्तियों (बिलेटों) का कितना निर्माण हुआ; और

(ङ) चौथी योजना का विस्तार कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद भिलाई इस्पात कारखाने की रेल की पटरियों का निर्माण करने की क्षमता कितनी हो जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) पिछले तीन वर्षों में भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरी का कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

	टन
1964–65	228,000
1965–66	269,000
1966–67	219,000

(ख) तीसरी योजना के विस्तार से पूर्व रेल और स्ट्रक्चरल्स मिल की क्षमता 365,000 टन की थी जिसमें 115,000 टन के लगभग क्षमता रेल की पटरी का निर्माण करने की थी और 250,000 टन के लगभग इस्पात के ढांचे बनाने की थी जबकि तीसरी योजना के विस्तार से, जो पूरा हो चुका है, यह क्षमता 500,000 टन की हो गई है।

(ग) जी, हां। कारखाने को बिलेट तैयार करने के काम में लाया जा रहा है।

(घ) रेल मिल में बिलेट का उत्पादन करने का काम केवल 1966–67 में शुरू किया गया था जिस वर्ष 1,72,180 टन बिलेट तैयार किये गये ।

(ङ) अगले विस्तार कार्यक्रम में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा इस पर विचार किया जा रहा है ।

Decontrol of Cotton

7923. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government's cotton policy for the year 1967-68 was considered at a meeting of the representatives of traders, producers, and workers held during July, 1967 in Udyog Bhavan, New Delhi;

(b) whether it was unanimously urged upon Government to decontrol cotton in the said meeting;and

(c) if so, decision by Government in this regard ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The entire question of control over cotton is under Government's consideration and a decision is likely to be reached shortly. The details would be announced thereafter.

Industries in Maharashtra

7924. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether some scheme for the development of small scale Industries in Maharashtra during 1967-68 are under consideration; and

(b) if so, the names of such small scale industries, their locations and the amount proposed to be spent on each project ?

The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The State Government of Maharashtra have included the following schemes for the Fourth Plan period. (Schemes for the year 1967-68 have not been separately indicated) :—

1. Financial assistance to Small Scale Industries under State Aid Rules and to Industrial Cooperative and their Federations.
2. Subsidy on Power.
3. Quality marking.
4. Share Capital of Small Industries Corporation.
5. District Cooperative Industrialisation and Development Societies.

The working Group on Village and Small Industries have recommended a provision of Rs. 130.00 lakhs for the development of Small Scale Industries and setting up of Industrial Estates during 1967-68.

निर्यात संवर्द्धन योजनाएं

7925. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ निर्यात संवर्द्धन योजनाओं को पुनः लागू कर दिया है जिनको अवमूल्यन के बाद वापस ले लिया गया था;

(ख) क्या निर्यातकों को कोई नये प्रोत्साहन दिये गये हैं;

(ग) नये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा उनका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) नये प्रोत्साहन किन किन उद्योगों को दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। अवमूल्यन से पूर्व निर्यात संवर्द्धन की जो योजनाएं चल रही थी उन्हें अवमूल्यन के बाद पुनः आरम्भ नहीं किया गया।

(ख) जी, हां। निर्यात को सहायता देने के लिये नये उपाय लागू किये गये हैं।

(ग) आजकल निर्यातकों को निम्नलिखित उपायों द्वारा सहायता दी जाती है :

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिये निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात उत्पादों के आयातित अंश का पुनर्भरण।

(2) नकद सहायता की अपेक्षा रखने वाले चुने हुए उत्पादों के निर्यात पर नकद सहायता दी जाती हैं।

(3) निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित स्वदेशी कच्चे माल के आवंटन को प्राथमिकता दी जाती है।

(4) निर्यात उत्पादन के लिये अपेक्षित उत्तम लोह तथा इस्पात का संभरण एक अन्तः उद्योग व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया जाता है।

(5) निर्यात में लगे हुए एककों की पूंजीगत माल सम्बन्धी आवश्यकताएं एक पृथक अधिकतम सीमा में से, जो इसी प्रयोजन के लिये रखी गई है, पूरी की जाती हैं।

इन उपायों का मुख्य उद्देश्य निर्यात के लिये उत्पादन आधार को सुदृढ़ बनाना है। निर्यात पर इन-उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में कुछ समय लगेगा।

(घ) आयात पुनर्भरण तथा नकद सहायता के लिये पात्र उत्पाद ये हैं :

(1) इंजीनियरी सामान।

(2) रसायन, प्लास्टिक तथा कागज उत्पाद।

(3) मछली तथा मछली उत्पाद।

(4) चमड़ा तथा चमड़े का सामान ।

(5) हस्तशिल्प, जिसमें कालीन भी शामिल हैं ।

(6) ऊनी कपड़ा ।

(7) सूती कपड़ा ।

(8) प्राकृतिक रेशमी कपड़ा ।

(9) सिले-सिलाये वस्त्र ।

(10) खेल कूद का सामान ।

(11) तम्बाकू उत्पाद ।

(12) नारियल जटा उत्पाद ।

(13) परिष्कृत खाद्य ।

(14) काजू की गिरी ।

(15) रत्न और आभूषण ।

(16) स्टेनलैस स्टील ।

(17) जहाजों की मरम्मत ।

(18) छिले हुए बिनौले ।

(19) उत्तम लौह तथा इस्पात ।

(20) लोहे तथा इस्पात की कटपीस ।

(21) सिनेमा की फिल्में ।

उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना

7926. श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में किस प्रकार के उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने कुछ और उद्योगों के लिये लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या लाइसेंस व्यवस्था समाप्त किये जाने के फलस्वरूप नई क्षमता अधिष्ठापित करने में काफी वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) उन उद्योगों की सूची जिन्हें अब तक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के लाइसेंस देने वाले उपबन्ध से मुक्त कर दिया गया है, सभा पटल पर रख दी है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1332/67**]

(ख) और अधिक उद्योगों से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु सम्पूर्ण लाइसेंस सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जा रही है।

(ग) लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के परिणामों, विशेष रूप से जबकि अन्य बातें बीच में आ गई हों के बारे में अभी पता नहीं लगाया जा सकता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

7927. श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री दे० अमात :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव : **श्री गु० च० नायक :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लौह अयस्क की अधिक लागत होने के कारण जापान को इसके निर्यात में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापान द्वारा ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया से आयात किया गया लौह अयस्क भारत के लौह अयस्क की अपेक्षा सस्ता पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति से निबटने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। जापान के बाजार में भारत ने अभी तक तो एक मात्र सबसे बड़े संभरक के रूप में अपना स्थान बनाये रखा है। जापान के बाजार में भारत लौह अयस्क की स्थिति सुधारने और बनाये रखने की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि पत्तनों तथा लदान व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण किया जाये और अयस्क का पोत लदान करने के लिये यंत्रों का अधिक प्रयोग किया जाये। विश्व के इस्पात टेक्नोलाजी में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ चलने के लिये यह आवश्यक होगा कि प्राकृतिक ढेलेदार की तुलना में सिन्टर-फीड तथा साथ ही गोलों की बढ़ती हुई मांग के अनुसार समंजन भी किया जाये। लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है जिसका उद्देश्य उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति करना है।

पश्चिम रेलवे में डीजल इंजनों से चलाई जाने वाली रेलगाड़ियां

7928. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर मई, 1967 में कुल कितनी रेलगाड़ियों को डीजल इंजन से चलाने की व्यवस्था की गई थी;

(ख) पश्चिम रेलवे में अगले एक वर्ष में रेलगाड़ियों के लिये कितने और डीजल इंजनों की व्यवस्था की जायेगी;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन की नीति पश्चिम रेलवे में उत्तरोत्तर अधिक डीजल इंजनों की व्यवस्था करने की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिम रेलवे पर मई, 1967 में कुल 2876 गाड़ियों को डीज़ल इंजिनों से चलाने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) से (घ) किसी रेलवे विशेष पर डीज़ल इंजिनों से गाड़ियां चलाने की कोई नीति नहीं है। सम्बन्धित क्षेत्रों में यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों को डीज़ल इंजिनों से चलाने की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर अखिल भारतीय रेलवे के आधार पर विचार किया जाता है।

रेल के पे क्लर्कों के निरीक्षक

7929. श्री जे० एच० पटेल :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 13 फरवरी, 1967 के दक्षिण रेलवे के साप्ताहिक गजट में छपे रेलवे बोर्ड के 11 जनवरी, 1967 के पत्र संख्या पी० सी० —62/आर० टी०—1 में यह कहा गया है कि जिस अनुसचिवीय कर्मचारी ने 31 मार्च, 1938 को अथवा उससे पहले सरकारी सेवा में प्रवेश कर लिया था, उसको 60 वर्ष की आयु होने तक उसे नौकरी में रखा जायेगा;

(ख) क्या पे क्लर्कों के किसी निरीक्षक ने रेलवे प्रशासन को अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें अनुसचिवीय कर्मचारी माना जाये और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा-निवृत्त किया जाये;

(ग) क्या इन निरीक्षकों की मांग मान ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस प्रकार नौकरी में रखे जाने के लिये रेलवे बोर्ड के 11 जनवरी, 1967 के पत्र संख्या पी० सी० —62/आर०टी०—1 में व्यवस्था है।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) पे क्लर्कों के निरीक्षकों के लिपिकों जैसे बिल्कुल नहीं हैं और इसलिये उन्हें 60 वर्ष की आयु तक नौकरी में रखे जाने के प्रयोजन के लिये अनुसचिवीय कर्मचारी नहीं समझा जा सकता ।

भारतीय रेलवे 'पे क्लर्क'

7930. **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में कितने 'पे क्लर्क' हैं;

(ख) वे क्या काम करते हैं;

(ग) क्या पे क्लर्क यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें कार्यालय कर्मचारियों के वर्ग में रखा जाये;

(घ) उन्हें कार्यालय-कर्मचारी वर्ग में कब शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1095

(ख) वेतन का वितरण करना तथा उनका हिसाब रखना ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) पे क्लर्कों के कर्तव्य लिपिकों जैसे बिल्कुल नहीं है और इसलिये उन्हें अनुसचिवीय कर्मचारी नहीं समझा जा सकता ।

Khadi Gramodyog Bhawan New, Delhi

7931. **Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Khadi and Village Industries Commission has constituted a Committee of Delhi citizens on Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi;

(b) if so, the rules under which it has been constituted and the powers conferred thereupon;

(c) the personnel of the Committee; and

(d) the details of the work done by the Committee so far and the main features of their report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee has been constituted under Regulation 14 of the Khadi and Village Industries Commission Regulations, 1958. Its terms of reference are :

(i) to decide the general policies in regard to purchase and sale;

(ii) to advise on quality control and price fixation of articles dealt with by the Bhawan; and

(iii) to attend to day-to-day questions of general administration.

(c) 1.	Dr. Yudhvir Singh	Chairman
2.	Shri Brijkishan Chandiwalla	Member
3.	,, Radha Raman	,,
4.	,, Gopinath Aman	,,
5.	,, Deepak Choudhari	,,
6.	Shrimati Uma Behan Agarwal	,,
7.	Shri J. S. Dara	,,
8.	The Manager of the Bhawan	Ex-officio Secretary.

(d) As it is a Standing Committee, it is not required to submit a Report. It has met so far seven times. The main features of the work done by the Committee are :—

(i) introduction of measures for increasing sales of Khadi;

(ii) attending to the day-to-day problems of the employees of the Bhawan; and

(iii) consideration of opening of new Sales Centres, with a view to increasing sales.

Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

7932. **Shri J. Sunder Lal :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sale of oil, honey and spices has now been discontinued at the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the alternative arrangements made for the persons who had been employed for the purpose and the manner in which the commodities already purchased, will be disposed off ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) As a prosecution under the Prevention of Food Adultration Act had been instituted against the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi in respect of the honey sold by it, the sale of honey was stopped from 24.8.1966. It was also considered desirable to discontinue the sale of oil and spices from 30th June, 1967, in view of the lack of facilities for testing the purity of these articles.

(c) The persons concerned have been diverted to attend to the sale of other village industries products such as footwear, leather goods, etc. The suppliers of oil, spices and honey have been asked to take back their goods. Spices have already been returned to them.

Strike by Railway Employees at Gangapur City and Kota

7933. **Shri Meetha Lal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway employees at Gangapur City and Kota (Western Railway) went on strike on the 14th and 15th July, 1967;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the loss suffered by Railways as a result thereof;

(d) whether action is being taken against the defaulting officials; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There was no strike as such on 14th and 15th July at Gangapur City and Kota. However, a few Firemen stayed away from duty on sick leave.

(b) to (e) do not arise.

विदेशों में चाय केन्द्र

7934. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों और स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर भारतीय चाय के प्रचार और बिक्री के लिये 'टी बोर्ड' के केन्द्र स्थापित हैं;

(ख) इन केन्द्रों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और केन्द्रवार उनकी वार्षिक वेतन क्या हैं;

(ग) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान इन केन्द्रों ने कुल कितना संस्थापन खर्च किया है जिसमें किराया, प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्रचार-कार्य पर दिया जाने वाला खर्च आदि सम्मिलित होता है;

(घ) विदेशों में नियुक्त चोटी के दस अधिकारियों को क्या वार्षिक वेतन और अन्य सुविधायें दी जाती हैं;

(ङ) विभिन्न केन्द्र किस-किस तारीख से खोले गये;

(च) समुद्र पार के देशों में गत पांच वर्षों में चाय की वर्षवार कितनी बिक्री हुई है और इस अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है;

(छ) इन केन्द्रों को खोलने के परिणामस्वरूप चाय की बिक्री में कितनी अतिरिक्त वृद्धि हुई है; और

(ज) सर्व क्षेत्रों में मितव्ययिता लाने की अत्यन्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार का इन केन्द्रों को कब तक बनाये रखने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ङ) चाय बोर्ड द्वारा लन्दन, एडिनबर्ग, काहिरा तथा सिडनी में क्रमशः 28-2-1964, 2-9-1963, 14-5-1961 तथा 6-11-1964 से चाय केन्द्र चलाये जा रहे हैं। ये केन्द्र विभिन्न देशों में बोर्ड के कार्यालयों के संवर्द्धनात्मक कार्यों के भाग के रूप में चलाये जाते हैं तथा इनके द्वारा थोक अथवा पैकेटों में चाय नहीं बेची जाती।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(च) गत पांच वर्षों में निर्यात की गई चाय का परिमाण तथा मूल्य नीचे दिया जा रहा है :—

वित्तीय वर्ष	परिमाण (दस लाख कि० ग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1962–63	220.8	129.6
1963–64	209.3	123.2
1964–65	212.2	124.7
1965–66	197.4	114.8
1966–67	190.4	102.3

मूल्य पूर्व अवमूल्यन रु० में।

(छ) और (ज) भारत से निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा अनेक बातों पर निर्भर करती है और विदेशों में भारतीय चाय की बिक्री पर उन देशों में चाय बोर्ड द्वारा किये गये संवर्द्धनात्मक कार्यों के प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। फिर भी, विदेशों में बोर्ड के ये केन्द्र उन देशों में भारतीय जांच की ख्याति बढ़ाते हैं। उनको बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिड़ला के बहुत से समवायों का लाइसेंस रद्द किया जाना

7935. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप विभिन्न बिड़ला समवायों के रोके जाने वाले, स्थगित किये जाने वाले तथा रद्द किये जाने वाले आयात लाइसेंसों की संख्या कितनी है;

(ख) समवायों के नाम क्या हैं और प्रत्येक लाइसेंस कितनी राशि का है;

(ग) क्या यह सच है कि आयात लाइसेंसों को रोकने तथा स्थगित करने के परिणामस्वरूप बिड़ला के बहुत से समवायों का उत्पादन घट गया है और इसका राष्ट्रीय उत्पादन लक्ष्य और श्रम कल्याण पर भी प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा इस प्रकार की अचानक कार्यवाही करने से बहुत से बिड़ला समवायों के अस्थायी या स्थायी तौर पर बन्द हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) उन दूसरे समवायों या कार्य समूहों के क्या नाम हैं जिनके साथ इसी प्रकार की कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हजारी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप बिड़ला समवायों का कोई आयात लाइसेंस रोका, स्थगित अथवा रद्द नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Demand of Indian Goods in Foreign Countries

7936. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the steps taken by the Indian Missions abroad to boost the demand of the Indian goods in foreign countries; and

(b) the countries in which the demand for Indian goods has increased ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Indian Missions in foreign countries have been taking series of steps to boost demands for Indian goods, some of which are mentioned below :—

(i) Supplying information to Government and export agencies regarding changes in economic and trade policies in the country/countries concerned and effect on India's trade.

(ii) Submitting regular reports indicating specific information on commodities for which demand exists or has increased in the country concerned.

(iii) Extending all possible help to the visiting businessmen from India.

(iv) Arranging contacts among the importers and exporters between the two countries.

(v) Furnishing information promptly regarding the tenders invited by the country concerned to the Indian authorities.

(vi) Settling trade disputes among the importers and exporters of both the countries.

(vii) Arranging visits of trade delegations to and from India.

(viii) Helping in negotiating and concluding trade agreements etc.

(ix) Arranging publicity to India's export potential through periodic handouts and bulletins etc.

(x) Assisting in organising Indian Trade Fairs and Exhibitions within the jurisdiction of the countries of their accreditation and also participating in International Trade Fairs and Exhibitions organised in their areas by the local Governments.

(xi) Facilitating the setting up of industries abroad by Indian enterpreneurs.

(b) India's exports have increased to the following countries during 1965-66 as compared to 1964-65 :—

Belgium, Austria. Finland, Irish, Republic, Norway, Turkey, Iran, Nepal, New Zealand, Formosa, Korea (South), Iraq. Jordan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Egypt (U. A. R.) Ghana, Sudan, Tanganyika, Tunisia, Uganda, Zanzibar, Zambia, Canada, U. S. A., Brazil, Chile, Peru, Mexico, Dominican Republic, Ecuador, Jamaica, German Democratic Republic, Roumania and U. S, S, R,

A statement showing comparitive figures of export to these countries for 1964-65 and 1965-66 is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 1333/67]**

Railway Fare from Fatehpur to Churu

7937. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 769 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether the investigation in regard to the double fare which was being charged for the journey from Fatehpur to Churu has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The investigation is in progress.

(c) The review will be completed within three to four months.

Level Crossing Near Motihari Railway Station

7938. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the road connecting the western level crossing (Gumti) of the Motihari Railway Station (North-Eastern Railway) has been closed by the Railway authorities;

(b) whether it is also a fact that now only eastern level crossing (Gumti) remains open;

(c) whether it is a fact that there is a heavy rush on the eastern level crossing (Gumti), as the Railway Station is situated in the heart of city;

(d) whether it is also a fact that passengers and traffic have to wait there for a long period because of the movement of goods and passenger trains;

(e) whether this results in the loss of time of the public: and

(f) the nature of facilities Government propose to provide to the public ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. Level crossing No. 161 at the west of Motihari Station had to be closed due to expansion of the railway yard.

(b) No; there still exist two level crossings at Motihari Station; level crossing No. 160 at the East end and level crossing No. 162 at the west end;

(c) Yes.

(d) Level crossing No. 160 (at the east end of Motihari Station) passes about 18 trains a day (8 during day light hours) and has to be closed for train and shunting movements 21 times in a day for periods not exceeding 10 minutes each time, and as such there is no abnormal detention to road traffic.

(e) Some loss of time is there for these who come to the level crossing at the time of passage of trains etc. but this does not exceed 10 minutes at a time.

(f) The road passing through the closed level crossing No. 161 is already connected with level crossings Numbers 160 and 162. The Railways do not therefore propose to provide any more additional facilities. However, if the State Government desire that as a long term solution the existing level crossing No. 160 should be replaced by a road over/under-bridge, the Railways would be willing to undertake such a work as soon as a specific proposal is received from the State Government who will also have to indicate the necessary priority and the year in which the State Government/Road Authority will be able to provide necessary funds towards their share of the cost of the work, and to take up the work on approaches to the bridge at their cost.

सीमेंट की कमी

7939. **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री बृज भूषण लाल :
श्री राम सिंह अग्रवाल :
श्री रा० बरुआ :
श्री शारदा नन्द :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी को दूर करने के लिये चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में नये सीमेंट कारखाने खोलने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। पिछले कुछ महीनों से सारे देश में सम्भरण की स्थिति संतोषजनक रही है। फिर भी हरियाणा तथा पंजाब सरकारों ने कुछ जिलों और शहरों में सीमेंट की कमी की सूचना दी है। आगामी वर्षों में मांग में वृद्धि होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं :

क्र० सं०	नाम	स्थान	वार्षिक क्षमता (लाख मी० टनों में)
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम)	(मध्य प्रदेश)	2
2.	–वही–	कुरकुन्ता (मैसूर)	2
3.	तमिलनाड सीमेंट्स (राज्य सरकार का उपक्रम)	श्रीविलीपुचूर (मद्रास)	4
4.	गवर्नमेंट सीमेंट फैक्टरी (राज्य सरकार का उपक्रम)	डल्ला (उत्तर प्रदेश)	4
5.	आसाम सीमेंट्स लि० (राज्य सरकार का उपक्रम-विस्तार योजना)	चेरापूंजी	2
		कुल	14

कपड़े का उत्पादन

7940. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिल के कपड़े के कुल उत्पादन में से नियंत्रित किस्म के कपड़े का क्या अनुपात है;

(ख) कुल उत्पादन का कितना भाग नियंत्रित क्षेत्र से बाहर हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनियंत्रित किस्म के फाइन तथा सुपर-फाइन कपड़े में लाभ की मात्रा के बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं; और

(घ) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अनियंत्रित किस्म के कपड़े की मूल्य वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) मिल उत्पादन के लगभग 40 प्रतिशत भाग पर नियन्त्रण है जो कि विकेन्द्रित क्षेत्र सहित कपड़े के कुल उत्पादन के लगभग 23 प्रतिशत के बराबर है शेष पर नियंत्रण नहीं है ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस प्रकार का कोई विशेष अध्ययन अभी तक नहीं किया गया हैं।

इस्पात का आयात

7941. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री एस० एम० जोशी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितना इस्पात और मिश्रित इस्पात आयात किया गया है; और

(ख) इस्पात तथा मिश्रित इस्पात के आयात को घटाने के उद्देश्य से भारत में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) मात्रा मीटरी टनों में निम्नलिखित थी :—

	1964	1965	1966
इस्पात (औजारी और मिश्र इस्पात को छोड़कर)	961,956	776,926	380,891
औजारी और मिश्र-इस्पात	61,171	129,514	81,748

(ख) इस्पात और औजारी तथा मिश्र-इस्पात के आयात को कम करने के उद्देश्य से वर्तमान इस्पात कारखानों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और बोकारो में सरकारी क्षेत्र में चौथे इस्पात कारखाने का निर्माण किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन में विविधता लाने के लिए कदम उठाये गये हैं। औजारी इस्पात की दीर्घकालीन मांग को ध्यान में रखते हुये औजारी इस्पात बनाने के कारखानों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

Recovery of Hand Grenades on Railway Track Near Gorakhpur Factotry

7942. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three hand grenades were found on the Railway track near Gorakhpur Factory as reported in the 'Hindustan' dated the 23rd January, 1967; and

(b) if so, the result of the investigation made into the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The police have closed the investigation and submitted a Final Report stating that no clue of the miscreants could be found.

Recovery of Bombs Near Railway Tracksin Bihar

7943. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3018 on 2nd December, 1966 and state :

(a) whether the investigations in the case in which 3 bombs were found near the Railway track in Nayagaon, Bihar and two students were arrested, have been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the numbar of persons against whom action has been taken in this connection and the nature of such action ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No,

(b) The case is still under police investigation.

(c) Does not arise.

Food-Stuff Factories

7944. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of U. S. A. have stopped aid to the foodstuff factories of India;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Seizure of Copper at Patna Station

7945. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2577 on the 25th November, 1966 and state :

(a) whether the investigation in regard to the copper seized at Patna station has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken therein ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) Police submitted a charge sheet No. 24/67 dated 29-3-1967 under section 12 (a) of Defence of India Rules read with Rule 4 (1) of the Scarce Industrial Material (Control Order) 1965 against the accused. The case is sub-judice.

Supply of Steel for Construction of Houses

7946. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring at par the supply of steel for the construction of houses in villages to that of cities; and

(b) if so, when ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) ; (a) and (b) All categories of iron and steel have been decontrolled with effect from 1-5-1967. The prices of all categories of steel produced by the main producers, as announced by the Joint Plant Committee, are F. O. R. railhead destinations/all over India. The availability of steel materials required for construction of houses is quite easy

समवाय अधिनियम, 1956 में संशोधन

7947. **श्री दामानी :**
श्री प० अ० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन विधेयक संसद को कब तक पुरःस्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) श्रीमान जी, वर्तमान समय में, कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार सहायता कोष के लिये पश्चिम रेलवे द्वारा आयोजित उत्सव

7948. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे ने बिहार सहायता कोष के लिये बम्बई में अप्रेल, 1967 के पहले सप्ताह में एक उत्सव का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो उत्सव से कुल कितना धन प्राप्त हुआ;

(ग) पश्चिम रेलवे ने उस उत्सव पर कितना धन खर्च किया; और

(घ) उसके आयोजन पर अधिकारियों आदि ने कितने कार्य-दिन खर्च किये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बांसपानी रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर लोडिंग प्लांट (लदान करने का स्थान)

7949. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के लिये लौह अयस्क यातायात की व्यवस्था करने के हेतु दक्षिण-पूर्व रेलवे के बांसपानी रेलवे स्टेशन में "लोडिंग प्लांटों" का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लोह-अयस्क के लदान के लिये स्थान की आवश्यकता को पूरा करने हेतु बांसपानी स्टेशन पर 20 बाक्स माल डिब्बों को खड़ा करने के लिये अतिरिक्त पथिका का निर्माण किया गया है। इस पथिका पर प्लाटों का नियतन इस्पात कारखानों को कच्चे माल के परिवहन के लिये आवश्यक स्थान के अनुरूप प्लाटों की सूमूची आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

खुर्दा रोड जंकशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर पूछताछ कार्यालय

7950. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड जंकशन पर कोई पूछताछ कार्यालय नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार जनता की सुविधा के लिये वहां पर एक पूछताछ कार्यालय बनायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) एक अलग पूछताछ कार्यालय बनाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि जनता द्वारा पूछताछ के लिये कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के साथ पर्याप्त प्रबन्ध है।

आन्ध्र प्रदेश का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण

7951. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कड़प्पा, अनन्तपुर, करनूल तथा चित्तूर के जिलों में कोई खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप इन जिलों में क्या कोई खनिज-भंडार पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो किस किस्म के खनिज पाये गये हैं;

(घ) उनकी मात्रा तथा उनकी किस्म कैसी है; और

(ङ) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार का विचार यह सर्वेक्षण कब आरम्भ करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसंधानों के फलस्वरूप निम्नलिखित खनिजों का पता चला है :—

	खनिज	जिला	संचय (मिलियन टन)	श्रेणी
1.	एस्बैस्टस	कुडापा	0.25	क्रिसोटाइल
2.	बाईराइट	कुडापा	0.702	1/5 उच्च श्रेणी
3.	मिट्टी	कुडापा	1.418	सब प्रकार की मिट्टी
		कुरनूल	3.120	पत्थर-पाइप बनाने में
		अनन्तपुर	0.001	प्रयोग हो सकती है।
4.	कच्चा लोहा	कुरनूल	3.714	48–68 प्रतिशत लोहा
		कुडापा	0.040	63 प्रतिशत लोहा
5.	चूना पत्थर	कुडापा	970.00	45.32 प्रतिशत सी ए ओ
		कुरनूल	8930.00	अंशों में सीमेंट श्रेणी
6.	स्टीएटाइट	अनन्तपुर	0.045	उच्च श्रेणी

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक सम्पदाओं को वित्तीय सहायता

7952. श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक सम्पदाओं को आसान शर्तों पर वित्त देने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम के साथ कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का जीवन बीमा निगम के धन का इस कार्य के लिये उपयोग करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जीवन बीमा निगम ने अपनी योजना समाप्त कर दी है।

(ख) जी नहीं।

यातायात का रेलवे से सड़क परिवहन की ओर व्ययवर्तन

7953. **श्री दमानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो अथवा तीन वर्षों में यातायात का रेलवे से सड़क परिवहन में व्ययवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां, विशेष रूप से उच्च दरों वाले यातायात का।

(ख) देश में वस्तुयानों के निर्माण में वृद्धि हो जाने तथा राज्य अधिकारियों द्वारा उदारता से परमिट देने से पिछले कुछ वर्षों में सड़क परिवहन में काफी विकास हुआ है। रेलवे की तुलना में सड़क द्वारा माल भेजने में कुछ अधिक लाभ है अर्थात् 'घर से घर तक सेवा' और शीघ्र परिवहन। इसके अलावा रेलवे को हर किस्म का माल लादना पड़ता है और कुछ प्रकार की वस्तुओं का बहुत ही कम भाड़ा है और कुछ अन्य प्रकार की वस्तुओं के भाड़े की दर बहुत ही अधिक है। इसके विपरीत सड़क परिवहन वाले किन्ही प्रकाशित दरों के लिये बाधित नहीं है और इस बात में भी उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वे किस प्रकार की वस्तुएं लादेंगे। इन कारणों तथा सड़क परिवहन में तेजी से हो रहे विकास से यातायात का रेलवे से सड़क परिवहन में व्ययवर्तन हुआ है।

बम्बई और कलकत्ता के लिये रूई बुक करने के लिये रियायत

7954. **श्री दामानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और कलकत्ता के लिये रूई बुक करने के लिये रियायतें दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां, पूर्ण रूप से पीड़ित कपास के लिये रियायतें दी गई हैं किन्तु अर्ध-पीड़ित अथवा बिना पीड़ित कपास के लिये रियायती दरों की कोई घोषणा नहीं की गई है।

(ख) पूर्ण रूप से पीड़ित कपास से लिये विशेष दरों का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1334/67**]

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

7955. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तर प्रदेश में 1966–67 में हथकरघों से कितना कपड़ा बनाया गया;

(ख) उक्त अवधि में सूत की कितनी खपत हुई; और

(ग) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कुल कितनी राशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 13.42 लाख रुपये ।

मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज

7956. श्री मं० र० कृष्ण : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार उस उद्योग को अपने हाथ में लेने के लिये गैर-सरकारी फर्मों के साथ बातचीत कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी लि० को जो औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है उसमें 9000 मी० टन इस्पात की गढ़ी हुई वस्तुएं बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश के सिन्दराबाद में एक परियोजना स्थापित करने का विचार है । बताया गया है कि परियोजना के लिए सिविल निर्माण कार्य का अधिकांश काम पूरा हो चुका है । आयात किया गया संयंत्र और उपकरण स्थान पर पहुंच गये हैं और लगाये जा रहे हैं । बिजली और पानी का संभरण करने के लिए अंतिम रूप से प्रबन्ध कर लिया गया है । संयंत्र और उपकरण लगाने का काम पूरा होकर 1967 के अंत तक प्रारम्भिक उत्पादन शुरू किये जाने की आशा है ।

(ख) प्रारम्भ में इस परियोजना को किसी गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, किन्तु अब यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी को आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से या आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार की 2.5 करोड़ रुपये के ऋण की व्यवस्था करके सहायता करेगी ।

Clash in Third Class Compartment of Parcel Train on N. E. Rly.

7957. Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1983 on the 9th June, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the serious fracas which took place in a parcel train between Lekho and Begu Sarai Railway Stations on the North Eastern Railway has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time to be taken further ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) The investigation still proceeds and it is difficult to say when it will be completed.

India Belting and Cotton Mills, Serampur

7958, Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nihal Singh :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1976 on the 9th June, 1967 and state :

(a) whether the enquiry in regard to the papers recovered from India Belting and Cotton Mills, Serampur, (West Bengal) has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, how much additional time is likely to be taken ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The S. P. E. have reported that they have received the report of the Investigating Officer who has completed the investigation and that they are scrutinising the same.

बाराबांकी स्टेशन पर मार्शलिंग यार्ड

7959. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराबांकी स्टेशन पर मीटर गेज मार्शलिंग यार्ड के विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जाने की सम्भावना है और उस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बाराबंकी स्टेशन पर मीटर गेज यार्ड में 27.39 लाख रुपये की लागत से कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। यह कार्य पिछली जनवरी में पूरा हो गया था। इस यार्ड का और विस्तार करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बढ़िया किस्म के कपड़े का निर्यात

7960. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत बड़ी मात्रा में बढ़िया किस्म के कपड़े का विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कपड़े के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इसके निर्यात को और बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) मिल के बने सूती कपड़े के कुल निर्यात के सम्बन्ध में महीन तथा अत्यन्त महीन सूती कपड़े का परिमाण तथा मूल्य निम्नलिखित है :—

	महीन तथा अत्यन्त महीन कपड़े का निर्यात		कपड़े का कुल निर्यात	
	परिमाण करोड़ मीटर में	मूल्य करोड़ रु० में	परिमाण करोड़ मीटर में	मूल्य करोड़ रु० में
1964	6.185	6.44	50.29	48.86
1965	6.792	7.06	50.68	47.26
1966	7.256	9.88	42.43	49.14

निर्यातकों को मिल के बने सूती कोरे कपड़े के आयात के लिये 5 प्रतिशत की हकदारी दी जाती है। इससे महीन तथा अत्यन्त महीन कपड़े के निर्यातों को बढ़ावा मिलता है सूती कपड़े के कुल निर्यात को बढ़ाने के उपायों पर व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

निर्यात शुल्क में कमी

7961. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ (फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज) में निर्यात शुल्क में और अधिक कमी की जाने की मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के निर्यात शुल्क में और भी कमी करने के लिए कहा है।

(ख) इन दो मदों के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क को फिर संशोधित किया गया है तथा शुल्क की संशोधित दरें संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

24-7-1967 से लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क की विभिन्न किस्मों पर निर्यात शुल्क की निम्नलिखित संशोधित दरें लागू की गयी हैं।

1. लौह अयस्क

62 प्रतिशत या अधिक लौह युक्त ढेलेदार लौह अयस्क	10.50 रु० प्रति मे० टन
60 प्रदिशत या अधिक परन्तु 62 प्रतिशत से कम लौह युक्त ढेलेदार लौह अयस्क	9.00 रु० प्रति मे० टन
60 प्रतिशत से कम लौह युक्त ढेलेदार लौह अयस्क	7.50 रु० प्रति मे० टन

लौह चूर्ण जिसमें नीला चूरा भी शामिल है :

1. जिसमें लौह अयस्क का अंश 62 प्रतिशत से कम है	3.00 रु० प्रति मे० टन
2. जिसमें लौह अयस्क का अंश 62 प्रतिशत या अधिक है	4.00 रु० प्रति मे० टन

2. मैंगनीज अयस्क

1. 48 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज अंश वाला अयस्क	20.00 रु० प्रति मे० टन
2. 10 से 48 प्रतिशत तक मैंगनीज अंश वाला अयस्क	12.50 रु० प्रति मे० टन
3. 10 प्रतिशत से कम मैंगनीज अंश वाला अयस्क	7.00 रु० प्रति मे० टन

Cloth Mills in Madhya Pradesh

7962. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the capacity of spindles in the present cloth mills of Madhya Pradesh during 1967-68; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Not for the present, Sir.

(b) Does not arise.

Weavers' Cooperative Societies in Madhya Pradesh

7963. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the stocks of Weaver's Cooperative Societies in Madhya Pradesh are piling up; and

(b) if so, whether Government propose to provide financial assistance to the Apex Society for purchasing the stocks of Primary Weavers Societies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Not as far as Government are aware, Sir.

(b) Does not arise.

Industrial Estates in Madhya Pradesh

7964. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the District-wise number of Industrial Estates set up in Madhya Pradesh from 1962 to April, 1967; and

(b) the amount of assistance provided by the Centre to Madhya Pradesh for the purpose during this period ?

The Minister of Industrial, Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) From 1962 to April, 1967. 56 Industrial Estates have been established in Urban, Semi-Urban and Rural arear in thirty six districts of Madhya Pradesh (District-wise details of each type of estate is given in the statement laid on the Table of the House. [**Placed is Library See. No. L. T. 1335/67**[.

(b) The following amounts of loan were sanctioned to the State Government of Madhya Pradesh for the establishment of Industrial Estates :—

1961-62	11.46 lakhs
1962-63	12.93 lakhs
1963-64	18.79 lakhs
1964-65	22 21 lakhs
1965-66	36.01 lakhs
1966-67	10.00 lakhs

The figures for the years 1965-66 and 1966-67 are subject to adjustments on the basis of actual figures of expenditure to be reported by the State Government.

हथकरघा बुनकर

7965. श्री मरंडी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा बुनकरों का एक शिष्टमंडल उप-प्रधान मंत्री और उप-वाणिज्य मंत्री से मिला था और उन्हें इस बात से अवगत कराया था कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हथकरघा उद्योग के विकास के लिये रखे गये 75 लाख रुपये का प्रयोग नहीं किया था बल्कि इसकी बजाये इसका प्रयोग और प्रयोजनों के लिये किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) शिष्टमंडल ने और क्या-क्या प्रश्न उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। एक शिष्टमंडल मुझ से मिला था और उसने बताया कि आन्ध्र प्रदेश सरकार का हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को छूट की अदायगी के बकाया के रूप में 66 लाख रु० देने हैं।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्वयं भारत सरकार से इस मामले पर बात-चीत आरम्भ कर दी है अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अन्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. उपकर निधि को राज्य योजना के बाहर रखना।

2. 40 एस या कम के धागे पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना।

2. मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों द्वारा हथकरघा कपड़े की बिक्री पर दी जाने वाली छूट की अदायगी का रोका जाना।

4. शिखर राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों पर लगने वाले आयकर को हटाना।

5. मिल क्षेत्रों द्वारा कपड़े के उत्पादन को 1963 के उत्पादन स्तर पर स्थिर कर देना।

6. रंगीन कपड़े तथा रंगीन धागे से बनी रंगीन साड़ियों के उत्पादन को अनन्य रूप से हथकरघों के लिये रक्षित करना; और

7. जैसा कि औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित है कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल पर आरोपणों से छूट।

Increase in Number of Railway Passengers

7966. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the number of Railway Passengers during the period from 1962 to April, 1967 and the percentage of this increase over 1950-51;

(b) the difficullty experienced by Government in increasing the number of trains in view of the increasing number of Railway passengers and the efforts being made to remove this difficulty; and

(c) the reasons for not providing more seats particularly in third class compartments in which it is difficult to travel sitting or standing commensurate with the increasing number of Railway passengers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Provisional data for the year 1966-67 indicates an increase of about 30 per cent in the number of passengers originating on Indian Government Railways over 1961-62 and 71 per cent over 1950-51.

(b) and (c) Consistent with the availability of resources by way of line capacity, coaching stock, locomotive etc., and the priority for freight transport in the interest of the industrial development of the country, it has been the constant endeavour of the Railways to meet the growing demands of passenger traffic. The number of seats provided in III class was 148,000 (11.2%) more in 1965-66 than in 1961-62 and 618,000 (72.2%) more as compared to 1950-51. The figure for 1966-67 is not yet available. Passenger train kilometres also increased to 239 millions in 1966-67 as agains 211 millions in 1961-62 and 164 millions in 1950-51.

चलती गाड़ियों में अपराध

7967. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलती गाड़ियों में अपराधों की संख्या और सामान की चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) वर्ष 1965–66 के दौरान कितनी राशि प्रतिकर के रूप में दी गई; और

(घ) वर्ष 1964–65 के आंकड़ों की तुलना में यह कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सामान की चोरी के मामलों में कुछ कमी हुई है । 1964–65 में 2047 मामले हुए थे जबकि 1965–66 में 1891 मामले हुए । परन्तु चलती मालगाड़ियों में से चोरी के मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है क्योंकि 1964–65 में 809 से बढ़कर 1965–66 में 847 मामले हुए ।

(ग) और (घ) चोरियों के कारण हुई हानि के लिये दिये गये प्रतिकर की राशि इस प्रकार है :—

1964–65	1,50,58,191 रुपये
1965–66	1,91,07,256 रुपये

यातायात में वृद्धि होने के साथ-साथ मूल्यों में भी वृद्धि हुई है ।

उत्तर प्रदेश में नये उद्योग

7968. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि नियत की है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नये उद्योग, उनके स्थान तथा उनके लिए सरकार द्वारा नियत धन राशि निम्न प्रकार है :—

(क) **केन्द्रीय क्षेत्र में उद्योग**

	उद्योग का नाम	स्थान	चौथी पंचवर्षीय योजना में विनियोजन (रु० करोड़ों में)
1.	पम्प तथा कम्प्रेसर परियोजना	इलाहाबाद	18.70
2.	भारी ढांचा परियोजना	इलाहाबाद	6.80
3.	हैवी इलेक्ट्रीकल्स के लिए सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज	हरिद्वार	26.00

(ख) **राज्य क्षेत्र में उद्योग**

	उद्योग का नाम	स्थान	चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में विनियोजन (रुपये करोड़ों में)
1.	बुझे हुए मेग्नेमाइट का निर्माण	*	2.00
2.	शक्ति चालित हलों का कारखाना	*	1.50

* स्थान का निश्चय अभी नहीं हुआ है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का कलमासेरी केरल स्थित कारखाना

7969. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कलमासेरी (केरल) स्थित कारखाने के प्रबन्धक पुलिस जांच के नाम पर लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों ने जून 1967 तक कितने लोगों को रोजगार देने से इन्कार किया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० किसी भी व्यक्ति को पुलिस जांच के नाम पर नौकरी पर रखने से इन्कार नहीं किया करते फिर भी कम्पनी सारे कर्मचारियों के चरित्र की छानबीन, नौकरी पर लगने के पश्चात् पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर करती है। 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 1967 की अवधि में कलमासेरी फैक्ट्री के 11 कर्मचारियों को पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर नौकरी से हटाया गया। इसके पश्चात ऐसा कोई मामला नहीं हुआ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में हड़ताल

7970. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में हड़ताल कितने दिन तक चली; और

(ख) उसमें कितने लोगों ने भाग लिया और कितने धन और कार्य-काल की हानि हुई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) गिडी ए कोयला खान में 31 दिन।

(ख) प्रभावित व्यक्ति	3250
धन हानि	5.2 लाख रुपये
मानव–घंटों की हानि	6,82,160।

निर्यात

7971. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री कृ० म० कौशिक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में निर्यात बढ़ा है;

(ख) पिछले दो वर्षों में इन्हीं तीन महीनों की तुलना में यह कितना बढ़ा है; और

(ग) निर्यात को और बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 1967-68 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल से जून 1967 की अवधि में किये गये निर्यात के सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने के बाद एक तुलनात्मक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

(ग) निर्यात योग्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने को प्रोत्साहन देकर निर्यात में वृद्धि करने के कदम उठाये जा रहे हैं। आवश्यक सहायता के मुख्य रूप ये हैं :—कुछ विशेष चुने हुए निर्यात उत्पादों के लिए नकद सहायता, पंजीकृत निर्यातकों को नयी आयात नीति के अधीन आयात पुनर्भरण, 'ग्रीन फर्मों" के माध्यम से दुर्लभ देशी कच्चे माल का प्राथमिकता के आधार पर नियतन, निर्यात के लिए इंजीनियरी के सामान के निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर लोहे एवं इस्पात की पूर्ति तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का विशेष नियतन। प्रस्तावित अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये भी शामिल है। कुछ मामलों में निर्यात शुल्क में कमी पुनः समंजन, उत्पादन शुल्क के आरोपण समंजन के द्वारा आन्तरिक खपत पर प्रतिबन्ध तथा बिक्री व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाना।

चाय का निर्यात

7972. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय निर्यातकों को प्राप्त होने वाले तथा ब्रिटेन और अन्य देशों में उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में बहुत अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक चाय विपणन (क्रय-विक्रय) निगम स्थापित करने का है जो चाय का मिश्रण बनाये, निर्यात करे तथा विदेशों के बाजारों में खुली तथा डिब्बों में चाय भेजे; और

(ग) निर्यात की जाने वाली चाय के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) यह सच है कि भारत से निर्यातित अधिकांश चाय के थोक भावों तथा ब्रिटेन अथवा अन्य दूसरे देशों में उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मिश्रित चाय के खुदरा भावों में काफी अन्तर है। प्रत्यक्षतः यह अन्तर अधिकांशतः विभिन्न किस्मों और विभिन्न देशों की चाय के मिश्रण, वितरण, पैकिंग, विज्ञापन की लागत तथा अन्य खुदरा खर्चों एवं विभिन्न देशों में लगे आयात शुल्कों अथवा अन्य उपभोग करों के कारण है।

(ख) और (ग) सरकार स्वाभावतः मिश्रित तथा पैकेट बन्द चाय के निर्यात को तथा-सम्भव विकसित करना चाहती है, तथापि निर्यात की जाने वाली विभिन्न किस्मों की चाय के अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिये चाय विपणन निगम की स्थापना अथवा अन्य उपायों के

सम्बन्ध में सावधानी से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कलकत्ता में एक चाय गोष्ठी का आयोजन किया था और इसमें हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप जो प्रस्ताव सामने आये हैं उन पर सरकार विचार कर रही है ।

मथुरा स्टेशन पर कुछ टिकट कलक्टरों की मारपीट

7973. **श्री बलराज मधोक :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी
श्री सूरज भान :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पाटिल :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा जंकशन स्टेशन पर 29 मई, 1967 को कुछ टिकट कलक्टरों की उस समय मारपीट की गई, जब उन्होंने अवैध रूप से खाद्य पदार्थ बेचने वाले फेरी वालों को अवैध रूप से खोमचा लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने से रोका;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे पुलिस ने स्टेशन के कर्मचारियों की सहायता नहीं की और शहर से पुलिस को (फ्लाइंग स्क्वैड) बुलाना पड़ा था; और

(ग) यदि हां, तो उस स्टेशन पर अवैध रूप से खोमचा लगाये जाने को रोकने के लिये और रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां, एक टिकट कलक्टर की स्टेशन के भवन से बाहर उसके क्वार्टर के निकट मारपीट की गई क्योंकि उसने पहले प्लेटफार्म पर अनाधिकृत फेरी वालों को ठंडा जल बेचने से रोका था ।

(ख) पहले कि इस बात का किसी और व्यक्ति को पता चलता, अनाधिकृत फेरी वाले टिकट कलक्टर की मारपीट करके भाग गये थे । तत्पश्चात टिकट कलक्टर को जब स्टेशन पर लाया गया तब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने मथुरा जंकशन पर रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी जिसने उस मामले को जिला पुलिस को निर्दिष्ट कर दिया जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/332/323 के अधीन यह मामला दर्ज कर लिया गया है और जिला पुलिस ने एक अनाधिकृत फेरी वाले तथा तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है । पुलिस इस मामले की जांच कर रही है ।

(ग) अवैध रूप से खोमचा लगाने वालों तथा भिखमंगों को रोकने के लिये मध्य रेलवे पर फ्लाइंग स्क्वैडों की व्यवस्था की गई है । सरकार की रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल की सहायता से ये स्क्वैड नियमित रूप से और अचानक जांच करते हैं ।

ऐसी हिदायतें पहले ही दी हुई हैं कि सरकारी रेलवे पुलिस जब भी आवश्यक हो, टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा करे ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में लगी पूंजी

7974. श्री चं० चू० देसाई : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ख) 1965 तथा 1966 में कुल कितनी बिक्री हुई;

(ग) उक्त अवधि में प्रति सौ रुपये के यूनिट के आधार पर लगी पूंजी तथा विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या था; और

(घ) एक टाटा आयरन एण्ड स्टील तथा दो इण्डियन आयरन एण्ड स्टील के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इस्पात, खान और धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे टिकटों के पीछे का स्थान

7975. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टिकटों के पीछे के स्थान को विज्ञापन देने वालों को बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भारतीय रेलवे टिकटों के पीछे के स्थान को विज्ञापन देने वालों को बेचा करती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कुलियों से रजिस्ट्रेशन फीस का लिया जाना

7976. श्री यशपाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई के स्टेशनों पर कुलियों से रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में कितना धन लिया जाता है; और

(ख) उसमें से कितने प्रतिशत धन उनके कल्याण पर खर्च किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) लायसेंस प्राप्त कुलियों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाती है । निर्देश शायद लायसेंस प्राप्त कुलियों से ली जाने वाली लायसेंस फीस से है जो 1966–67 के लिये इस प्रकार थी :—

दिल्ली जंकशन	61 840 रुपये
नई दिल्ली	19,920 रुपये
मद्रास मध्य	7,208 रुपये
मद्रास एग्मोर	2,805 रुपये
हावड़ा	73,610 रुपये
सियालदह	33,546 रुपये
बम्बई वी० टी०	42,608 रुपये (1966 के लिये)
बम्बई सेन्ट्रेल	9,090 रुपये

(ख) लायसेंस फीस केवल निरीक्षण पर खर्च और जहां कहीं वर्दी दी जाती है उसकी लागत को पूरा करने हेतु 'न लाभ न हानि' के आधार पर निश्चित की जाती है। अतः कल्याण-कार्य पर इस राशि में से खर्च करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे पर ब्लाक और सिगनल इंसपैक्टर

7977. श्री स० च० बेसरा : क्या रेलवे मंत्री 9 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे तथा मध्य रेलवे की सिगनल वर्कशापों में कुल कितने ब्लाक और सिगनल इंस्पैक्टरों को सुपरवाइजरी पदों (चार्जमेन तथा फोरमेन) पर लगाया गया और प्रत्येक पदधारी कितनी-कितनी अवधि से इन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त वर्कशापों में कुल कितने सुपरवाइजरी पद हैं;और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति से नियमित पदाली वाले वर्कशापों में सुपरवाइजरी स्टाफ की पदोन्नति के अवसरों पर प्रभाव पड़ता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)

1. उत्तरीय रेलवे, जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 2078 तारीख 9-6-1967 के उत्तर में बताया गया था कि सामान्यता ओपन लाइन के कर्मचारियों को सुपरवाइजरी पदों पर लम्बी अवधि के रिक्त स्थानों पर नहीं भेजा जाता। वर्कशाप में माल निरीक्षण के लिये 2 चार्जमेन के पदों को 250-380 रुपयों के वेतनमान में सुरक्षित रखा गया है। कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि इन पदों पर अनुभवी लाइन स्टाफ को नियुक्त किया जाये। इन दोनों पदों पर ओपन लाइन के दो कर्मचारियों को क्रमशः 18-7-57 और 3-2-67 से नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कार्य के हित में एक फोरमेन के पद को 370–475 रुपये के वेतनमान में सुरक्षित रखा गया है और इस पद पर केवल अनुभवी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जायेगा। इस पद पर 15-3-66 से 'ओपन लाइन' के कर्मचारी को नियुक्त किया गया है।

	2.	मध्य रेलवे	कोई नहीं
(ख)	1.	उत्तर रेलवे	24
	2.	मध्य रेलवे	38

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी बर्लिन में भारतीय व्यापार संगठन का कार्यालय

7978. श्री कंवर लाल गुप्ता : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्वी बर्लिन में भारतीय संगठन का एक कार्यालय खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय को खोलने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है; और

(ग) इस बारे में पश्चिमी जर्मनी की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोई आसाधारण विलम्ब नहीं हुआ।

(ग) पश्चिम जर्मनी का संघीय गणराज्य जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता नहीं देता और स्वाभावतः वह नहीं चाहेगा कि हम जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से सम्बन्ध रखें। फिर भी हमने पूर्वी बर्लिन में भारतीय व्यापार संगठन का कार्यालय रखना उपयोगी समझा।

Looting of Goods Train Near Wadala Station

7979. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Security Police had to open fire when a Goods Train was looted near Wadala Station as reported in the 'Nav Bharat Times' dated the 3rd July, 1967;

(b) if so, the action taken by Government in regard thereto; and

(c) the loss of life and property caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. But the fire was opened by Bombay City Police and not by Railway Protection Force. The incident took place on 2-7-1967 in Bombay Port Trust Railway limits.

(b) and (c) The Bombay City Police, Matunga, registered the offence on their crime No, 638/67 under section 395 I. P. C. One criminal, an ex-convict, was shot dead and five others have been arrested in this case so far. The bags of sugar which were removed from the wagon, have been recovered in full.

पटसन व्यापार में सट्टेबाजी

7980. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज के सभापति, श्री एस० के० घोष द्वारा अध्यक्ष-पद से हाल में दिए गए अभिभाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने यह कहा है कि वायदा बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी से मूल्य में अत्यधिक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है जिससे समुद्रपार के खरीदारों तथा पटसन उद्योग को काफी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकने के लिये पहले से भी कोई अधिक कारगर कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज लि० ने, जो वायदे के सौदे (विनियम) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत एक मान्यता प्राप्त संस्था है, अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं । वायदा बाजार आयोग तथा सरकार स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं तथा जैसे और जब आवश्यक समझा जायेगा उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे ।

अखिल भारतीय कतर्क (स्पिनर्स) संस्था, गाँधी आश्रम

7981. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय कतर्क संस्था, गांधी आश्रम को अब तक कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) उस संस्था ने अब तक इस धन में से कितनी धनराशि का गबन किया है; और

(ग) इस संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को उपर्युक्त संस्था द्वारा गबन की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचने वाले कर्मचारियों की कमी

7982. श्री समर गुह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हरिद्वार से वापिस आने वाले यात्रियों को हरिद्वार स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न होने के कारण तीसरे दर्जे की टिकट लेने के लिए यात्रियों को विक्रय खिड़की में और पूछताछ कार्यालय में बहुत समय तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कायवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कई बार तीसरे दर्जे के टिकट खरीदने वाले यात्रियों को हरिद्वार में लाइन में कुछ समय खड़े रहना पड़ता है, परन्तु यह विक्रय खिड़कियों की कमी या स्टाफ की कमी के कारण नहीं। इसका मुख्य कारण मुख्य गाड़ियों के छूटने से कुछ मिनट पूर्व विक्रय खिड़कियों पर भीड़ का जमा हो जाना।

(ख) यात्रियों की सुविधा के लिये हरिद्वार कस्बे में एक सिटी बुकिंग एजेन्सी की व्यवस्था कर दी गई है जहां यात्री अपनी सुविधानुसार टिकट खरीद सकते हैं। यदि जाने वाले यात्रियों की भीड़ को स्टेशन पर इस प्रकार उचित रूप से बांट दिया जाये तो विक्रय खिड़कियों पर भीड़ जमा नहीं होगी और स्थिति सुविधाजनक हो जायेगी।

Indian Trade Missions sent Abroad

7983. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India has sent her trade missions to countries such as Ghana, Guinea, Mali and Algeria;

(b) the extent of increase in trade with these countries as a result of the efforts made by these trade missions during the last 5 years; and

(c) the details of the obstructions these delegations had to surmount ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) India has sent trade delegations and trade missions to Algeria, Ghana and Guinea. No mission has been sent to Mali.

(b) The visits were of an exploratory character since these markets are relatively new from out standpoint. Our trade with these countries has followed a fluctuating trend and it is difficult to make an exact assessment of the extent of contribution made by the visits of the Teams, The Hon'ble members are aware that development of trade with new markets is a highly complex business and involves the building up of an infra structure consisting not only of business connections but of shipping, insurance and other facilities, This inevitably takes time.

(c) The absence of this infra structure in respect of new markets was the major obstruction encountered by the Teams.

Slow Running of Trains from Khandwa to Ajmer

7984. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of passengers prefer to travel from Khandwa to Indore by bus because of very slow speed of trains running from Khandwa to Ajmer and because of wastage of time as a result of trains halting at stations;

(b) whether any change has now been made in the speed of trains and in their halting time at stations; and

(c) whether Government propose to study in details the immediate requirements like the speed of trains and amenities at stations ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Three pairs of trains running on Khandwa-Ajmer section have been speeded up varying from 20 minutes to 1 hour and 10 minutes in the time table which came into force from 1-4-1967 as a result of measures taken including reduction in the duration of their stoppages at certain stations. Further speeding of these services is not feasible under the existing conditions of track and traction and having regard to the needs of traffic served by these services.

As regards amenities, these are being provided on a programmed basis from year to year in consultation with Railway Users' Amenities Committee, e. g. new works costing approximately Rs. 1,70 lakhs have been planned for being taken up during 1967-68 on this section.

Construction of Over-Bridge at Khirkiya Station (C/Rly.)

7985. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme for the construction of a bridge over the Railway track at Khirkiya Station on the Central Railway, as the population on both sides of the Railway Station is very dense and primary schools for children are situated there;

(b) whether it is a fact that a number of children have been killed while crossing the Railway line; and

(c) in case no such scheme has been formulated, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) One child has been reported killed while crossing the railway line at Khirkiya station since January, 1966.

(c) There already exists a manned level crossing at a distance of a few hundred feet from Khirkiya Station. There is no proposal from the State Government/Road authority concerned for any other facility like road over-bridge or foot over-bridge over the railway line in the area. If any such facility is considered necessary, it is for the State Government/Road authority concerned to sponsor such a proposal together with necessary agreement to bear the costs involved, as required under the extant rules, to enable the Railway to take further necessary action.

रेलवे कुलियों से लाइसेंस शुल्क लिया जाना

7986. **श्री बालगोविन्द वर्मा :** **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :**
श्री किन्दर लाल : **डा० महादेव प्रसाद :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों से लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क की दर प्रत्येक रेलवे में और प्रत्येक स्टेशन पर भिन्न भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस शुल्क से रेलवे-वार कुल कितनी राशि इकट्ठी होती है; और

(घ) यह राशि किन सिद्धान्तों के अनुसार खर्च की जाती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) लाइसेंस शुल्क की दरें प्रत्येक स्टेशन पर भिन्न है क्योंकि इसको बिना लाभ बिना हानि के आधार पर केवल सुपरवाइजर स्टाफ नियुक्त करने और उसको दी जाने वाली वर्दी की लागत को वसूल करने के लिये किया जाता है। यदि किसी स्टेशन पर कुली स्वयं ही अपनी वर्दी की व्यवस्था कर लेते हैं और सुपरवाइजरी स्टाफ की अलग से नियुक्ति नहीं होती तो वहां लाइसेंस की दरें कम नियत की जाती हैं।

(ग) 1966–67 के दौरान इन शुल्कों से रेलवे–वार इकट्ठी हुई कुल राशि इस प्रकार है :—

	(रुपयों में)
मध्य रेलवे	1,32,699 (1966 के लिये)
पूर्व रेलवे	175,826
उत्तर रेलवे	236,378
पूर्वोत्तर रेलवे	2,330
पूर्वोत्तर फ्रन्टियर रेलवे	19,242
दक्षिण रेलवे	58,290
दक्षिण मध्य रेलवे	10,565 (केवल छः महीने के लिये)
दक्षिण पूर्व रेलवे	91,218
पश्चिम रेलवे	41,747

(घ) कुलियों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क को सुपरवाइजरी स्टाफ और जहां उन्हें वर्दी दी जाती है वहां उन पर हुए खर्चे के लिये प्रयोग किया जायेगा। लाइसेंस शुल्क बिना लाभ बिना हानि के केवल निरीक्षण और वर्दियों पर होने वाले व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स, कानपुर

7987. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
श्री किन्दर लाल :
श्री कृ० द० त्रिपाठी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार और अधिक राष्ट्रीय हानि को रोकने के हेतु महेश्वरी देवी जूट मिल्स को पुनः चालू करने के लिये क्या कदम उठा रही है;

(ख) इन मिलों के कब पुनः चालू हो जाने की संभावना है; और

(ग) मिल को चालू करने के बाद क्या प्रबन्ध किये गये हैं जिससे मिल लगातार चलती रहे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मिल के कार्य संचालन, वित्तीय आवश्यकताओं तथा किस ढंग से मिल की व्यवस्था को सुधारना तथा मजबूत करना अपेक्षित है, इन बातों की जांच एक सरकारी समिति ने 1966 के प्रारम्भ में की थी। समिति ने प्रतिवेदन दिया कि व्यवस्थापक कम्पनी को फिर प्रारम्भ करके ठीक प्रकार से नहीं चला सकेंगे तथा यह सिफारिश की कि कम्पनी के कार्य को किसी अन्य सक्षम तथा विश्वसनीय प्रबन्धक के हाथ में सौंप दिया जाए। किसी अन्य पार्टी को मिल का पट्टा देने के एक प्रस्ताव पर भी बातचीत हुई परन्तु दुर्भाग्यवश कोई सम्मत व्यावहारिक हल न निकल सका। मिल को सरकार द्वारा फिर चालू करने का कभी कोई प्रश्न नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आसाम की चाय कम्पनियों के अंशों के मूल्य

7988. श्री रा० बरुआ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की चाय कम्पनियों के शेयरों के मूल्यों में कमी हो गई है;

(ख) क्या आसाम में अधिकांश कम्पनियों द्वारा घोषित किया गया लाभांश पहले से कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा मुनाफों को चाय उद्योग के विकास में लगाये जाने के कारण हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊंझा रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्घटना

7989. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे के ऊंझा रेलवे स्टेशन पर, जहां एक मुस्लिम सन्त दातार साहिब के दर्शनों के लिये जाने वाले हजारों तीर्थ यात्री प्रतिवर्ष गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी में चढ़ते हैं, तीर्थयात्रियों के साथ हुई अनेक गम्भीर दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार यह अनुभव करती हैं कि यदि तीर्थयात्रियों को लाने वाली लम्बी यात्रा वाली रेल गाड़ियों को प्लेटफार्म से दूर खड़ा न करके उन्हें स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाये तो इन दुर्घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्टेशन पर एक ही प्लेटफार्म है और उस पर सदा ही कोई न कोई स्थानीय गाड़ी खड़ी रहती है और इसी कारण लम्बी यात्रा वाली गाड़ियों को दूर खड़ा होना पड़ता है;

(घ) क्या इस मामले की जांच करने और तीर्थयात्रियों को भविष्य में दुर्घटनाओं से बचाने के लिये सरकार का उपयुक्त कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) पिछले तीन वर्षों में ऊंझा रेलवे स्टेशन पर मीर दातार के मेले के दौरान तीर्थयात्रियों के साथ हुई किसी भी दुर्घटना की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) ऊपर दिये गये भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां, क्योंकि ऊंझा स्टेशन पर केवल एक प्लेटफार्म है, नियम के अनुसार पहले आने वाली गाड़ियों को प्लेटफार्म पर खड़ा किया जाता है और बाद में पहुंचने वाली गाड़ियों को प्लेटफार्म से दूर खड़ा किया जाता है । फिर भी प्रत्येक गाड़ी को प्लेटफार्म के अधिक से अधिक पास लाया जाता है ताकि आखिर में पहुंचने वाली यात्री गाड़ी प्लेटफार्म के बीच में पहुंच सके और यात्रियों को ले सके ।

(घ) और (ङ) ऊपर दिये गये भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में माल डिब्बे देने के लिये घूस मांगी जाना

7990. श्री बाबूराव पटेल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे में ग्रांट रोड, बम्बई सेन्ट्रल, पालघर बोईसर, दाहानू जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर, जहां चावल और घास के लिये माल डिब्बों की बड़ी मांग है, स्टेशन मास्टर माल डिब्बे देने से पहले व्यापारियों से माल डिब्बों के लिये अवैध घूस मांगते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बुरी प्रथा को बन्द करने के लिये सरकार का क्या व्यावहारिक कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कभी स्टेशन मास्टरों, माल क्लर्कों तथा लोको सुपरिन्टेंडेंटों तथा उन अन्य रेलवे कर्मचारियों की, जो माल डिब्बों, पार्सलों तथा अन्य माल से सम्बन्धित कार्य करते हैं व्यक्तिगत आस्तियों की जांच पड़ताल की है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी जांच कब की गई थी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ऐसी कोई घटना की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस सम्बन्ध में रेलवे और केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

(ङ) जब कभी स्रोतों से होने वाली आय के अनुपात से अधिक आस्तियों के होने की सूचना प्राप्त होती है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापान को लोह अयस्क का निर्यात

7991. श्री रमानी :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1967 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत से जापानको लौह अयस्क का निर्यात कम हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यद्यपि सूचना निराशावादी है, तथापि उच्च प्रतियोगी विश्व बाजार में आत्म-संतोष के लिये कदापि कोई स्थान नहीं है । विश्व के विभिन्न भागों में लौह अयस्क के नये तथा विशाल स्रोतों की खोज एवं विकास किया जा रहा है । जापान के बाजार में अभी तक तो भारत ने सबसे बड़े एकमात्र संभरक का स्थान प्राप्त किया हुआ है । 1962 में जापान में कुल लगभग 2.2 करोड़ मे० टन के आयात में से भारत ने उसे 45 लाख मे० टन लौह अयस्क का निर्यात किया । जापान का आयात 1966 में पहले से बढ़ कर दुगुना अर्थात 4.4 करोड़ मे० टन हो गया, तथापि 1966 में भारतीय निर्यात दुगुने से भी अधिक अर्थात् 96.9 लाख मे० टन हो गया । यह चिल्ली से लगभग 20 लाख मे० टन अधिक था । चिल्ली जापान का दूसरा सबसे बड़ा संभरक है । इस स्थिति को सुधारने अथवा उसे बनाये रखने के लिये यह आवश्यक होगा कि हम अपनी पतन लदान व्यवस्था का उल्लेखनीय रूप से सुधार एवं आधुनिकीकरण करें तथा अयस्क का जहाज पर लदान करने के लिये यंत्रों के उपयोग में वृद्धि करें । विश्व इस्पात टेक्नोलोजी में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ चलने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्राकृतिक ढेलेदार अयस्क की अपेक्षा सिन्टर-फीड एवं गोलों की बढ़ती हुई मांग के साथ समंजन करें । लौह अयस्क के निर्यात कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिस का उद्देश्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है ।

पोदीने के सत का आयात

7992. **श्री रमानी :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री उमानाथ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोदीने के सत के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश में काफी मात्रा में आयातित पोदीने का सत्त पहुंच चुका है जिसके लिए कुछ वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को लाइसेंस दिये गये थे;

(ग) उन वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं के नाम क्या हैं और इसकी कुल कितनी मात्रा का तथा कितने मूल्य के पोदीने के सत्त का आयात किया गया है;

(घ) क्या भारतीय उत्पादकों से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें अपना माल बेचना कठिन हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देशी उद्योग की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1336/67**] जिसमें अप्रैल-मार्च, 1965 से अप्रैल-मार्च, 1967 तक की अवधियों में पोदीने के सत्त के वास्तविक आयात की मात्रा तथा मूल्य दिया गया है (अनुबन्ध ?)

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें पोदीने के सत्त के आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा दिया गया है (अनुबन्ध 2) । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1336/67**]

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय का निर्यात

7993. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम चाय का निर्यात आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा चाय का निर्यात कब से आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चाय के निर्यात व्यापार को स्वयं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव राज्य व्यापार निगम के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक अनुसन्धान तथा उद्योगों के बीच समन्वय का अभाव

7994. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
कुमारी रंजनी गंधा :
श्री कुण्डू :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक अनुसन्धान तथा उद्योगों के बीच समन्वय न होने के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को औद्योगिक अनुसंधान और उद्योगों के बीच कारगर समन्वय के अन्तर के बारे में पता है।

(ख) किये गये या किये जाने वाले कुछ उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषद में उद्योगों के तकनीकी विशेषज्ञों तथा (विकास तथा विनियमन), अधिनियम के अधीन बनाई गई विकास परिषदों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों का आपसी आधार पर रखा जाना।

(2) उद्योगों के लिये सहकारी अनुसंधान संघों की व्यवस्था करना, इस समय 12 सहकारी अनुसन्धान संघ कार्य कर रहे हैं या पंजीबद्ध हैं।

(3) अनुसंधान और उद्योग के मिलने जुलने की व्यवस्था करना तथा प्रयोगशालाओं द्वारा देखने के लिये दिन निश्चित करना। उद्योगों से कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे किये जा रहे कार्य को आकर देखें और विचारों का आदान प्रदान से लाभ उठायें। इससे प्रयोगशालाओं को अनुसंधान की समस्याओं को समझने में सुविधा मिलेगी जो उद्योगों के लिये लाभकारी होगा।

(4) प्रयोगशालाओं में अपने अपने प्रादेशिक और विस्तार केन्द्र स्थापित किये हैं जिससे उस क्षेत्र के उद्योगों के साथ गहरा सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

(5) केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया के सहयोग से केमिकल उद्योगों के लिये बम्बई में एक तकनीकी सूचना केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है। इसी प्रकार के केन्द्र कलकत्ता और बंगलौर में भी स्थापित करने का आवेदन है।

(6) समय समय पर बुलेटिनों तथा अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन करके अनुसंधान के परिणामों की जानकारी देना।

(7) उद्योग के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अनुसन्धान प्रयोगशालाओं को देखने जाने तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों को सम्बन्धित उद्योग देखने जाने के लिये प्रोत्साहन देना।

सीमेंट का उत्पादन

7995. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में सीमेंट के उत्पादन लक्ष्य में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब प्रस्तावित लक्ष्य क्या है; और

(घ) इसमें से कितना उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1970–71 तक सीमेंट की क्षमता और उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 230 लाख और 200 लाख मी० टन बताया गया है। योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये पुनरीक्षण के अनुसार यह पता चला है कि अर्थ व्यवस्था में आई सामान्य शिथिलता को ध्यान में रखते हुए सीमेंट की मांग 1970–71 तक बढ़ कर 200 लाख मी० टन तक नहीं पहुंचेगी जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया है। सीमेंट की संशोधित मांग का अनुमान तभी लगाया जायेगा जब चौथी योजना के खर्च तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवंटन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा।

(घ) जब तक लक्ष्य अन्तिम रूप से निश्चित नहीं कर लिया जाता तब तक यह कह सकना कठिन है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उसमें से कितना उत्पादन हो सकेगा। फिर भी मोटे अनुमान के आधार पर गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन हो जाने की आशा है।

हरिद्वार में हैवी इलैक्ट्रीकल्स प्लांट

7996. **श्री पार्थसारथी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रीकल्स इक्वीपमेंट प्लांट में चौथी पंच वर्षीय योजना में 440 मेगावाट टन-बिजली पैदा करने की क्षमता हो जाने का अनुमान था, किन्तु वास्तव में अब तक इस कारखाने को केवल 85 मेगावाट के ही क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इतना बड़ा अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) ये आर्डर चौथी पंच वर्षीय योजना की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली जल-विद्युत योजनाओं पर आधारित हैं, और इन जनरेटिंग सेटों की संख्या यद्यपि 5 है तो भी ये 4.6 मेगावाट से 30 मेगावाट से कम पराम के हैं।

भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

7997. **श्री पार्थसारथी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर कोई निर्णय कर लिया है कि केरल की इद्दिक्की परियोजना जैसी परियोजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए जनित्र (जनरेटर) भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रीकल्स में बनाये जाय या उनका आयात कनाडा से किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) सरकार की नीति यह है कि यदि तापीय तथा जल से बिजली उत्पन्न करने वाले सेटों का निर्माण देश में ही किया जा सकता है तो उनका आयात करने की अनुमति न दी जाये। इद्दिक्की परियोजना के लिए जेनरेटरों के बारे में शीघ्र ही निर्णय किये जाने की आशा है।

सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाया जाना

7998. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1966 में सीमेंट पर से नियंत्रण हट जाने की योजना लागू की जाने के बाद से इसके कार्य संचालन के बारे में हाल ही में उच्च स्तरीय पुनर्विलोकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन विशिष्ट पहलुओं पर विचार किया गया है तथा उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इसको दृष्टि में रखते हुए क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । 1966 के अन्त में सीमेंट से नियंत्रण हटाए जाने की योजना का पुनरीक्षण किया गया था । सीमेंट से नियंत्रण 1 जनवरी, 1966 से इस शर्त पर हटाया गया था कि विनियंत्रण व्यवस्था का एक साल के पश्चात पुनरीक्षण किया जाएगा । उद्योग में निम्नलिखित आश्वासन दिये :–

1. सीमेंट का रेल तक निःशुल्क सम्भरण उसी मूल्य पर किया जायेगा जिस पर नियंत्रण हटाए जाने के पूर्व किया जा रहा था। और उसके मूल्य में वृद्धि विकास तत्व बढ़ रेल भाड़े तथा उत्पादन शुल्क मैं वृद्धि यदि कोई हो, की सीमा तक ही सरकार द्वारा स्वीकृति दी जायेगी ।
2. दूर स्थित क्षेत्र जैसे आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा काश्मीर आदि को सीमेंट का सम्भरण उसी प्रकार होता रहेगा जिस प्रकार अभी तक हुआ करता था ।
3. प्रत्येक राज्य को सीमेंट का सम्भरण उसी प्रकार होता रहेगा या उस में सुधार किया जा सकता है ।
4. कृषि कार्यों के लिए सीमेंट के आवन्टन पर विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा ।
5. पैकिंग के खर्चे का निर्धारण वर्तमान सूत्र के आधार पर ही किया जायेगा ।
6. प्रत्येक एकक को अपने कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत सम्भरण सरकार की ओर से इन्डेंट करने वालों को दर:संविदा पर किये जाने के लिए रक्षित रखना होगा ।
7. लाभांश का चालू स्तर पर ही स्थिर रहेगा ।
8. नियंत्रण हटने से बढ़ी कीमतों से प्राप्त होने वाले कुल साधनों को एक पृथक लेखे में रखा जायगा और उसमें से धन केवल विस्तार कार्यों के लिए ही निकाला जा सकेगा ।

सीमेंट से नियंत्रण हटाए जाने की योजना ऐसी चल रही है इसका पुनरीक्षण विशेष रूप से उपरोक्त आश्वासनों के साथ में किया गया था। समझा गया था कि सीमेंट उद्योग ने पुनरीक्षण की अवधि में अपने आश्वासनों को बहुत कुछ पूरा किया है ।

(ग) निर्णय किया गया था कि सीमेंट के मूल्य आम विवरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था को कम से कम एक वर्ष तक और अर्थात् 1967 में भी चालू रखा जाय ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा की जाना

7999. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय टिकट जांच दल ने जालन्धर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिना टिकट यात्रा करते हुए एक स्टेशन मास्टर और पुलिस अधिकारी को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत दो वर्षों में कितने सरकारी कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। एक स्टेशन मास्टर और कुछ पुलिस अधिकारियों को मुक्तेश्वर, मंडी गोविन्दगढ़ मौर, धवलान और लुधियाना स्टेशनों के बीच बिना टिकट यात्रा करते पकड़ा गया था।

(ख) इन सब पदाधिकारियों को रेलवे मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था।

(ग) सरकारी कर्मचारियों को बिना टिकट यात्रा करने के अलग से आंकड़े नहीं बनाये जाते। रेलवे द्वारा केवल बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े रखे जाते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी टिकट यात्रा करते पकड़े गये हैं।

37–अप पंजाब मेल रेल गाड़ी का देर से चलना

8000. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पिछले दो महीनों से 37–अप पंजाब मेल (बम्बई–फीरोजपुर रेलगाड़ी के देर से चलने की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह गाड़ी प्रायः प्रतिदिन दो चार घंटे देर से चलती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन दिनों में जब यह गाड़ी बहुत देर से चलती है अथवा यात्रियों की भीड़ बहुत होती है, एक और पंजाब मेल रेलगाड़ी चलाने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 1.5 67 से 25.7.67 के दौरान 5 डी एन० 37–अप बम्बई वी०टी० फीरोजपुर मेल अपने गन्तव्य स्थान फिरोजपुर 14 बार दो से चार घंटे तक देरी से पहुँची। गाड़ी के देरी से चलने के कारण सिगनल का खराब होना, नियंत्रण का फेल होना, भारी वर्षा के कारण बम्बई डिवीजन की रेल पटरी पर पानी का भर जाना, गर्मियों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ के कारण बहुत अधिक बार जंजीर का खींचा जाना थे।

(ग) बम्बई वी० टी से चलने वाली गाड़ी के आकस्मिक कारणों जैसे दुर्घटना, पटरी का टूट जाना दूर जाने वाली गाड़ी द्वारा रास्ता बदलने, और यातायात अनुमति न मिलने पर दिल्ली और फिरोजपुर के बीच यथा सम्भव दूसरी गाड़ी चलाई जाती है।

ऐनकों के शीशों का आयात

8001. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प० न० सोलंकी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने मूल्य के ऐनकों के शीशों का आयात किया गया;

(ख) क्या इनके लिये देश में विद्यमान उत्पादन क्षमता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) इनका भारत में उत्पादन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके।

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है।

(ख) और (ग) सोवियत सरकार के सहयोग से ऐनकों के शीशों के निर्माण के लिए एक उपक्रम दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है जिसकी क्षमता 300 मे० टन प्रतिवर्ष होगी।

कोटा में औजार बनाने का कारखाना

8002. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के सहयोग से कोटा में सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले औजार बनाने के कारखाने का कुल परिव्यय कितना है;

(ख) इसकी निर्धारित क्षमता कितनी होगी तथा इसमें कौन से औजारों का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) इस कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) परियोजना का कुल अनुमानित व्यय 7.99 करोड़ रुपये हैं।

(ख) मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा को विवरण में बताई गई वस्तुओं तथा उनके सा.ने दिखाई गई क्षमता के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1337/67]

(ग) 1968 में।

कम्प्रेशरों और पम्पों का निर्माण

8003. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में बड़े कम्प्रेशर और पम्प (1000 सी० एफ० एम० से अधिक) बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्ति हेतु कितने आवेदन पत्र नामंजूर किये गये;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इनको बनाने की क्षमता और अपेक्षित जानकारी रखने वाली फर्मों को भी इनका निर्माण करने से रोका गया है, हालांकि हमें इन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जनवरी, 1964 से 700 सी० एफ० एम० से अधिक क्षमता के कम्प्रेशनों की नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने पर रोक लगादी गई है। इलाहाबाद में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सरकारी क्षेत्र के एकक में बड़े आकार के पम्प तथा कम्प्रेसर बनाने का कार्यक्रम है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने 700 से अधिक सी० एफ० एम० के कम्प्रेसरों के निर्माण के किसी भी दूसरे प्रस्ताव को नहीं माना है।

पम्पों की क्षमता सी० एफ० एम० में नहीं व्यक्त की जाती है। पानी के पम्पों, जिसकी मांग वर्तमान एकक पूरी करने की स्थिति में हैं, को छोड़कर पम्पों के निर्माण के आवेदनों पर गत दो वर्षों में गुणवगण के आधार पर विचार किया गया था। गत दो वर्षों में बड़े पम्पों का निर्माण करने के लिए किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया गया है। दिसम्बर, 1966 से पम्पों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया हैं।

(ग) जी नहीं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सम्भावित मांग पूरी करने हेतु आवयश्क क्षमता के लिए योजना बनाली गई है। जब तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाता तभी पम्पों का आयात किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे में मेहसाना-अजमेर रेलगाड़ी का देर से चलना

8004. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० ना० सोलंकी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी रेलवे में मेहसाना अजमेर 229 अप तथा 230 डाउन रेल गाड़ियों के प्राय: देर से चलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले छः महीनों में कितनी बार ये गाड़ियां निश्चित समय से पीछे रही थी; और

(घ) पिछले छः महीनों में ये गाड़ियां विशेषकर जवाई बांध फालना तथा रानी स्टेशनों पर औसतन कितनी देरी से चल रही थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह गाड़ी असंतोष ढंग से चल रही है। और जून, 67 में समाप्त होने वाली छमाई तक यह गाड़ी महीने में औसतन 22 से 28 बार देरी से चली। गर्मी के महीनों में जब अकाल के कारण पानी सप्लाई करने के लिये इस गाड़ी को स्टेशनों पर और अधिक रुकना पड़ता था तो यह देरी और भी बढ़ गई।

(घ) पिछले छः महीनों में अप 230 डाउन अपने गन्तव्य स्थान जवाई बांध, फालना और रानी स्टेशनों पर क्रमशः 2 घंटे, 40 मिनट और 40 मिनट औसतन देरी से पहुंची और उसको ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	जवाई–बांध	फालना	रानी
229 अप	58 मिनट	1 घंटा 3 मिनट	1 घंटा 3 मिनट
230 डाउन	1 घंटा 31 मिनट	1 घंटा 36 मिनट	1 घंटा 36 मिनट

भागलपुर-मण्डार हिल ब्रांच लाइन पर बोगियों की संख्या में वृद्धि

8005. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडार हिल तथा अन्य स्टेशनों की जनता ने भागलपुर मंडार हिल ब्रांच लाइन (पूर्वी रेलवे) पर चलने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में बोगियों की संख्या चार से छः तक बढ़ाई जाने की मांग की है क्योंकि इस लाइन पर सदा अत्याधिक भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकगण इस मांग को स्वीकार कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि इस लाइन पर अत्यधिक भीड़ रहती है. तथापि भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के कारण यात्रा करने वाली जनता में से 65 प्रतिशत लोग मुफ्त तथा रियायति देरों पर यात्रा करते हैंः और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मुफ्त यात्रा को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है !

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में भागलपुर मंडार हिल ब्रांच लाइन पर चलने वाली सेवाओं को प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण से पता लगा है कि भागलपुर पर थोड़ी भीड़ थी, परन्तु गाड़ी में उपलब्ध जगह का उचित प्रयोग नहीं किया गया था।

यह कहना ठीक नहीं है इस क्षेत्र में 75 प्रतिशत लोग भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के कारण बिना टिकट यात्रा करते हैं। अभी हाल की जांच से पता लगा है कि इस क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं।

(घ) पूर्वी रेलवे से कहा गया है कि वह इस भाग में टिकट जांच के प्रबन्ध तेज कर दें।

कांगड़ा घाटी में रेलवे के माल डिब्बों सवारी डिब्बे और इंजन

8006. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कितने माल डिब्बे, सवारी डिब्बे और इंजन पुराने हो जाने पर भी कांगड़ा घाटी (नेरो गेज) रेलवे लाइन पर चल रहे हैं;

(ख) उन में से कितने माल डिब्बे, सवारी डिब्बे तथा इन्जनों के स्थान पर 1967-68 में नये माल डिब्बे, नये सवारी डिब्बे तथा नये इंजन देने का विचार है; और

(ग) क्या 1965-66 अथवा 1966-67 में उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कुछ डिब्बों और इंजनों के स्थान पर नये डिब्बे और इंजन दिये गये हैं;

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मेरे विचार से माननीय सदस्य का अभिप्राय बहुत अधिक घिसे इंजनों से है। सब क्षेत्रों पर पुराने माल डिब्बों और इंजनों को क्रमशः 40, 30 और 40 वर्षों बाद बदले जाने की व्यवस्था है। छोटी लाइन पर कम टूट फूट होने के कारण इनको क्रमशः 50, 45 और 50 वर्षों बाद बदले जाने की व्यवस्था है। इसके साथ उनकी दशा पर भी निर्भर करता है। उन दोहराई गई बदले जाने की सीमा के आधार पर कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन पर माल डिब्बों, यात्री डिब्बों और इंजनों की सीमा इस प्रकार है:—

	माल डिब्बे	30
	यात्री डिब्बे	15
	इंजन	4
(ख)	माल डिब्बे	कोई नहीं
	यात्री डिब्बे	6
	इंजन	कोई नहीं
(ग)	माल डिब्बे	कोई नहीं
	यात्री डिब्बे	2
	इंजन	कोई नहीं

Survey of Markets by H. S. L.

8007. Shri Ram Avatar Sharma : **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Y. S. Kushwah : **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the delegation sent by the Hindustan Steel Limited for survey of the markets in Africa and South East Asia has submitted any report to the Government;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) The delegation was sent by Hindustan Steel Limited to survey markets for rails in African and Middle-East countries. The delegation has submitted its report.

(b) and (c) The delegation surveyed the markets in Turkey, Greece U. A. R., Sudan, Ghana, Ethiopia, East Africa, Tunisia, Iraq, Iran, Lebanon, Syria, Gulf Area and North Africa. The delegation also took the opportunity of assessing the possibilities of export of products of Hindustan Steel Ltd. other than rails and also rail accessories. The delegation had detailed discussions regarding specifications etc. of rails with the technical personnel of the State Railways of various countries, which they visited. They studied the existing railway projects and the Projects with are likely to come up in future in these countries.

In the report, the delegation has made certian recommendations on the technical and commercial aspects of exports which are under consideration.

Publication of Journals for Promoting Export Trade

8008. Shri Ram Avatar Sharma : **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Dr. Surya Prakash Puri :**
Shri Arjun Singh Bhadoria : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of Journals published by Government during 1966 for promoting export trade;

(b) the amount of expenditure incurred on these Journals during the same period; and

(c) the extent of their circulation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The required information is given below :

Journals published by Govt. during 1966 for promoting	Expenditure incurred	Extent of circulation
(i) India Exports—Quarterly	About Rs. 16.000	5,000

(ii)	Foreign Trade of India--Monthly	About Rs. 175,000	3,000
(iii)	Journal of Industry and Trade--Monthly	About Rs. 120,000	4,200
(iv)	India Export Service Bulletin—Weekly	About Rs. 59,000	2,200
(v)	Indian Trade Journal--Weekly.	About Rs. 5,44,284	4,700

निर्यात को बढ़ाने के लिये चलचित्रों का प्रदर्शन

8009. श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री आत्म दास :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे निर्यात–माल का प्रचार करने के लिये बनाई गई फिल्मों पर कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(ख) इन फिल्मों का प्रदर्शन किन-किन देशों में किया गया है; और

(ग) इन फिल्मों के प्रदर्शन का हमारे निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1958 से 1966 की अवधि में निर्यात प्रचार के लिये बनाए गये 27 वृत्तचित्रों पर खर्च की गई कुल राशि 12,22,000 रु० है ।

(ख) इन चित्रों के प्रिण्ट, विदेशों में भारत सरकार के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सूची संलग्न है) को प्रदर्शन के लिए दिये जाते हैं। ये उन मेलों तथा प्रदर्शनियों में भी दिखाए जाते हैं जिसमें भारत भाग लेता है ।

(ग) कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

विवरण

उन देशों की सूची जिनमें भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधि हैं

ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, स्विटजरलैण्ड, युगोस्लावाकिया, सोवियत रूस, पोलैंड, रूमानियां, हंगरी, सं० रा० अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश कोलम्बिया, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, सेनेगल, मोरक्को, सूडान, इथोपिया, ट्यूनीशिया, युगाण्डा, जापान, हांगकांग, फिलिपाइन, थाइलैंड, कम्बोडिया, बर्मा, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अदन, सऊदी अरब, सीरियन अरब गणराज्य, इराक, लेबनान, ईरान और जोर्डन ।

Coal Production by N. C D. C.

8010· Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantity of coal/produced by the National Coal Development Coroporation and Private Coal/Mines separately during the last five years;

(b) the total capital investment in both kinds of these mines and the number of labourers, other employees and officers in them; and

(c) the position regarding coal mines in Bihar in respect of the figures pertaining to parts (a) and (b) above ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) A statement is laid on the Table of the House (Annexure-I) **[Placed in Library, See No. LT-1338/67]**

The total capital investment on National Coal Development Corporation mines is of the order of Rs. 162 crores. There are 734 officers, 11,699 monthly paid staff and 50,804 daily/pirce-rated workers working in the various mines the National Coal Development Corporation. Corresponding information in respect of private sector coal mines is not available.

(c) A statement showing the quantity of coal produced by National Coal Development Corporation coal mines and private sector coal mines in Bihar during the last five years is attached (Annexure-II). The total capital investment on NCDC mines located in Bihar is of the order of Rs. 96 crores. There are 461 officers, 6880 monthly paid staff and 34,950 daily/piece rated workers working in the various coal mines of the NCDC located in Bihar. Corresponding information is respect of private sector coal mines is is not available.

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में नैमित्तिक श्रमिक

8011. श्री आत्म दास : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में अधिकतर नैमित्तिक श्रमिक स्थायी पदों पर नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर श्रमिकों की सेवा आठ वर्ष से अधिक समय की हो गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को चिकित्सा, शिक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी बीमा आदि बुनियादी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे नैमित्तिक श्रमिकों को ये सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) नियमों के अनुसार जिन निमित्तिक श्रमिकों की ओपन लाइन रेलवे में परियोजना के अलावा छः महीने से अधिक सेवा होती है, वे इस सब अधिकारों और विशेषाधिकारों (पेंशन के लाभ के अलावा) के हकदार हैं जो रेलवे कर्मचारियों को दिये जाते हैं। इन लाभों को उन नैमित्तिक श्रमिकों देने का प्रस्ताव नहीं है जिनको छः महीने से कम के लिए रखा जायेगा।

कोयले का उत्पादन

8013. **श्री आत्म दास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल में कोयले का उत्पादन बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की आवश्यकता पूरी करने बाद फालतू कोयले का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों को कोयले का निर्यात किया जायेगा; और

(घ) इससे विदेशी मुद्रा की कितनी आय होने की आशा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। पिछले दो वर्षों में कोयले के उत्पादन में उत्तरोत्तर हुई है।

(ख) से (घ) भारत पहले से ही प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख टन कोयला बर्मा को तथा 1.5 लाख टन श्रीलंका को निर्यात कर रहा है। फालतू भारतीय कोक तथा गैर कोक कोयले को, जापान, सिंगापुर हांगकांग, मलयेशिया जैसे पड़ोसी देशों को बेचने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। जब तक इन बाजारों में पक्के सौदे नहीं हो जाते, तब तक इन निर्यातों से विदेशी मुद्रा की आय का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में बैटरी के सैलों की कमी

8014. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री ए० ए० सिंह देव :
श्री दे० अमात

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ट्रांजिस्टर तथा टार्चों में प्रयोग होने वाले बैटरी सैलों की अत्याधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जी नहीं, किन्तु मैसर्स यूनियन कार्बाइड के कलकत्ता कारखाने के बन्द हो जाने से संभरण में बाधा पड़ी जिससे कमी की सूचना दी गई है। इस कमी को यूनियन कार्बाइड द्वारा पुनः संभरण शुरू कर देने पर जो शीघ्र ही सम्भव हो जाना चाहिए शुरू किये जाने की आशा है, क्योंकि कम्पनी ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

कोयले के मूल्यों पर से नियन्त्रण हटाया जाना

8015. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले के मूल्यों पर नियन्त्रण समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियन्त्रण हटाने के बाद मूल्य न बढ़े क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) धातु-कार्मिक उद्योगों द्वारा चाहे जाने वाले कोकिंग कोयले को छोड़कर 24-7-67 से सरकार ने सब श्रेणियों के कोयले की कीमतों तथा वितरण पर से नियन्त्रण हटा लिया है।

(ख) कोयला खान नियन्त्रण आदेश की विस्तृत पुनरीक्षा की जा रही है साथ ही साथ कोयला खान (संरक्षा तथा सुरक्षा) अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन पुनरीक्षा की जा रही है। वैगन तथा स्टैक नमूनों के आधार पर कोयले के श्रेणीकरण को हटाने का निर्णय किया गया है। तथापि कोयला खानों में कोयला पर्तों का श्रेणीकरण पहले की तरह किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त कोकिंग कोयले के यातायात तथा उत्पादन आदि को स्वैच्छिक रूप से नियमित बनाने के लिए प्रस्ताव है कि एक कोकिंग कोयला परामर्श समिति स्थापित की जाय जिसमें कोयला तथा इस्पात उद्योग के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि हों।

(ग) नियन्त्रण हटाने के बाद, कोयले का मूल्य उसकी प्राकृतिक मांग तथा सप्लाई द्वारा निश्चित किया जायेगा।

बुनकरों के लिये रोजगार

8016. श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली दशाब्दी में कपड़ा मिलों के बन जाने के कारण बुनकर बेरोजगारी से परेशान हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज-सहायता देकर प्राथमिकता के आधार पर बुनकरों को विद्युत-चालित करघे देकर विद्युत चालित उद्योग को प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, परन्तु शक्ति-चालित करघे लगाने के लिए कोई उपदान नहीं दिया जायेगा।

(ग) शक्ति-चालित करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) शक्ति-चालित करघा उद्योग को लघु उद्योग घोषित किया गया है और उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत तथा अन्य वित्तपोषक अभिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है।

(2) चौथी पंचवर्षीय योजना में शक्ति-चालित करघे लगाने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1,10,000 शक्ति-चालित करघों का नियतन किया गया है। इन शक्ति-चालित करघों के वितरण के सम्बन्ध में उन्हें शय दी गई है कि वे हथकरघा बुनकरों को प्राथमिकता दें।

(3) शक्ति-चालित करघे लगाने वाली हथकरघा सहकारी समितियों को, शक्ति-चालित करघे खरीदने के लिए ऋणों और तीन वर्ष तक धीरे-धीरे कम होने वाले प्रबन्धकीय अनुदानों के रूप में सरकार से सहायता प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है।

(4) सूती शक्ति-चालित करघा उद्योग द्वारा प्रयुक्त सूत और उत्पादित कपड़े पर भिन्न उत्पादन शुल्क के रूप में भी पर्याप्त रियायतें दी गयी हैं।

मनीपुर में कताई मिल

8017. श्री मेघचन्द्र : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में एक कताई मिल स्थापित करने की प्रस्तावित परियोजना को छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब स्थिति क्या है; और

(ग) कब इसके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है और देरी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) देश में कपास की कमी के कारण, कताई या बुनाई के नये सूती मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा हे। वस्तुतः कपास के स्टाक को बनाए रखने के लिये दिसम्बर, 1966 से देश भर में सूती कपड़ा मिलों में मशीनों के चलाने में कमी करनी पड़ी। इसको ध्यान में रखते हुए, इस समय, मणिपुर में एक कताई मिल की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

आगामी मौसम में अच्छी फसल होने की सम्भावनाओं और कपास के उदार आयात से, निकट भविष्य में कपास की विद्यमान कमी के दूर होने तथा मिलों को पुनः सामान्य रूप से कार्य करने की आशा है। उस समय मणिपुर में कताई मिल की स्थापना के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जायेगा।

मनीपुर में हथकरघा से बनाये गये उत्पाद

8018. श्री मेघचन्द्र : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में मनीपुर में हथकरधा से कितनी मात्रा में उत्पादों का उत्पादन किया गया;

(ख) हतकरघों में विभिन्न सूत्रांकों का कितनी मात्रा में प्रयोग किया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि से हथकरघा उद्योग का विकास करने के लिए मनीपुर को कितना धन दिया गया; और

(घ) यदि मनीपुर को सूत का कोई कोटा दिया गया है, तो कितना ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 4.5 करोड़ मीटर।

(ख) भिन्न-भिन्न काउन्ट के पांच पांच कि० ग्रा० के दस लाख बंडल।

(ग) 1,44,583 रु०।

(घ) धागे पर कोई नियन्त्रण नहीं है। अतः धागे का कोई कोटा सप्लाई नहीं किया गया।

मनीपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना

8019. श्री मेघचन्द्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर में प्रस्तावित सीमेंट बनाने का कारखाना लगाने के लिए सरकार ने लाइसेंस दे दिया है;

(ख) प्रस्तावित कारखाने की कितनी क्षमता होगी; और

(ग) इस कारखाने का निर्माण कार्य कब और कहां आरम्भ किया जायेगा और यह कारखाना कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चूंकि सीमेंट उद्योग को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है इसलिये सीमेंट के कारखाने को स्थापित करने के लिए अब किसी को केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है। ऐसा पता चला है कि मणिपुर सरकार लिटन में 30,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाले एक सीमेंट कारखाने को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Paper Mills

8020. Shri Prem Chand Verma : Will the Minister of **Industrial Development Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of paper mills in the country and the number of such paper mills among them among with the particulars of each, as are owned by those persons who own more than one mill;

(b) the annual requirements of paper of the entire country and the total annual production of these mills; and

(c) the names of the places where paper mills are proposed to be set up in public and private sectors during the Fourth Five Year Plan and the total expenditure likely to be incurred thereon and the quantity of paper which would be produced by them ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) 56 None of the existing paper mills are owned by those persons who own more than one Mill. There are, however, certain concerns which are Private Limited Companies or Joint Stock Companies which are managed by the same Managing Agents.

(b) Annual requirements of paper of the entire country are of the order of 600,000 tonnes. The total production of the existing paper mills in 1966 was 583,000 tonnes.

(c) So far as Public Sector is concerned, the possibilities of the setting up of two to three Pulp/Paper/Newsprint plants during the IV Plan period is at the exploratory stage and nothing can be stated at this stage about their cost or exact location. As regards Private Sector the Paper Industry is now exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act. 1951. It seems, however, that no new plant in that Sector is likey to be set up during the IV Plan period.

Cement Factories

8021. **Shri Prem Chand Verma :**
Shri N. K. Sanghi :
Shri Bedabrata Barua :
Shri R. R. Singh Deo :
Shri D. N. Deb :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of cement factories in the country along with their names, locations and the annual production of each of them separately;

(b) the cement requirements of the country during the Fourth Five Year Plan and the total quantity of cement consumed during Third Five Year Plan; and

(c) the number of cement factories proposed to be set up in public and private sector during the Fourth Five Year Plan and the outlay and location thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (c) A list is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-1339/67**] showing (a) the existing cement factories along with their locations and capicity and (b) the new cement factories/expansions of existing factories under construction to be set up in the public and private sectors during the Fourth Five Year Plan.

(b) The cement requirement of the country during Fourth Five Year Plan is about 20 million tonnes. During Third Five Year Plan, a total quantity of 45.6 million tonne of cement was consumed.

Working of Companies

8022. **Shri Prem Chand Verma :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of public undertakings, the number of public limited and private limited companies registered in India and the total authorised and paid-up captial of these undertakings and companies as on the 31st March, 1967;

(b) the number of public limited companies being run by managing agencies at peresent and the paid-up capitial thereof and the name of the ten leading managing agencies which are managing the maximum number of companies. and

(a) the profit shown by public limited, private limited and public undertakings respectively for the year ending the 31st march 1967 ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) As on 31st March, 1967 there were at work 233 Government Companies (as defined under section 617 of the Companies Act) with an aggregate paid-up capital of Rs. 1355.3 crores. The number of public limited non-Government companies on this date was 6311. The paid-up captial of these companies aggregated to Rs. 1441.6 crores. The number of private limited non-Government companies at work on this date was 20,703 and had an aggregate paid-up capital of Rs. 310.3 crores.

The data relating to authorised capital is not being compiled and hence not available,

(b) At peresent 683 public limited companies with total paid-up capital of Rs. 493.4 crores are being managed by managing agencies. The ten leading managing agency companies are indicated below :--

		No. of Companies managed
1.	Birla Bros. Private Limited.	10
2.	Macneill & Barry Limited.	10
3.	Andrew Yule & Company Limited.	9
4.	Williamson Magor & Company Limited.	9
5.	Birla Gwalior Private Limited.	8
6.	Killick Industries Limited.	8
7.	Karam Chand Thapar & Bros., Private Ltd.	8
8.	Duncan Bros. & Company Limited.	8
9.	Jardine Henderson Limited.	8
10.	L. & T. Management Private Limited.	7

(c) As Balance Sheets for the year ending 31st March 1967 have not been filed by most of the companies the required information is not yet available.

मुनीराबाद स्थित तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड

8023. श्री अगाड़ी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में मुनीराबाद में स्थित तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्ज लिमिटेड ने मैसूर राज्य वित्त निगम बंगलौर से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने कितनी राशि का ऋण लिया है और कब;

(ग) इस कम्पनी का पंजीएा किस तारीख को हुआ था उसमें से किस तारीख को निर्माण आरम्भ हुआ था; और

(घ) उस कम्पनी ने कितनी अंश पूंजी जुटाई तथा इस कम्पनी के प्रत्याभूत एवं अप्रत्याभूत दायित्वों का व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का बन्द हो जाना

8024. श्री अगाड़ी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के रायचूर जिले में तुंगभद्रा पल्प एण्ड बोर्ड लिमिटेड, मुनीराबाद बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कितने श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) 27-4-1967 से मिल द्वारा उसे बन्द किये जाने के कारण श्रमिक सम्बन्धी गम्भीर समस्याएं तथा गत्ते पर लगाये उत्पादन शुल्क का भार बताये जाते हैं ।

(ग) लगभग 390 ।

एम० एस० के० मिल्स, लिमिटेड गुलबर्गा

8025. श्री अगाड़ी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० एस० के० मिल्स, लिमिटेड, गुलबर्गा बन्द हो गई हैं, यदि हां, तो कब तथा कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या मिल का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता था और यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ग) क्या इस मिल को गड़बड़ी वाली में सम्मिलित करने तथा इसको चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मिल 29 जून, 1967 को बन्द हुई थी जिससे 2,335 कर्मचारी बेरोजगार हो गए ।

(ख) मिल कम्पनी में मैसूर सरकार के 51 प्रतिशत हिस्से हैं और उसने 171.59 लाख रु० तक की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) बन्द मिलों तथा उन मिलों को, जिनके बन्द होने की सम्भावना है, सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस मामले पर विचार किया जायेगा।

Running of Railway Trolleys

8026. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of Rallway be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the fact that the trolleys on the railway tracks are pushed by men which is inhuman; and

(b) if so, whether Government propose to replace the present trolleys by motor-driven trolleys ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Only "light" trolleys used for inspection purposes, are operated manually. These are pushed by two men at a time and the effort involved is not very strenuous, but even so, four men are provided with each trolley. there is therefore nothing inhuman in the manual operation of these trolleys. There is no proposal to replace them by motor-driven trolleys, as the latter are not only costlier but also have their own limitations whereby their use has necessarily to be on a restricted scale.

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में मितव्ययता

8027. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मितव्ययता अभियान चला रखा है और उसने बहुत से कर्मचारियों को तत्-निम्न पदों पर पदावनत कर दिया है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड बहुत अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को विशेष वेतन दिये जाने की प्रथा को समाप्त करने तथा अधिकारियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर होने वाले खर्च में कटौती करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशाओं में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे में प्रशासन को दोषरहित बनाने और प्रशासन व्यय में मितव्ययता लाने के अभिप्राय से विभिन्न पदों के काम और उनके न्यायोचित होने के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन किया गया था। उसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ सहायक निदेशक/अवर सचिव आदि के 6 पदों और अनुभाग अधिकारी के 14 पदों को समर्पण कर दिया गया है। इन पदों के छोड़े जाने के परिणामस्वरूप कुछ पदानवतियां हुई हैं।

(ख) और (ग) निदेशकों, संयुक्त निदेशकों और उपनिदेशकों के उच्च दायित्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड के इन पदाधिकारियों को मिलने वाले विशेष वेतन के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यात्रा और दैनिक भत्तों को न्यूनतम रखा गया है। अगस्त, 1966 से पदाधिकारियों को वायु यात्रा के मिलने वाले व्यय में 30 रुपये से घटाकर 20 रुपया कर दिया गया है।

स्प्रे स्टील मेकिंग तरीका

8028. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के धातुक-र्मविज्ञों ने इस्पात बनाने का एक नया तरीका निकाला है जिसे स्प्रे स्टील मेकिंग तरीका कहा जाता है, जिसकी पूंजीगत लागत कम है और जिसकी उत्पादन लागत भी कम होती है;

(ख) क्या इस तरीके का परीक्षण भारत में किया गया है;

(ग) वर्तमान तरीके की तुलना में नया तरीका कितना लाभदायक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस नये तरीके का प्रयोग सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां । दि ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील रिसर्च एसोसीएशन (Bisra) इस बात का दावा करती है कि उसने इस्पात बनाने का एक नया तरीका निकाला है जिसे स्प्रे स्टील मेकिंग तरीका कहते हैं। वे इस बात का भी दावा करते हैं कि यदि इन्जीनियरी सम्बन्धी कठिनाइयों पर काबू पा लिया जाये तो उतनी क्षमता के इस्पात बनाने वाले दूसरे कारखानों की तुलना में पूंजीगत लागत कम बैठती है ।

(ख) जी, नहीं । अभी इस तरीके का परीक्षण किया जा रहा है और यू० के० में वाणिज्यिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) इस तरीके में लगातार उत्पादन करने के तरीके के लाभ अन्तर्निहित हैं। कम पूंजीगत लागत और अधिक उत्पादन के अलावा, ऐसा भी कहा जाता हैं कि इसमें उष्मसह की खपत भी कम होती है ।

(घ) जब तक यू० के० और दूसरे देशों में इस तरीके की वाणिज्यिक सफलता का पूरा पूरा पता नहीं लग जाता तब तक भारत में वाणिज्यिक स्तर पर इस तरीके के गुण दोषों का मूल्यांकन करना समयपूर्व होगा । वर्तमान अवस्था में यह तरीका कम क्षमता के कारखानों के अधिक अनुकूल है । फिर भी इस बारे में जो भी अधिक जानकारी हो रही है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा रहा है ताकि वाणिज्यक स्तर पर जहां कहीं भी सम्भव हो इस तरीके को काम में लाया जाये जिससे पूंजी कम लगे और कम लागत पर उत्पादन किया जा सके ।

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में विशेष वेतन तथा भत्ते

8029. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में कितने अधिकारी विशेष वेतन तथा भत्ते ले रहे हैं;

(ख) गत एक वर्ष में कुल कितना समयोपरि भत्ता दिया गया है ; और

(ग) बोर्ड का विचार बचत आन्दोलन के अन्तर्गत सहायकों तथा अपर डिवीजन क्लर्कों की पदावनति से कितनी बचत करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 136 अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है।

(ख) 1966-67 के दौरान 3,46,118 रुपये समयोपरि भत्ता दिया गया।

(ग) प्रशासन में मितव्ययता करने के अभिप्राय से विभिन्न पदों के कार्य भार और न्यायोचितता के सम्बन्ध में किये गये पुर्नलोकन के परिणामस्वरूप सहायक निदेशक/अवर सचिव आदि के 6 पदों और अनुभाग अधिकारियों के 14 पदों में कमी की गई। इसके परिणामस्वरूप कुछ सहायकों और अपर डिवीजन कलर्कों को पदानवित किया गया। इन पदों के सम्पंरण करने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 2.6 लाख रुपये की बचत होने की सम्भावना है।

पत्तियों (बिलेटों) के मूल्य

8030. श्री अ० क० गोपालन : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की पिछली बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि संयुक्त संयंत्र समिति स्थिति पर विचार करेगी और पत्तियों (बिलेटों) की कीमतों को कम करेगी;

(ख) क्या पुनर्वेलन मिलों (रिरोलरो) ने सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन दिया है कि जब तक पत्तियों (बिलेटों) के दाम कम नहीं किये जाते या पुनर्वेलन के माल के निर्यात के लिए अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती, 1967-68 में निर्यात पर बहुत असर पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) 2-5-1967 और इसके बाद निर्यात किये गये छड़ और राउण्ड्स पर नकद सहायता बढ़ा दी गई है। इस तारीख से बिलेट के दाम बढ़े थे।

होटगी-शोलापुर मीटर गेज लाइन (मध्य रेलवे) का बन्द हो जाना

8031. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे ने होटगी-शोलापुर मीटर गेज लाइन को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेशम की टाइयों का निर्यात

8032. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ तथा भारत के अन्य भागों से अमरीका को रेशम की टाइयों का निर्यात किया जाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो अमरीका और अन्य देशों को प्रतिवर्ष रेशम की टाइयों को कुल कितना निर्यात किया जाता है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेशमी टाइयों अमेरिका को निर्यात की जाती हैं परन्तु लखनऊ से रेशमी टाइयों का कोई निर्यात नहीं किया जाता।

(ख) अमेरिका तथा अन्य देशों को निर्यात के अलग-अलग आंकड़े उपबन्ध नहीं हैं। वर्ष 1965, 1966 तथा जनवरी–जून, 1967 में रेशमी टाइयों के निर्यात से उपार्जित विदेशी मुद्रा क्रमशः 36,000, 34,000 तथा 21000 अमरीकी डालर थी।

ग्लैक्सो एण्ड त्रि सूरे इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई

8033. श्री मेघचन्द्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कम्पनियों को इस विशिष्ट शर्त पर भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिये गये थे कि पांच वर्षों के अन्दर उन्हें भारतीयों को अपने अंशधारी बनाना पड़ेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्लैक्सो एण्ड त्रि सूरे इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई आदि बहुत सी विदेशी कम्पनियों ने इस वचन को जोडा है; और

(ग) यदि हां, तो इन कम्पनियों को अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

8034. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को अक्तूबर, 1959 में कोई आयात लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, किन-किन और कितने मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया था;

(ग) उपर्युक्त आयात लाइसेंस की शर्तें क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त लाइसेंस के अन्तर्गत मंगाई जाने वाली वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस तारीख से प्रतिबन्ध लगाया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) ; (क) से (ङ) मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को अक्तूबर, 1959 में एक आयात लाइसेंस दिया गया था। क्योंकि 3-6-1967 को मुख्य प्रजिडेन्सी मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस लाइसेंस के कथित दुरुपयोग का मुकदमा दायर कर दिया गया, अतः मामला न्यायाधीन है।

Demand for D. A. by Madras Division of Southern Railway Workers' Union

8035. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sri Chand Goel :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether the Madras Division of the Southern Railway Workers' Union has taken a decision to go on fast in order to press their demand for Dearness Allowance; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no Trade Union on Southrn Railway with the name ',Workers' Union" However, the Divisional Council of the Southern Railway Mazdoor Union passed a resolution to this effect.

(b) No unilateral decision can be taken in the matter by this Ministry, as this question affects Central Government employees as a whole Decisions are expected to be taken in the near future and will be equally applicable to railway employees as well.

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

8036. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क के एक भारतीय उत्पादक को अपना अयस्क सीधे विश्व बाजार में बेचने की अनुमति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार के इस आदेश का उल्लंघन अथवा हनन होता है, कि इस प्रकार का व्यापार सरकार के माध्यम से होना चाहिए;

(ग) क्या मैंगनीज अयस्क के अन्य उत्पादकों को भी सरकार का विचार ऐसी सुविधायें देने का है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के माध्यम से व्यापार प्रणाली को समाप्त करना वांछनीय नहीं होगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अमरीका को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

8037. श्री जं० ब० सिं० बिस्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब एजेंसी सिस्टम के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को सीधे मैंगनीज अयस्क बेचा जाता था तब अमरीका को कितना मैंगनीज अयस्क बेचा गया तथा 1966 के उत्तरार्ध में एजेंसी सिस्टम की समाप्ति होने के बाद अमरीका को कितना मैंगनीज अयस्क बेचा गया;

(ख) क्या यह सच है कि इस परिवर्तन के कारण अमरीका को मैंगनीज अयस्क की बिक्री बहुत कम हो गई है; और

(ग) खान तथा धातु व्यापार निगम ने किन बातों को ध्यान में रख कर अमरीका में एजेंसी सिस्टम को समाप्त किया था तथा क्या ऐसा करने से पहले सरकार की अनुमति ली गई थी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) वर्ष 1965 तथा 1966 में अमेरिका में एजेंटों द्वारा की गयी बिक्री क्रमशः 73,000 टन तथा 42,500 टन थी। 1-1-1967 से एजेंसी प्रणाली समाप्त कर देने के पश्चात 1967 (केवल पूर्वार्द्ध) में बिक्री बढ़कर 95,000 टन हो गयी।

(ख) जी, नहीं; अपितु बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है :

(ग) जब एजेंसी प्रणाली बिक्री बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उसे बन्द कर दिया। निगम के ऐसे व्यापार कार्यों में सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

जापान को लौह–युक्त अयस्क का निर्यात

8038. श्री जं० ब० सिं० बिस्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 में जापान को निर्यात किये जाने वाले लौह-युक्त अयस्क के विक्रय मूल्य में 1966 के मूल्य की तुलना में प्रति टन साढ़े तीन शिलिंग की कमी कर दी गई है जब कि विश्व में इसके मूल्य स्थिर रहे हैं और यदि हां, तो किन विशेष कारणों के वशीभूत होकर खान तथा धातु व्यापार निगम ने जापान के लिए इस रियायत को स्वीकार किया है;

(ख) क्या खान तथा धातु व्यापार निगम के प्रधान ने पहले जापान में इस्पात मिलों के प्रतिनिधियों के समक्ष तथा बाद में मैंगनीज अयस्क सलाहकार समिति के समक्ष भारत में

इस आशय का वक्तव्य दिया था कि खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 1966 में इतना अधिक मूल्य लिया जाना बहुत ही अनुचित तथा अनैतिक काम था और यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य दी गई रियायत का औचित्य सिद्ध करने के लिये दिया गया था और क्या सरकार इस वक्तव्य का अनुमोदन करती है; और

(ग) क्या यह सच है कि खान तथा धातु व्यापार निगम के प्रधान ने 10 अप्रैल को हुई मैंगनीज अयस्क सलाहकार समिति की बैठक में मूल्य को 4.5 शिलिंग तक और कम करने के अपने इरादे के बारे में वक्तव्य दिया है और यदि हां, तो क्या ऐसे वक्तव्य देने से विदेशी ग्राहकों के साथ सौदा करने की हमारी स्थिति कमजोर नहीं हो जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : लोहित लौह अयस्क का जापान को विक्रय मूल्य 1965 के 75–1।2 शिलिंग प्रति टन से बढ़ाकर 1966 में 83 शिलिंग प्रति टन किया गया था। मूल्यों में इस वृद्धि के कारण जापान ने 1966 में भारत से खरीददारी कम कर दी और अन्य देशों से खरीदारी की। लम्बी अवधि के लिए संविदाएं प्राप्त करने तथा जापान की पार्टियों को 1967 में अधिक मात्रा में खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए मूल्य में 3–1।2 शिलिंग प्रति टन की कमी स्वीकार की गयी थी 1965 की तुलना में 1967 के मूल्य 4 शिलिंग प्रति टन अधिक है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

8039. श्री ०जं ब० सिंह बिष्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मैंगनीज अयस्क की बिक्री, जो 1964 और 1965 में काफी बढ़ गई थी, 1966 और 1967 में कम हो गई है, जबकि विश्व बाजार में कोई मन्दी नहीं आई थी;

(ख) यदि हां, तो बिक्री में कितनी कमी हुई है और क्या यह कमी खान तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मैंगनीज अयस्क के व्यापार को ठीक ढंग से न सम्भाले जाने के कारण हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से विदेशियों ने और मैंगनीज का व्यापार करने वाले लोगों ने खान तथा धातु व्यापार निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में सरकार से यह शिकायत की है, और यदि हां तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या अधिकांश उपभोक्ताओं ने, विशेषकर साझा बाजार के अधिकांश उपभोक्ताओं ने वस्तुओं की सप्लाई के बारे में भारत को अविश्वसनीय माना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) पिछले 6 वर्षों में मैंगनीज अयस्क का निर्यात निम्नलिखित था :—

वर्ष	मात्रा (हजार टन में)
1962	908
1963	932
1964	1569
1965	1422
1966	1214
1967 (जून तक)	650 (अनुमानित)

वर्ष 1962 तथा 1963 में निर्यात अपेक्षाकृत कम था। वर्ष 1964 तथा 1965 में निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि वस्तु-विनिमय तथा सम्बद्ध करारों द्वारा प्राप्त की गयी। निर्यात व्यापार को अधिक सुदृढ़ आधार देने के उद्देश्य से वर्ष 1966 से वस्तु-विनिमय आदि द्वारा विक्रय बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त अवमूल्यन के बाद अनिश्चितता की अस्थायी अवधि रही जिसने इस व्यापार पर कुप्रभाव डाला। निर्यात में पुनः वृद्धि हो रही है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा व्यापार को ठीक ढंग से न सम्भालने जैसी कोई बात नहीं हुई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करने वाले लोग

8040. श्री जं० ब० सिंह बिष्ट : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क की सप्लाई करने वालों को स्पष्ट ऋण के रूप में कितना धन दिया है;

(ख) ऋण देने के मामले में उस निगम ने किस नीति का पालन किया है;

(ग) क्या यह ऋण उन पक्षों को दिये गये हैं जिनका काम बड़ा असन्तोषप्रद रहा है तथा जिन्होंने अभी बहुत धन निगम को देना है;

(घ) क्या यह सच है कि ये ऋण चुने हुए लोगों को ही दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस ऋण को सुरक्षित मानती है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जून, 1967 तक 65,47,950.00 रुपये।

(ख) और (ङ) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को मैंगनीज अयस्क सप्लाई करने वाले सभी व्यक्ति ऐसे ऋण लेने के लिए पात्र हैं। ऋण देते समय सप्लाई करने वालों के विगत निष्पादन, साख, उत्पादन-क्षमता तथा खनिज धातु व्यापार निगम को मैंगनीज अयस्क की सप्लाई की सुदृढ़ संविदाओं आदि पर निगम विचार करता है। अयस्क की सुपुर्दगी पर

अनुपात से ऋणों का संमजन किया जाता है। खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा जहां आवश्यक समझा जाता है यथेष्ट समानान्तर मूल्य की प्रतिभुतियां ली जाती है तथा स्पष्ट ऋणों की वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव सुरक्षा अपनाये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

Demonstrations by Railway Workers of Jamalpur,

8041. Shri Ramavatar Shastri : Shri Bhogendra Jha : Shri K. M. Madhukar : Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether the Railway workers at Jamalpur (E. Rly.) recently held demonstrations before the Officers to press their demand for paying three months pay as famine-advance recoverable in 36 monthly instalments;

(b) if so, whether Government propose to give famine allowance to the railway workers also as is done in the case of other Government employees; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No demonstration was held but a representation was submitted in May 67.

(b) Orders have been issued for payment of advance of three months' pay recoverable in 24 instalments to railway servants who are posted or whose families reside in drought affected areas.

(c) does not arise.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का महाप्रबन्धक तथा मुख्य अधीक्षक

8042. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक को त्यागपत्र देने के लिये 17 जुलाई 1967 को कहा गया था ;

(ख) क्या कोक भट्टी कारखाने के मुख्य अधीक्षक को भी उसकी सेवा की समाप्ति का नोटिस दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या आरोप है और क्या इन अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के वर्तमान महाप्रबन्धक को हटाने का फैसला किया गया था और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यह फैसला किया था कि 19 जुलाई, 1967 से उनकी सेवा का करार खत्म कर दिया जाए। फिर भी उन्हें इस बात की छूट दी गई थी कि यदि वे चाहे तो इससे पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दें। इस बीच 18 जुलाई, 1967 को उन्होंने कलकत्ता के उच्च न्यायालय

से मध्यान्तरिक व्यादेश प्राप्त कर लिया जिससे सरकार और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर उनको महाप्रबन्धक के पद से हटाने पर रोक लग गई। इस समय मामला निर्णयाधीन है।

(ख) यह भी फैसला किया गया था कि 19 जुलाई 1967 से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के मुख्य अधीक्षक (कोक एण्ड आयरन) की सेवा भी समाप्त कर दी जाए परन्तु उन्होंने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्हें 19 जुलाई, 1967 से सेवा से मुक्त कर दिया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रपति को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 97 (ए) के अधीन महाप्रबन्धक को निकालने का अधिकार प्राप्त है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने महाप्रबन्धक द्वारा कम्पनी के साथ किये गये करार की शर्तों के अनुसार उनकी सेवा के करकार को खत्म करने का फैसला किया था।

Sanskrit-Knowing Class IV Employees on Northern Railway

8043 Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam das :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are some employees on the Northern Railway who are Shastri and Sahitya Ratna in Sanskrit, but have been working as Class IV employees for the last eighteen to twenty years, as they do not know English;

(b) if so; their number; and

(c) the action Government propose to take to promote them to higher posts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Guna-Maksi Railway Project

***8044 Shri T. P. Shah :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of persons working in Guna-Maksi Railway Project;

(b) the number of workers, category-wise, removed from service during the last two years; and

(c) the reasons for their removal ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 130.

(b) Nil, but some temporary construction staff had to be discharged.

(c) Due to completion of works.

नमक का निर्यात

8045. **श्री सम्बन्धन :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री 14 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5756 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक पत्तन से नमक का कितना कितना निर्यात किया गया ;

(ख) क्या किसी पत्तन से निर्यात किये गये नमक की किस्म के बारे में किसी विदेशी ग्राहक से कोई शिकायत आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) दिनांक 30-9-1966 की अन्तिम संविदा के अन्तर्गत देश के प्रत्येक पत्तन से निर्यात किये गये नमक की मात्रा निम्नलिखित है:—

पत्तन	जून, 1967 तक लदान की गई मात्रा (मैं टन में)
1. नवलखी	38,865
2. जखडु	15,358
3. सालया	14,332
4. कांडला	46,767
5. बेदी/जामनगर	63,365
6. जफ्फराबाद	6,967
7. मूंदड़ा	21,422
8. पी. ए. विक्टर	15,770
9. पोरबन्दर	15,126
10. भेराइ	7,350
11. सिक्का	8,504
योग :	253,826

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Slump in the Manufacture of Capital Goods Required by Railways

8048 Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state:

a) whether most of the ancillary industries of Uttar Pradash have been adversely affected and several out of them closed as a result of 33 per cent cut in the manufacture of capital goods of the Railways; and

(b) if so, the steps Government propose to take to check this slump ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No reduction has been made in the current year in Railway orders for manufacture of capital goods for which supplies are generally made by ancillary industries.

(d) Does not arise.

Parliament Assistants in the Ministry of S. M. and M.

8049 Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when;

(c) whether there are any persons working against this post for a period of more than three years.

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in pursuance of order of the Ministry of Home Affairs; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Two.

(b) Two-one since December, 1956 and the second from April, 1964.

(c) Two.

(d) and (e) There is at present no proposal to transfer the incumbents of these posts. The orders of the Ministry of Home Affairs referred to are in the nature of a suggestion and the question of transfer or otherwise has to be decided with due regard to the interests of efficiency of work,

Parliament Assistants in Commerce Ministry

8050. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ramji Ram :
Shri Rabi Ray :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Sewak Yadav :

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of persons working against these posts and since when they are working;

(c) whether there is any person working against this post for a period of more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in pursuance of orders of the Ministry of Home Affairs; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) One.

(b) One person, since 28th June, 1966.

(c) No, Sir.

(d) and (e) Do not arise.

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट बनाने का कारखाना

8051. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा कड़पी जिले में येरागुन्टल (आन्ध्र प्रदेश) नामक स्थान पर सीमेंट बनाने के कारखाने की स्थापना की व्यवहारिक पर इस बीच जांच पूरी कर ली गई है ।

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ।

(ग) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया का विचार येरागुन्टल में सीमेंट बनाने का कारखाना स्वयं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या गैर सरकारी पार्टियों को कार्य अपने हाथ में लेने को कहा जायगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्भाव्यता रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर सीमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया का विस्तृत परियोजना प्रदिवेदन, जो निगम के वित्तीय साधनों तथा अन्य उपयुक्त स्थान के दावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जायेगा । चूंकि इस उपयोग से नियन्त्रण हटा लिया गया है इसलिये कोई भी प्राईवेट पार्टी येरागुन्तला में सीमेंट का कारखाना स्थापित कर सकती है ।

छोटी लाइन के सेक्शनों का राष्ट्रीयकरण किये जाने पर फालतू घोषित हुए कर्मचारियों को नौकरी दी जाना

8052. श्री क० हाल्दर : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के वित्त तथा परिवहन मन्त्री को यह आश्वासन दिया है कि वह उन 1,500 कर्मचारियों को जिन्हें छोटी लाइन के सेक्शनों के राष्ट्रीयकरण

किये जाने के पश्चात् हाल ही में फालतू घोषित किया गया है, पुनः नौकरी देने के मामलों पर विचार करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों की नौकरी की निरन्तरता कायम रखी जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हाल ही में छोटी लाइन के सेक्शनों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है, परन्तु 1-7-67 से सरकार ने अहमदपुर-कटवा और बंकरा दामोदर नदी रेलवे का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है । इन दो रेलवे के कुल कर्मचारियों की संख्या 800 है । इन दो रेलवे के उन कर्मचारियों को जो सरकार द्वारा पूर्वी और दक्षिण पूर्व रेलवे में नियम और शर्तों के अनुसार काम करने योग्य पाये गये, और जिन्होंने उन नियमों और शर्तों के अनुसार वहां काम करना स्वीकार कर लिया, उन्हें नौकरी पर नियुक्त कर लिया गया है ।

(ख) अहमदपुर-कटवा और बंकुरा-दामोदर नदी रेलवे के स्थायी कर्मचारियों को पूर्वी या दक्षिण पूर्व रेलवे पर नियुक्त किये जाने के बाद उनकी सेवाओं को कुछ विशेष प्रयो-जनों के लिये निरन्तर समझा जायेगा ।

कोचीन मेल के लिये डीजल इंजन

8053. श्री वासुदेवन नायर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन मेल के लिये डीजल इंजन का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

खनिज अयस्क का निर्यात

8054, श्री सेक्वीरा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1966-67 में राज्य व्यापार निगम तथा अन्य निर्यातकों ने अलग-अलग मरमागोआ पत्तन से कितने टन तथा कितने मूल्य के खनिज अयस्क का निर्यात किया; और

(ख) उक्त अवधि में राज्य व्यापार निगम तथा अन्य निर्यातकों ने अलग-अलग रुपयों तथा डालरों में इस पत्तन पर कितना विलम्ब शुल्क दिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) खनिज अयस्क का निर्यात खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है, राज्य व्यापार निगम द्वारा नहीं ।

	वर्ष	परिणाम	मूल्य
ख. धा. क्या. नि. द्वारा निर्यात	1966-67	21.8 लाख मे. टन	10.42 करोड़ रुपये ।
अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यात	1966-67	54.0 लाख मे. टन	21.45 करोड़ रुपये ।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 88.998 रु० (11,866 डालर) का विलम्ब शुल्क दिया । अन्य निर्यातकों द्वारा दिये गये विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्य नहीं है ।

विदेशों में वाणिज्य दूत

8055. श्री सेक्वीरा :
श्री स० कुण्डू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में वर्षवार विदेशों में हमारे वाणिज्य दूतों के जरिये कितने लोगों ने व्यापार सम्बन्धी पूछताछ की ;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत मामलों में माल के निर्यात के लिये क्रयादेश प्राप्त हुए ।

(ग) ये क्रयादेश कितने मूल्य के थे; और

(घ) इन पांच वर्षों में वर्षवार इन क्रयादेशों का मूल्य निर्यात में कुल वृद्धि का कितने प्रतिशत था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों में की गई पूछताछ की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	पूछताछ की संख्या
1962	7154
1963	7451
1964	7143
1965	5693
1966	5756

(ख) से (घ) उपलब्ध नहीं है क्योंकि आवेदशकों द्वारा पूछताछ के परिणामों अथवा निष्कर्षों की सूचना नहीं दी जाती ।

कीनिया में जस्ते का कारखाना

8056. श्री दे० अमात : **श्री म० प्राभी ।**
श्री गु० च० नायक : **श्री जेना :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भूतपूर्व मन्त्री श्री बीजू पटनायक ने अफ्रीका के दक्षिणी भाग में कीनिया में जस्त का एक कारखाना स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको किस प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) क्या यह कारखाना गैरसरकारी आधार पर स्थापित किया गया है या किसी अन्य देश के सहयोग के साथ स्थापित किया गया हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं । कीनिया में श्री बीज पटनायक द्वारा कोई जस्त का कारखाना स्थापित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पलवल तथा बल्लभगढ़ के बीच तेज रफ्तार की रेलगाड़ी

8057. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन ने पलवल तथा बल्लभगढ़ के बीच सबसे तेज रफ्तार की गाड़ी परीक्षणात्मक रूप से चलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) हाल ही में रेलवे की अनुसंधान डिजाइन तथा मानक संगठन ने मथुरा और दिल्ली के बीच डाउन लाइन पर पलवल और बल्लभगढ़ के बीच के सेक्शन पर प्रयोगात्मक परीक्षण किये थे । एक W D M U डीजल इंजन ने 136 किलोमिटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से एक आई० सी० एफ० (all coil) डिब्बे और एक ओस्सी लोग्राफ कार को खिंचा था ।

(ख) परिणामों के प्रारम्भिक विश्लेषण से पता चलता है कि परीक्षण की गई अधिकतम गति तक ये परीक्षण संतोषजनक थे । परीक्षणों का विस्तृत विश्लेषण अभी तैयार किया जा रहा है ।

कानन दीवान हिल प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड

8058. श्री विश्वनाथन मेनन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि कानन दीवान हिल प्रोड्यूस कम्पनी लिमिटेड, मुन्नम अपनी जायदाद बेचने के लिए पत्र व्यवहार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि यह कम्पनी जायदाद का जनमन अधिकार खरीदने और जायदाद की बिक्री के लिये कागजात को विधिवत करने के लिए पूंजार के राजा के साथ बातचीत कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रतिकर दिये बिना इस विदेशी कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का विचार कर रही हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) इस विषय पर सरकार को कोई जानकारी नहीं है;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे में पर्मानेंट वे इन्सपेक्टरों तथा असिस्टेंट पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टरों को सब से बढ़िया गैंग बनाये रखने के लिये योग्यता-प्रमाण पत्र दिया जाना

8059. श्री इसहाक साम्भली : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में सर्वोत्तम गैंग बनाये रखने वाले पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टरों को नकदी में पुरस्कार तथा योग्यता-प्रमाणपत्र दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 में उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टरों तथा असिस्टेंट पर्मानेन्ट वे इन्सपेक्टरों को विशेष योग्यता-प्रमाणपत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, पुरस्कार सब से अच्छे रखे गये गैंगों को दिये जाते हैं और योग्यता प्रमाण पत्र स्थायी वे इन्सपेक्टरों । सहायक स्थायी वे इन्सपेक्टरों को दिये जाते हैं ।

(ख) लखनऊ डिवीजन पर पिछले रेलवे सप्ताह के दौरान गैंगों को पुरस्कार पहले ही दिये जा चुके हैं । योग्यता प्रमाणपत्र अभी जारी किये जा रहे हैं ।

हाथी दांत का निर्यात

8060. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक किलो हाथी दांत का मूल्य इस समय कितना है तथा पांच वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था ;

(ख) वर्ष 1966 में कितने मूल्य की हाथी दांत की बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात से पहले गुण-प्रकार नियन्त्रण के लिये कोई व्यवस्था कर रखी है; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऊंट की हड्डी से बनी वस्तुओं को हाथी दांत की वस्तुएं कह कर निर्यात किया जा रहा है तथा हाथी दांत की बनी वस्तुओं को ऊंट की हड्डी से बनी वस्तुएं कह कर निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हाथी दांत का वर्तमान बाजार मूल्य 135 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो है जबकि पांच वर्ष पूर्व वह 50 रुपये से 80 रुपये प्रतिकिलो था ।

(ख) 7.13 लाख रुपये ।

(ग) जी, नहीं :

(ग) जी, नहीं ।

उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

8061. श्री विद्याधर वाजपेयी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक किन-किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) उसके परिणाम क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० एम० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) हां, महोदय । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यू० पी० में पिछली कुछ दशाब्धियों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किये हैं । अभी तक अलमोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के हिस्सों में, जिसमें यू० पी० हिमालय के 45 प्रतिशत भाग तथा झांसी, हमीरपुर बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों के भाग अर्थात दक्षिणी यू० पी० के कुछ क्षेत्र का 73 प्रतिशत भाग शामिल हैं, विभिन्न मापों पर भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया ।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये अनुसंधानों के परिणामस्वरूप चूना पत्थर और डोलोमाइट, संगमरमर, मैगनासाइट, फास्फोराइट, सीसा रेत, जिप्सम, ताल्क, ऐंडलूसाइट, ऐसबैस्टोस, तांबा–सीसा–जस्ता अयस्क, कच्चा लोहा, ओकर, मिट्टी तथा भवन बनाने की सामग्री और सड़क निर्माण के धातुओं का पता लगा है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यू० पी० में हाल के वर्षों में जिन महत्वपूर्ण खनिजों की जांच की गई, उनमें से कुछ के भण्डारों की अनुमानित मात्रायें विवरण में दी हुई हैं । जो सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1340/67**]

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग तथा औद्योगिक एकक

8062. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967–68 में उत्तर प्रदेश भारी उद्योग तथा औद्योगिक एकक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किन-किन उद्योगों का सुझाव दिया गया है;

(ग) उनमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान लगाये जाने वाले भारी उद्योगों तथा औद्योगिक एककों का ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय मन्त्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में 1967–68 में किसी भी भारी उद्योग अथवा औद्योगिक एकक स्थापित करने के बारे में कोई विशेष निवेदन प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) राज्य में बहुत सी परियोजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें से निम्नलिखित परियोजनाओं के 1967–68 तक पूरी होने की आशा है:—

(1) एन्टीबायोटिक्स कारखाना, ऋषिकेश ।

(2) उर्वरक कारखाना, गोरखपुर ।

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार ।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

8063. **श्री विद्याधर वाजपेयी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाये जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात, सीमेंट और टीन के रूप में अत्यावश्यक कच्चा माल आसानी से नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग चलाने के लिए कठिनाई से कच्चा माल मिलने के कारण कितने उद्योगों के बन्द होने का खतरा है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मन्त्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश का खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण

8064. **श्री विद्याधर वाजपेयी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में खनिज सम्बन्धी सर्वेक्षण करने और खनिज संसाधनों का विदोहन करने सम्बन्धी कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1967-68 के दौरान यू० पी० में खनिज अन्वेषण की योजना बनाई है। इसमें नैनीताल, अलमोड़ा, पौड़ी (गढ़वाल), टेहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, झाँसी, हमीरपुर, मिर्जापुर, और बांदा जिलों के भागों में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और प्रारम्भिक खनिज अनुसंधान शामिल हैं। इसके अन्तर्गत पिथौरागढ़, अलमोड़ा, चमोली और पौड़ी जिलों में ताँबा सीसा तथा युद्धावश्यक खनिजों के लिए और पिथौरगढ़ चमोली और अलमोड़ा जिलों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, ताल्क, और मैगनासाइट के लिए विस्तृत अनुसंधान भी किये जायेंगे। देहरादून और टिहरी जिलों में सघन अन्वेषण भी होने हैं जिसमें फोसफोराइट के लिये व्यघन अन्वेषणात्मक खनन और अभिशोधन परीक्षण शामिल हैं। इन खनिजों के वाणिज्य स्तर पर विदोहन के योग्य सिद्ध होने पर ही इनके सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में विदोहन करने की योजना बनाई जा सकती है।

दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

8065. श्री काशीनाथ पाण्डे ; क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में दस्तकारी उद्योग का विकास करने के लिये 1966-67 में कितना धन दिया था; और

(ख) उस राज्य को इस काम के लिये 1967-68 में कितना धन देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मदशफी कुरेशी) : (क) दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये 1966-67 में उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार द्वारा 1964-65 में अनुदान तथा ऋण के रूप में क्रमशः दी गई 0.82 लाख रुपया तथा 0.87 लाख रुपये की अतिरेक राशियों को घटाकर 0.08 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

(ख) 1967-68 में स्वीकृत की जाने वाली राशि का अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, जो मुख्यतः योजना आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये खर्च किये गये वास्तविक व्यय पर निर्भर होगी।

Railway Institute Building near Jind Junction

8066. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large room of the Railway Institute building, near Jind Junction is being utilized as a church ;

(b) whether it is also a fact that almost all the furniture and articles in that room belong to the Railway Administration ; and

(c) if so, under what rules this facility has been given to the Christian missionaries ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. A room in Railway Institute building at Jind 405 sq. ft. in area is occupied by the Church.

(b) No.

(c) The arrangement is existing probably since the inception of the railway. There is however no record to show how and under what rules this facility was provided.

Forged Iron Pipe Manufacturing Industry

8067. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Company** Affairs be pleased to state

(a) whether it is a fact that there is a great slump in the forged iron pipe manufacturing industry and huge stock have accumulated with the factories and if so, the steps taken in this regard ;

(b) whether the President of the Forged Iron Spun Pipe Manufacturers' Union has said that a serious crisis would arise in this Industry in case a number of water supply and sewage disposal schemes are not under taken during the Fourth Plan period ;

(c) whether it is a fact that only Rs. 373 crores were allocated in the Draft Fourth Plan as as against Rs. 2,100 crores required for water supply and sewage disposal schemes and that the amount has been further reduced now ; and

(d) if so, the amount allocated now and the reasons for reducing the same ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : There is a slump in the Cast Iron Spun Pipe industry. To tide over the situation, it has been suggested that the State Public Health Engineering Departments should be encouraged to use more of Cast Iron Spun pipes in place of Asbestos Cement Pipes and reinforced Cement Concrete Pipes. This suggestion is under the consideration of the Ministry of Health and Family Planning.

(b) A representation has been received in July, 1967 in the Ministry of Health and Family Planning from the Chairman, Cast Iron Spun Pipe Manufacturers Association to the effect that the Cast Iron Spun Pipe Industry is facing a crisis, and suggesting that a higher allocation may be made for Public Health Engineering schemes during the IVth Plan period. The matter is receiving the attention of the Ministry of Health and Family Planning.

(c) and (d) It has been estimated that a sum of 1,000 crores would be required for the provision of water supply in the urban areas and approximately Rs. 732 crores for water supply schemes in the rural areas. Keeping inview the available resources and taking into account the revised estimates made by the State Governments, a sum of Rs. 350 crores (approximately) has been allocated for the Noticnal Water Supply and Sanitation Programme (Rural and Urban) during the IVth Plan period, against a provision of Rs. 373 crores made for urban and rural water supply and sanitation schemes in the Draft outline of the Fourth Plan.

पटसन मिलों का बन्द हो जाना

8068. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मरंडी :
श्री सु० क० तापड़िया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पटसन की दो मिले, लक्ष्मीनारायण जूट मिल और प्रेसिडेंसी जूट मिल, बन्द हो चुकी है, तथा अन्य ऐसी मिलें भी बन्द होने वाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उक्त दो मिलें बन्द हैं। सरकार को जानकारी नहीं है कि अन्य मिलें भी बन्द होने वाली हैं।

(ख) अलाभकर कार्यसंचालन।

(ग) उनमें से एक मिल का विचार अपनी उत्पादन क्षमता तथा समस्त श्रमिकों को उसी प्रबन्ध के अन्तर्गत अन्य मिलों को हस्तान्तरित करने का है। चूंकि कर्मचारियों को यह व्यवस्था मंजूर नहीं है इसलिए ताला बन्दी घोषित कर दी गई है। दूसरी एक पुराने ढंग की मिल है तथा अलाभकर कार्य संचालन के कारण बन्द हो गई है। दोनों में से किसी भी मिल के सम्बन्ध में सरकार से सहायता के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

लखनऊ के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के लिये वातानुकूलित डिब्बे में स्थान का आरक्षण

8069. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1967 को लखनऊ के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के लिये 29 अप रेलगाड़ी में दो वातानुकूलित डिब्बे तथा उसी दिन 83 अप रेलगाड़ी में एक सैलून आरक्षित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या जनता के उपयोग के हेतु वातानुकूलित डिब्बे का आरक्षण रद्द कर दिया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इन वातानुकूलित दो डिब्बों में जनता को यात्रा न करने देने पर सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई ; और

(घ) गत एक वर्ष में विभिन्न रेलों में, प्रतिमास इस प्रकार की औसतन कितनी अनियमितताएं हुई और उनके कारण सरकारी राजस्व की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। यह सही नहीं है कि 10 अप्रैल, 1967 को 29 अप लखनऊ डाक में डिवीजनल अधीक्षक, लखनऊ के लिये दो वाता-

नुकूलित डिब्बे रक्षित किये गये थे। 83 अप लखनऊ एक्सप्रेस गाड़ी में एक निरीक्षण डिब्बा लगाने के लिये मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त होने तक 29 अप लखनऊ डाक गाड़ी में डिवीजनल अधीक्षक के लिये वातानुकूलित डिब्बे में केवल एक बर्थ रक्षित किया गया था।

(ख) वातानुकूलित श्रेणी में आरक्षण रद्द कर दिया गया था और ऊपर (क) में निर्दिष्ट मुख्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर उसे जनता के प्रयोग के लिये उपलब्ध करा दिया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) रेलवे में ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं हुई हैं।

Export of M. O. P. Buttons

8070. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Chandra Shekhar Singh :** **Shri K. M. Madhukar :** **Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have explored the prospect of export of M. O. P. Buttons ; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken to encourage their exports?

The Deputy Minister in the Mninistry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अरब देशों को ऋण दिया जाना

8071. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :** **श्री दे० अमात :** **श्री न० कृ० सांघी :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि अरब देशों को ऋण दिये जाने की संभावना है, जिससे कि वे देश हमारे देश से अधिक माल खरीद सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) अरब देशों के साथ व्यापार विनिमय बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु लगातार दो वर्षों तक भयंकर सूखे की स्थिति के परिणाम स्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन स्थिति से गुजर रही है। इससे हमारी ऋण देने की क्षमता सीमित हो गई है।

कलकत्ता में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कार्यालय

8072. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री एस्थोस :** **श्री नायनार :** **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री चक्रपाणि :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कलकत्ता कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उस कार्यालय को कलकत्ता से अन्यत्र स्थानान्तरित करने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कार्यालय के स्थानान्तरण पर कितना धन खर्च होगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 392.

(ख) प्रादेशिक कार्यालय के स्थानान्तरण करने का सम्बन्ध मूलतः खनिज तथा धातु व्यापार निगम से है। कलकत्ता कार्यालय में स्थानान्तरण करने का निगम का कोई विचार नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इन्सपेक्टर आफ वर्क्स

8073. **श्री कार्तिक ओरांओं :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस में कुल कितने इन्सपेक्टर आफ वर्कस हैं ;

(ख) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के है ; और

(ग) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में इस श्रेणी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) 10 कार्य निरीक्षक हैं और उनमें से एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध नहीं रखता है। अनुसूचित जातियों के लिये 3 और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक स्थान रक्षित रखा गया था और अनुसूचित जाति के एक स्थान को छोड़ कर शेष व्ययगत हो गये हैं। चितरंजन लोको मोटिव वर्कस में रक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण, इस आरक्षण को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सका है ।

निर्यात गृह की स्थापना

8074. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री एस्थोस :**
श्री नायनार : **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री चक्रपाणि :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निर्यात गृहों की स्थापना के बारे में सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन निर्यात गृहों का गठन किस प्रकार किया जायगा और इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या होगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सरकार निर्यात गृहों की स्थापना नहीं करती, परन्तु पंजीकृत समवायों तथा सहकारी विपणन समितियों को केवल मान्यता, यदि मान्यता की निर्धारित शर्तें पूरी हों प्रदान करती है । केवल अपरम्परागत वस्तुओं के अच्छा निर्यात कर सकने वाली सुस्थापित फर्मों को, उनके निर्यात प्रयत्नों में प्रोत्साहन देने तथा साथ ही विदेशों में उनके प्रतिनिधियों के व्यापार दौरों के लिये उनको अतिरिक्त सहायता जैसे विदेशी मुद्रा की एक मुश्त निकासी देने हेतु और बाजार सर्वेक्षण तथा निर्यात प्रचार करने, विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा वहां कार्यालय खोलने के लिए सहायक अनुदान देने हेतु निर्यात गृहों के रूप में मान्यता दी जाती है ।

Usha Martin Black (Wire Rope) Ltd.

8075. Shri Srichand Goel :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri J. B. Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the capacity of Usha Martin Black (Wire Rope) Limited ;

(b) the amount of Capital invested in the said factory ; and

(c) the names of foreign countries with whose collaboration the said factory was established and the terms and conditions thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Messrs. Usha Martin Black (Wire Ropes) Limited, Calcutta have a licensed capacity of 7200 tons per annum of Wire and Wire Ropes, 1800 tonnes per annum of Locked Coil Wire Ropes, and 500 tonnes per annum of Control Cables for automobiles.

(b) The total capital employed by the Company as on 31st December 1965 was Rs. 258.53 lakhs.

(c) The company has entered into collaboration with two U. K. companies Viz. Messrs. Martin Black and Company Limited, for manufacture of Wires and Wire Ropes and Messrs. White Cross Company Limited for manufacture of Locked Coil Wire Ropes. The terms of collaboration, Inter-alis. provide for minority equity capital participation by the collaborators, payment royalty, technical aid fee and export rights. As the collaboration agreements between the parties are in the nature of private contracts, it is not considered appropriate to divulge the details of the terms and conditions of collaboration.

Manufacture of High Tension Insulators

8076. **Shri Srichand Goel : Shri S. S. Kothari : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Beni Shanker Sharma : Shri J. B. Singh : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of factories in the country manufacturing high tension Insulators;

(b) the names of the foreign countries with whose collaboration these factories had been established and the terms and conditions thereof ; and

(c) the extent of foreign exchange saving as result thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) There are at present nine industrial undertakings which are manufacturing high tension insulators in the country. Out of these, three units namely ;

(i) Seshasayee Industries Ltd., Madras,

(ii) Mysore Porcelains Ltd., Bangalore, and

(iii) W. S. Insulators, Madras are working in collaboration with firms in France, Japan and U. S. A. respectively. The terms and conditions of collaboration with the foreign firms involve payment of lumpsum technical fee as well as royalty payments. The duration of agreement in the case of all these units is 10 years.

(c) The foreign exchange saving is estimated at Rs. 3.40 crores per annum.

Ball-Bearing Fctorvies

8077. **Shri Sri Chand Goel : Shri HukamChand Kachwai : Shri Beni Shanker Sharma : Shri J. B. Singh : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of ball-bearing factories in the country and names of the foreign countries with whose collaboration they had been established ;

(b) the amount of foreign capital invested in the said factories ; and

(c) the names of the countries to which goods were supplied by Shri Ram Bearings Company during the last three years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) There are seven ball bearing factories in the large scale sector in the country and they have technical/financial collaboration arrangements with Companies in U. K., Switzerland, Austria, U. S. A., Sweden and Japan.

(b) Rs. 275 lakhs as investment in the equity share capital of three of them.

(c) Singapore.

किराया खरीद योजना में जीपों और ट्रकों को शामिल किया जाना

8078. श्री ज्योतिमय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीपें और ट्रक भी किराया खरीद योजना में शामिल कर लिये गये हैं जैसाकि चाय के उत्पादन और चाय तैयार करने की चाय-मशीनरी उपकरण के बारे में व्यवस्था है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चाय बोर्ड का एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि जीप तथा ट्रकों की सप्लाई को चाय मशीनरी किराया खरीद योजना के क्षेत्र में लाया जाये ।

पटना दिघा रेलवे लाइन में घाटा

8079. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 64–टी० टी० (4)/16/ई/69, तारीख 20 मई, 1967 में यह कहा गया है कि पूर्वी रेलवे में पटना-दिघा लाइन पर मिली जुली गाड़ियों के चलाने पर भी प्रति वर्ष रेलवे को लगभग 23,000 रुपयों का भारी घाटा हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो 1 अक्तूबर 64 से 31 मार्च 67 तक की अवधि में मिली जुली गाड़ियों को चलाने से कुल कितनी आय हुई और इस पर कितना व्यय हुआ और प्रत्येक मद पर कितना कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 1–10–1964 से 31–3–67 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि, 1–10–1964 से 31–3–1965 और 1–10–1965 से 30–1–1966 के लिये पटना-दिघा शाखा पर कार्य के वित्तीय परिणाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1341/67]**

पटना-दिघा सेक्शन पर सवारी यातायात बन्द किया जाना

8080. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के पटना-दिघा सेक्शन पर हुए भारी घाटे को दूर करने के लिए 1 अप्रैल, 1967 से रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री यातायात बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1967 से इस सेक्शन की कार्य संचालन व्यवस्था में क्या परिवर्तन किये गये हैं और परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रत्येक मद में कितनी बचत हुई हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) मिलीजुली गाड़ियों के हटा लिये जाने से, इस सैक्शन पर माल यातायात के लिये माल गाड़ियां चलाई जा रही है । सवारी सेवाओं के हटा लिये जाने से जो बचत हुई है उसकी जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

समूची गाड़ी बनाने वाले कारखाने (इन्टेग्रल कोच फैक्टरी) को इस्पात की चादरों की सप्लाई

8081. **श्री नंजा गौडर :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूची गाड़ी बनाने के कारखाने (इंटेग्रल कोच फैक्टरी) को एक फ्रांसीसी फर्म द्वारा भेजी गई विशेष इस्पात की 6,000 टन चादरें विशिष्ट विवरणों से निम्न स्तर की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने सूचना दी है कि उसको एक फ्रांसीसी इस्पात निर्यात फर्म द्वारा दी गई लगभग 6,000 टन इस्पात चादरों में विशिष्ट विवरण से 0.2 से 0.35 प्रतिशत तक कम तांबा था । अन्य बातों में चादरें विशिष्ट विवरण के अनुसार थी ।

(ख) इस कमी इसके लिये मुआवजा लेने सम्बन्धी जांच महानिदेशक, भारत सप्लाई मिशन, लन्दन द्वारा की जा रही है ।

Information Department of the Khadi and Village Industries Commission New Delhi

8082. **Shri J. Sundar Lal :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the annual expenditure be incurred on the Information Department of the Khadi and Village Industries Commission located at New Delhi ;

(b) the category-wise number of employees working in the said Office as also their scales of pay ; and

(c) the reasons for locating this office in Delhi when the Head Office of the Commisson is in Bombay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) Rs. 85,684 in 1966-67.

(b)	Category	No. Working	Pay Scale
1.	Assistant Director	1	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800.
2.	Assistant Superintendent	1	Rs. 210-20-290-15-320-EB-15-425,
3.	Economic Investigator	1	Do
4.	Supervisor (V)	1	Rs. 110-3-131-4-155-EB-175-5-180.
5.	Upper Division Clerk.	1	Rs- 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.
6.	Lower Division Clerk.	2	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.
7.	Lower Division Clerk (Typist)	3	Do
8.	Driver	1	Rs. 110-3-131-4-139.
9.	Peon	1	Rs. 70-1-80-EB-1-85
10.	Watchman	1	—Do—

(c) The main reasons are to maintain liaison with the Government of India and to do Pubilc relations work.

अम्बाला छावनी स्टेशन तथा अम्बाला नग स्टेशन के बीच नया रेलवे स्टेशन

8083. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला छावनी स्टेशन तथा अम्बाला नगर स्टेशन के बीच मॉडल टाउन, (अम्बाला) में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह स्टेशन कब तक विधिवत रूप से खल जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जगाधरी और चंडीगढ़ के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाया जाना

8084 श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना राज्य के अम्बाला जिले में जगाधरी और चण्डीगढ़ के बीच बिलासपुर, साठौरा और नारायणगढ़ से होकर सीधी रेलगाड़ी चलाने के बारे में कुछ वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलवे लाइन बनाने की परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : (क) और (ख) जगाधरी-चण्डीगढ़-लुधियाना के बीच एक सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए 1956-57 में केवल एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह पता लगा कि इस गाड़ी को चलाया जाना वित्तीय दृष्टि से उचित न होगा। निधियों की कमी के कारण निकट भविष्य में इस लाइन का निर्माण करना सम्भव नहीं है।

रेलों के टिकट कलेक्टर तथा कार्मशियल क्लर्क

8085. श्री सूरज भान : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिकिट कलक्टरों और कार्यालय के क्लर्कों को 110–180 रुपये के प्रारम्भिक वेतन-मान में रखा जाता है और उन्हें 3 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती हैं और कर्मशियल क्लर्कों को 110—200 रुपये के प्रारम्भिक वेतन-मान में रखा जाता है और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 4 रुपये होती है ;

(ख) क्या टिकट कलक्टरों को 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने के बाद ग्रेड चार, के 250–380 रुपये का वेतन-मान मिल जाता है और कर्मशियल क्लर्कों को 27 वर्षों का सेवाकाल पूरा करने के बाद ग्रेड दो में 150–240 रुपये का वेतन–मान मिलता है ;

(ग) क्या यह विषमता इस कारण है कि भारतीय रेलों के टिकट कलक्टरों के ऊपर के 55 प्रतिशत पद पर दिये जाते हैं जबकि कमर्शियल क्लर्कों के लिये ऊपर के 45 प्रतिशत पद ही मंजूर किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) टिकट क्लैक्टर और कार्यालय के आरंभिक वेतन क्रम 110-3-131-4-155 दक्षता अवरुद्ध 4–175–5–180 रु० है और वाणिज्यिक लिपिक का 110-4-150 दक्षता अवरुद्ध 4-170-5-180 दक्षता अवरुद्ध 5-200 रु० है।

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम राशि

8087. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को, जिनके परिवार बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं, अग्रिम धनराशि देने के लिए धन नियत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय में ऐसे कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही भुगतान कर दिया गया है और अन्य को किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोमपुर स्टेशन में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

8088. श्री अगाड़ी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे सेक्शन में गदग और होस्पेट स्टेशनों के बीच सोमपुर स्टेशन पर कर्मचारियों के क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाये गये हैं, वे किस वर्ष बनाये गये और उन पर कितना धन खर्च आया है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ क्वार्टर गिर गये हैं और कुछ एक की छतों के गिरने की सम्भावना है और कर्मचारियों को वहां से हटा कर शैडों में आवास दिया गया है ;

(घ) क्या दोषपूर्ण डिजाइन तथा निर्माण के लिये जिम्मेदारी किस पर ठहरायी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) निर्मित क्वाटरों की संख्या टाइप एक के 6 और टाइप दो के 3।
निर्माण का वर्ष 1961-62
व्यय की गई राशि ....42,000 रु०।

(ग) जी, नहीं। नींव में दोष के कारण कमरों और आंगण की दीवारों में भारी दरारें आ गई हैं।

दो क्वार्टरों की आंगन की दीवारों का भी एक भाग गिर पड़ा है । इन क्वार्टरों की भारी मरम्मत हेतु कर्मचारियों को अस्थायी आवास में ले जाया गया है ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलाभप्रद रेलवे लाइनें

8089. **श्री अगाड़ी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो मैसूर, महाराष्ट्र, और आन्ध्र प्रदेश में अलाभप्रद श्रेणी में कौन कौन सी रेलवे लाइनें आती है और किन किन लाइनों को बन्द करने का विचार है ;

(ग) क्या इन अलाभप्रद रेलवे लाइनों की लाभप्रद रेलवे लाइनें बनाने के लिये कोट्टूर-हरिहर (मैसूर राज्य) जैसी छोटी सम्पर्क लाइनें, जो इस समय विद्यमान नहीं है बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अलाभप्रद लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके परिणामों पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या इनमें से किसी लाइन को बन्द कर दिया जाये ।

(ख) मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की अलाभप्रद शाखा लाइनों की एक सूची संलग्न है, परन्तु इन लाइनों के भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राज्य	रेलवे	सैक्शन	टिप्पणियाँ
आंध्र प्रदेश	दक्षिण पूर्व	नोयाडा-गुनुपुर	इस लाइन का कुछ भाग उड़ीसा राज्य में पड़ता है ।
महाराष्ट्र	मध्य	नेरल-माथरोन	
	दक्षिण पूर्व	सतपुरा-रेलवे	इस लाइन का एक भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है ।

मैसूर	दक्षिण	सागर तालागप्पा
,,	,,	ननजनाद चामर अजनागर
,,	,,	बंगलौर शहर बंगारेट

बोरिया गांव (पूर्व रेलवे) के निकट फ्लैग स्टेशन

8090. श्री चक्रपाणि : **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री एस्थोस :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदाह डिवीजन (पूर्व रेलवे) के बामुलडंगा रेलवे स्टेशन के निकट के गांव बोरिया के निवासियों ने उनके गांव के निकट एक एक फ्लेग स्टेशन बनाये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव की जांच कर ली गई है परन्तु पर्याप्त औचित्य की कमी के कारण इसको स्वीकार न किया जा सका।

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए औद्योगिक बस्तियां

8091. श्री हेम राज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी औद्योगिक बस्तियां मंजूर की गई और इस संघ राज्य क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रवार, वर्ष 1962 से लेकर 1966 तक की अवधि में कितनी औद्योगिक बस्तियां शहरी तथा ग्रामीण पूर्ण हुई ;

(ख) दोनों वर्गों की इन पूर्ण हुई बस्तियों में से कितनी बस्तियों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी बस्तियां हैं और वर्ष 1967-68 में हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी राशि मन्जूर की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में अनाज के वितरण के बारे में

Re : FOOD DISTRIBUTION IN THE COUNTRY

अध्यक्ष महोदय : केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों में खाद्य स्थिति के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना अथवा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय मेरा सुझाव यह है कि खाद्य स्थिति पर चर्चा के लिये समय दिया जाये ।

श्री हेम बरूआ (मंगलदाई) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध एक गम्भीर मामले से था । मालूम हुआ है कि भारत खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं की 15,000 बोरियां खराब हो रही है । यह भयंकर अपराध है एक ओर हम विदेशों से गेहूं मांगते फिर रहे हैं और दूसरी ओर हमारे गोदामों में इतना गेहूं सड़ रहा है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : It is very serious matter . The time fixed is very limited . I, therefore, suggest that the time should be fixed in such a way that in case of need it could be extended .

अध्यक्ष महोदय : चर्चा अन्त में शुरू की जाये ताकि यदि आवश्यक हो तो हम आठ बजे तक बैठ सकें ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : कुछ राज्यों में स्थिति बहुत गम्भीर है । इसलिये, आपको कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिये कि कमी वाले सभी राज्यों के सदस्य वाद विवाद में भाग ले सकें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं और सभी दलों से निवेदन करता हूं कि वे कमी वाले राज्यों के सदस्यों को बोलने का अवसर दें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल गेहूँ के सड़ने का प्रश्न उठाया गया था । उस बारे में मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया था, वह गलत है । इसके अतिरिक्त बंगाल के लिये जो चावल भेजा जा रहा था . .

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अथवा खाद्य सचिव ने कभी ऐसे निर्देश नहीं दिये कि पश्चिमी बंगाल को चावल न भेजे जायें । परन्तु जम्मू तथा काश्मीर में कठिन स्थिति के कारण खाद्य सचिव ने पंजाब के खाद्य सचिव से पूछा था कि क्या वह जम्मू तथा काश्मीर को कुछ चावल भेज सकेंगे । पंजाब के खाद्य सचिव ने कहा कि उनके पास 5,000 टन चावल हैं । तब केन्द्रीय खाद्य सचिव ने उन्हें 1,000 टन चावल जम्मू भेजने के लिये कहा । अगले दिन यह मालूम हुआ कि वह टूटे चावल बंगाल के लिये थे । जब वहां के खाद्य मंत्री को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा कि उन्हें जब तक मुझ से निर्देश न मिलें, वह चावल न तो जम्मू तथा काश्मीर को भेजेंगे, न ही पश्चिमी बंगाल को । मैंने उन्हें तुरन्त सन्देश भेजा है कि पश्चिमी बंगाल को चावल भेजना जारी रखा जाये ।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : इससे एक बात स्पष्ट होती है । हमारा यह ध्यान दिलाने वाली सूचना देने का उद्देश्य ठीक ठीक यह जाना था कि केन्द्रीय सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को इस पर चर्चा पांच बजे म० प० से 7 बजे म० प० तक होगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स तथा हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : श्रीमान, मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :-

1. (एक) कम्पनी अधिनिमम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1327/67]**

2. (एक) कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अन्तर्गत हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।
[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1327/67]

सूती तथा तन्तुक (स्टेपल फाईबर) कपड़ा मिलें (कार्य का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफीकुरेशी) : श्रीमान्, मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत सूती तथा तन्तुक (स्टेपल फाईबर) कपड़ा मिलें (कार्य का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 4 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या एस० ओ० 2285 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1328/67]**

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMIITEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही-सारांश

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the Table of the House the Minutes of the Third and Fourth sittings of the Committee on Government Assurances held on the 17th and 28th July, 1967, respectively.

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सूचना मिली है कि लोक-सभा द्वारा 28, जुलाई, 1967 को पारित किये गये वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967 के बारे में राज्य सभा को लोकसभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयक पर राष्ट्र पति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त विनियोग (संख्या2) विधेयक, 1967, सभा-पटल पर रखता हूँ ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): श्रीमान मैं सड़क बनाने वाले इन्जनों (रोड रोलरों) की खरीद के बारे में लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1967 के पैरा 78 के विषय में लोक लेखा समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सोमवार 7 अगस्त, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :–

(1) वर्ष 1964-65 तथा 1965-66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों सम्बन्धी प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार।

(2) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1967
(विचार तथा पारित करना)

(3) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966 को एक संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर विचार।

(4) सार्वजनिक वक्फ (सीमा का विस्तार) विधेयक, 1967
(विचार तथा पारित करना) ।

(5) भारतीय शासकीय रहस्य (संशोधन) विधेयक, 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में **(विचार तथा पारित करना)** ।

(6) शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा।

(7) श्री मनोहर लाल सोंधी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा।

(8) श्री काशी नाथ पांडे द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर चीनी उद्योग के कार्य-चालन के बारे में चर्चा।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : आर्थिक मंदी के बारे में श्री तापड़िया तथा अन्य सदस्यों ने एक बार ध्यान दिलाने की सूचना दी थी। मंत्री महोदय को इसके लिये समय देना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : I would like to know why my motion regarding illegal possession of Indian territory has been dropped.

Shri Ravi Ray (Purri) : It is being taken on the 8th August.

डा० राम सुभग सिंह : इसकी घोषणा करदी गई थी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Time should be allotted for our motion on economic recession

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : परिवार नियोजन पर वाद-विवाद के लिये एक घंटा दिया जाना चाहिये ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : Time should be allotted for the Bill to amend the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : 6,000 प्रतिरक्षा कर्मचारियों की छटनी के बारे में मैंने तथा 25 अन्य संसद् सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था । उसके लिये समय दिया जाये ।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : मैंने दक्षिण में संसद का यमियों का सत्र बुलाने के लिये एक प्रस्ताव रखा था । क्या आप उसके लिये इस सत्र के अन्त से पहले समय देंगे ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : यदि चीनी के बारे मे नीति पर चर्चा की जानी है, तो वह इस सप्ताह के अन्दर की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : हम मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उस वक्तव्य के पश्चात इस पर चर्चा करना अधिक अच्छा होगा ।

श्री बलराज मधोक (नई दिल्ली) : शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और उसके लिये कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये ।

श्री सम्बन्धन (तिरूत्ताणि) : भाषा विधेयक इस सत्र में क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

श्री स० मो बनर्जी : देश में विद्यमान मंदी तथा उसके प्रभाव पर चर्चा की जानी चाहिये । प्रतिरक्षा संस्थानों में छंटनी पर चर्चा के लिये एक घंटे का समय दिया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The attach on the Chief Minister of West Bengal by the employees should be discussed in the last week of this session.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्पाल) : शिक्षा नीति तथा सरकारी भाषा विधेयक पर चर्चा अवश्य की जानी चाहिये ।

श्री चेंगलराया नायडु (चित्तूर) : खाद्यान की कमी तथा सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में वित्त मंत्री द्वारा सहायता न दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : The annual plan of the country should be discussed.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) ; The problem of sugarcane should be discussed.

अध्यक्ष महोदय : बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं परन्तु सभा 12 अगस्त को निश्चित ही स्थगित हो रही है । तब तक जो भी कार्य लिया जा सकेगा, लिया जायेगा

श्री अबांगाजन (तिरुचेगोड) : विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक को स्थगित किया जाये ताकि ...

अध्यक्ष महोदय : कार्य सलाहकार समिति इस पर चर्चा करेगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि इस विधेयक को स्थगित किया जाये। माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखें।

विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1967

APPROPRIATION (RAILWAY) No. 2 BILL 1967

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं पर इन सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिए दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे की कुछ सेवाओं के लिए तथा उस वर्ष के लिये दी गई राशियों के अतिरिक्त व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिये भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग का अधिकार देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr Deputy Speaker ***in the Chair*** }

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"क खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill

खण्ड 1

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4, में—

"Appropriation (Railways) No. 2 Act, 1967:-

[विनियोग (रेलवे) संख्या 2 अधिनियम, 1967] के स्थान पर Appropriation (Railways) No. 3 Act, 1967 [विनियोग (रेलवे) संख्या 3 अधिनियम, 1967] शब्द रख दिये जायें।

[श्री चे० मु० पुनाचा]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Th Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप से पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

व्यक्तिगत मासिक व्यय सीमित करने के हेतु समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: APPOINTMENT OF COMMITTEE FOR RESTRICTION OF INDIVISUAL MONTHLY EXPENDITURE

श्री शशि रंजन (पपरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अध्याय चौदह के अन्तर्गत अनियत दिन वाला प्रस्ताव रखा गया है। इसके बारे में विशिष्ट नियम है.......

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। परन्तु पहले डा० राम मनोहर लोहिया को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिये। इसके बाद ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

Dr. Ram Manohar Lohiya (Kannauj) : It has been provided in the motion that there should be a restriction on the expenditure and the money saved as a result thereof should be spent for the development of country.

श्री शशि रंजन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए। भाषण के पश्चात भी वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : After my speech I will put the motion.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

Dr. Ram Manohar Lohia : I beg to move :

"That this House resolves that the Government should appoint a committee to work out the proposals for restricting individual monthly expenditure to Rs. 1500/- in order that Rs. 1,000 crores may annually be made available for ivestment in developmental work."

श्री शशि रंजन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया के भाषण के पश्चात ही माननीय सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जायेगी।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह प्रस्ताव संविधान के गैर-सरकारी सम्पत्ति तथा आय सम्बन्धी उपबन्धों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात की जांच की है। इस प्रस्ताव से संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता। यह प्रस्ताव आयकर नीति के बारे में है। और माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को अपने अधिकारों के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री शशि रंजन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि डा० लोहिया द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अध्याय चौंदह के अन्तर्गत आता है । प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये उस अध्याय में कुछ विशिष्ट नियम दिये गये हैं । एक उपबन्ध यह है कि प्रस्ताव को इस उपबन्ध में दी सभी शर्तें पूरी करनी चाहिये । परन्तु यह प्रस्ताव दो शर्तों को पूरा नहीं करता है एक शर्त यह है कि सभा के सामने उठाई गई चर्चा को उसी सभा में पुनः नहीं उठाया जा सकता । डा० राम मनोहर लोहिया ने 7, जून 1967 को आयव्ययक पर बोलते हुए कहा था

"There should be a restriction on the expenditure. I do not mind, however, it is imposed by passing an Act or by Income Tax. In the present day circumstances of India I do not want that anybody should be allowed to spent more than 1500 rupees. According to that principle the hon. Finance Minister will probably get twelve to thirteen hundred rupees including all facilities. If the restriction on expenditure is imposed then according to my claculations there will be a saving of fifteen hundred rupees. The people will be astonished to listen this thing but it is a fact."

इसका अर्थ यह है कि इस मामले पर इस सत्र में पहले चर्चा हो चुकी है । इस नियम के अन्तर्गत भी इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती हैं । दूसरा नियम जिसके अन्तर्गत इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकती यह है कि प्रस्ताव किसी हाल ही की घटना से सम्बन्धित होना चाहिये । यह प्रस्ताव इस शर्त को भी पूरा नहीं करता । अतः इन परिस्थियों में प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर पहले चर्चा नहीं की गई है, सामान्य आयव्ययक तथा वित्तीय मामलों पर चर्चा के दौरान नीति सम्बन्धी किसी भी मामले पर चर्चा की जा सकती है । इससे किसी सदस्य को विंशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Although 92 percent of the income is taken away in form if income-tax from the people and there are other taxes such as wealth tax and expenditure tax yet the necessary results are not forthcoming. I. therefore, suggest that tax should be imposed on the source. Restrictions should be put on the expenditure on luxuries. There are, at present, about 4 lakh private motor-cars in the country. Suppose each car involved an average expenditure of 500 per month and if their use is banned it will bring of Rs. 250 crores,

We are living in the conditions of scarcity and that must by shared by all. Unless we, too, share that conditions we cannot ask the common man to observe auterity, so, we must set an example. People ruling the country cannot ask the people to tighten their bealts while living luxuriously.

In this connection I would also like to say that there are about 10 million Government servants in the country. According to my estimate out of these about 30 to 40 lakh persons are surplus. Even if I reduce this figure to 20 lakh there can be a saving of Rs. 300 crores. They are not doing any productive works. They are simply pen-pushers. They are there in their present posts as a result of nepotism and corruption. They should be put on 600 productive jobs which will benefit the country also.

Increased dearness allowance is no solution for risi g prices. Instead restrictions should be put on the estentations living of the certain classes.

Only 1½ lakh families are taking away nearly 1000 crores. If any formula of putting restrictions as the expenditure is applied if could be reduced to nearly to Rs. 210 crores and the saving Rs. 750 crores thereby.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को 20 मिनट से अधिक का समय नहीं दे सकता । अतः वह अपना भाषण दोपहर एक बजे तक समाप्त कर दें ।

Dr. Ram Manohar Lohia : It is absolutely necessary to regulate the relationship between the capitalist, the bureaucrat and the Minister. To put a limit on the salaries of the bureaucrats and the Minister will be no use as they are open to temptations shown out by the capitalists around them. The world of temptation must be taken away if we wants that they should work with honesty and the conditions to improve.

We should not culculate the expenditure on the ministers just by salaries they get. All facilities available to them should be counted. It will, then, comes to Rs. 1,00,000 per year. Similarly the expenditure on Prime Minister and President will come to nearly Rs. 1 crore per year on each of the two incumbent.

Atleast for twenty years a limit should be put on the expenditure. Thereafter on becoming the country prosperious it can be lifted.

According to my rough estimate Rs. 4,000 crores to 10,000 crores will be needed for providing necessary facilities for irrigation. Unless we live in austerity this money cannot be provided. Alongwith that we should also see that money is not invested in the nylon. Terelyen other such luaxurious factories. Car producing factories should be converted into tractor and pump producing factories.

A qaestion is now being asked as to why the banks and industries are not being nationalised. They may the public sector undertakings are now being managed. I think there is no difference between Rourkela and Jamshedpur. They have become the centre of corruption and nepotism.

In this connection I would also like to say that public schools throughout the country should be abolished. Uniform system of schools should be established. That will bring a saving of about Rs. 60 crores to Rs. 100 crores.

Such an atmosphere were the people may not have advance for property should be created.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार को व्यक्तिगत मासिक व्यय 1500 रुपये तक सीमित करने के हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ताकि विकास कार्य में लगाने के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया जा सके ।"

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair.* }

Dr. Sushila Nayar (Jhansi) : There cannot be too opinions about the fact that our country is passing through serious enonomic crisis and we sould therefore save as much as possible and invest the same for national reconstruction. But I am doubtful whether the measures suggested could be proved effective. For instance Motor Cars cannot be taken away because no one would like to go about by the bullock carts. After all Jouranlists, Dectors. Member of Parliament and many others have to go to various places in the interest of society and if cars are to be maintained, the expenditure is found to be incurred. I would, suggest that cars should be manufactured at the cheaper rates. Moreover if cars are taken away thousands of people working in this industry would become unemployed. These people will create new problems. It will be very difficult for them to earn their livelihood. Morever, there is great hue and cry if any retrenchment is made.

I agree that there should not be any ostentations spending. There should be no objection in the investment of money in productive schemes. We should not invest for the production of nylon and terelene.

If some parents can afford to manage better education for their children by living austerely themselves, there should not be any objection.

I would seek the cooperation of opposition to enforce prohibition throughout the country. We can save Rs. 50 crores by way of enforcing prohibition.

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : प्रस्तावक का यह कहना है कि यदि व्यक्तिगत खर्च में कमी की जाये तो प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है जिसे उत्पादक उद्यमों में लगाया जा सकता । परन्तु यह बात मानवीय प्रकृति के विरुद्ध और बिल्कुल गलत है क्योंकि यदि ऐसा कोई कार्य किया गया तो देश में पूंजी लगाने और बचत करने के सभी प्रकार के प्रोत्साहन समाप्त हो जायेंगे । जो थोड़ी सी बचत देश में होती है, वह भी नहीं होगी । प्रस्तावक ने काफी पूंजी निर्माण करने की बात कही है, शायद उनका विचार इस धनराशि को सिंचाई और कृषि में लगाने का है । परन्तु पूंजी निर्माण का कार्य आपत्तिजनक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं किया जा सकता ।

पूंजी का निर्माण करों सरकारी ऋण या घाटे की अर्थव्यवस्था या विदेश सहायता से हो सकता है । करों का पहले ही भारी बोझ है और ऋण भी काफी मात्रा में लिया जा चुका है । पूंजी निर्माण के इन चारों स्रोतों पर पहले ही इतना बोझ है कि उनमें अब और

आगे गुंजाइश नहीं है। फिर अब व्यक्तिगत उद्यम और निजी बचत में बाधा डालने से क्या प्रयोजन है ?

यदि किसी को स्वेच्छा से खर्च करने की अनुमति नहीं होगी तो अधिक कार्य करने और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन कहां रहेगा। डा० महलानोबिस ने आय वितरण सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि रूस सहित अन्य कई विकसित तथा कम विकसित देशों की अपेक्षा भारत में आय की असमानता अधिक नहीं है।

यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो आयकर अधिकारियों को डराने धमकाने की बहुत अधिक शक्ति मिल जायेगी। वे किसी भी घर में जाकर पूछ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अनाज, बच्चों की शिक्षा, यात्रा, मनोरंजन सिनेमा आदि पर कितना खर्च करता है। इस प्रकार की कार्यवाही से देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और छिपे हुए धन को कम करने के बजाय उसमें और भी वृद्धि होगी। क्या मैं डा० लोहिया से पूछ सकता हूँ कि जिन राज्य सरकारों में उनका दल सहयोग दे रहा है वहां खर्च में कमी की गई है ? यदि वह मूल्य वृद्धि के लिये प्रयास करें तो हम उनके साथ हैं। परन्तु यह एक अव्यवहारिक प्रस्ताव है। इससे व्यक्तिगत प्रेरणा तथा उद्यम का अन्त हो जायेगा। इसलिये हम उनका साथ नहीं दे सकते।

Shri Amrit Nahata (Barmer): I appreciate the spirit behind this motion but I do not treat this motion as panacex for all the ills of our country. Even if we put a curb on the expenditure and save huge amounts, there is guarantee for us that amount will be invested for the reconstruction of the country.

I do not agree that there will be no initiative for an individual if a limit on expenditure is fixed. But the point is that even if a ceiling on expenditure is fixed, people would earn just for the sake of earning and they would not invest for the sake of further production. The real trouble is that there is a paralell currency in the country and no one knows its exact figure. This black money is the real source of ostentatious living. I want that there should be ceiling on urban income. We should resort to demonetization and check tax evasion only then the prices can come down.

Shri A.B. Vajpayee (Balrampur) : I support the motion moved Dr. Ram Manohar Lohia. It has been suggested that a limit on individual expenditure should be fixed and a committee should be set up to go into all other aspects relating to it. This is a constructive suggestion and should therefore, be accepted. The committee prepared to be set up might suggest the limit of expenditure by an individual and might also suggest the problems arising therefrom. But the question is whether the House is in favour of expenditure on luxuries or not ? There is great disparity between rich and the poor. The discontented elements among the public can jeopardise the democracy itself. If this gap between incomes is not narrowed down there will be serious political and social consequence. In view of the circumstances the question of fixing a limit on expenditure is worth consideration.

The country is facing serious economic crisis. In order to avert this crisis we have to increased our production, resort to austerity in consumption and equal distribution. If the capitalists of India will not read the writing on the wall, and if they will not change themselves according to the changing times, they will suffer.

My submission is that Dr. Lohia has not sought to limit income and therefore the question of disminishing the incentive does not arise. But the amount should not be spent in unproductive manner and something should be done to curtail the expenditure by an individual.

Shri Kamalnayan Bajaj (Wardha) : I welcome the spirit behind this motion. Luxurious living is harmful from the individual and society both. But the question before us is that how to increase our national wealth and how to invest it in the production manner. At the same time we should not indulge in luxurious living. In order to achieve this object an atmosphere of restraint and sacrifice in the society is necessary. This can not be achieved by graming laws only. We should therefore create moral and spiritual environments which would help us in achieving this object.

We should think of banning the motor cars only when there is efficient bus service. We should create an atmosphere in which a man leading luxurious life did not command any respect.

In case motor cars are banned, it may tell on the efficiency of essential services. Many engineers and doctors may not be in a position to attend to their work properly. We should try to increase our efficiency.

श्री कन्डप्पन (मैंटूर) : डा० लोहिया ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं बहुत से माननीय सदस्यों ने उन द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर आवश्यकता से ज्यादा ध्यान दिया है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा था कि जिस डाक्टर के पास कार नहीं होगी उसे बड़ी विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ेगा और डा० लोहिया ने कहा था कि उसके पास कार नहीं होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि उनका इरादा यह नहीं हो सकता कि उसके पास कार नहीं होनी चाहिये। इसके साथ ही साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि मान लीजिये हम जम्बो जेट नहीं लेते हैं और इसकी बजाय यह रकम अनाज के उत्पादन पर खर्च कर देते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह देश अधिक प्रसन्न होगा और इसकी प्रतिष्ठा विदेशों में बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यह प्रस्ताव इसी भावना से प्रस्तुत किया गया है।

यह प्रस्ताव इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है ताकि यह देखा जा सके कि समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की आय में जो अन्तर है उसे दूर करने के लिये कुछ कदम उठाये जायें। सरकार के पास जो सामग्री है उसे उससे यह समझ लेना चाहिये कि स्वतन्त्रता के पश्चात गरीब अधिक गरीब हो गए हैं और अमीर अधिक अमीर हो गए हैं। पिछली लोक सभा में डा० लोहिया द्वारा दिये गए वक्तव्य के अनुसार निम्न श्रेणियों के लोगों की प्रति दिन की आय $3\frac{1}{2}$ आने हैं। अगले दिन श्री नन्दा जो उस समय गृह मन्त्री थे उन्होंने कहा था कि $3\frac{1}{2}$ आने नहीं $7\frac{1}{2}$ आने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह एक रुपया भी है तो क्या है। अतः सरकार को अपने व्यय में कटौती करनी चाहिये। केन्द्र को अपने रवैये और अपनी मूलभूत नीतियों में आमूल परिवर्तन करने चाहिये। सरकार को अर्थव्यवस्था ऐसे ढंक से सुव्यवस्थित करनी चाहिये कि निम्न स्तर के लोगों को अब जो कुछ मिल रहा है उससे अधिक मिले। इस दिशा में मद्रास की द्र० मु० क० सरकार ने लोगों के हित के लिये कुछ काम किया है।

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा । पूंजीवादी देशों में भी न्यूनतम आय वर्ग और अधिकतम आय वर्ग के लोगों की आय और व्यय में भी कुछ अनुपात होता है । परन्तु हमारे देश में कोई उचित अनुपात नहीं है। हमारे यहां भी कम से कम कुछ अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिये । सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि जनसाधारण का नैतिक साहस बढ़ाया जाय । नैतिक पतन हो रहा है और हम नौकरशाह लोगों को आडम्बरपूर्ण जीवनयापन करने के लिए अधिक व्यय करने देते हैं ।

यह प्रश्न उस समिति को सौंपा जाना चाहिये जो इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करे और एक उचित समाधान निकाले ।

Shri Yogendra Sharma (Bagusarai) : I support the motion moved by Dr. Ram Manohar Lohia. This motion reflects the desire of the common man. The basis factors of his resolution and swedeshi, moderate and equality. The question is whether we can progress by giving up the swedeshi which was the backbone of our struggle for independence. It is the ridicule of the Swedeshi which is responsible for the ostentations and luxurious living.

Our greatest problem is the problem of economic disparity. This disparity is not only standing in the way of the economic progress of our country but stulifying the very soul of the country. If we want to protect independence and integrity of our country we will have to put an end this disparity. There are a number of persons in our country who have rested interest and who would not allow the efforts of bridging this disparity to succeed. If Dr, Lohia wants to achieve this object therefore he would have to be prepared for a severe struggle. This widening disparity would end in reovlt. Another way to remove this disparity is to restrict expenditure and in order to do this it is necessary to limit the income also. I suggest that Privy purses be abolished. Banks be nationalised and concentration of wealth be stopped. Unless it is done expenditure can not be restricted.

A committee should be appointed to consider all these things mentioned by Dr. Lohia. Hence I support this motion,

Shri Sho Narain (Basti) : Sir, the motions moved by Dr. Lohia is commendable because a suggestion has been given therein to restrict the expenditure incurred by Government officers who have been speaking so levishly. Hence I support his motion. The question is when twenty-seven crore persons of our country can live when their per capita income is four annas per day why can't our officers live when they get Rs 1000. We are followers of Mahatma Gandhi and twe have to bring socialism in our country. The congress has accepted the principle of socialism and wants to establish a socialistic society. Therefore what is required is efforts to achieve that objective. With these words I support this motion.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मेरे मित्र श्री मसानी प्रोत्साहन की बात कर रहे थे । उन्होंने कहा था कि यदि इस संकल्प को लागू किया गया तो पूंजी लगाने में लोगों का प्रोत्साहन जाता रहेगा । मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है । संकल्प में आय-कर पर सीमा लगाने की बात नहीं कही है उसमें तो केवल व्यय पर सीमा लगाने के लिए मांग की गई है ।

पूंजीवाद के विकास के युग में अंग्रेजों ने कहा था "कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है"। जितना भी अधिक कोई ईमानदार होगा उतना ही उसका व्यापार बढ़ेगा परन्तु आज जिन स्थितियों में हम विकास कर रहे हैं उनमें जितना अधिक कोई बेईमान होगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। इसी कारण हमारे देश के पूंजीवाद विकास कर रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इस कानून को लागू करना बड़ा कठिन होगा। फिर भी मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है जिसकी वजह से कांग्रेस इसका विरोध करे। कांग्रेस के सदस्य इसका समर्थन कर सकते हैं और श्री मोरारजी तो इसे सरकारी तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी न भी हाल में आय की सीमा निर्धारित करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यदि उन्होंने आय पर सीमा निर्धारित करने के लिए संकल्प पास किया है तो इस संकल्प में तो केवल व्यय में कमी करने के उद्देश्य से किसी योजना बनाने की सम्भावना के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति बनाने की मांग की गई है। इसलिए सरकार को इस मामले की जांच करने के लिए संसत्सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस संकल्प में केवल समिति नियुक्त करने की मांग की गई है जब वह अपना प्रतिवेदन देगी तब हम देख लेंगे कि क्या करना चाहिए। अतः इस संकल्प को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री दिनकर देसाई (कनारी) : स्वतन्त्र दल के मेरे मित्र श्री मसानी ने कहा था कि व्यय पर रोक लगाने से लोगों का प्रोत्साहन जाता रहेगा। मैं आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ परन्तु मैं इस सभा को यह अवश्य कह सकता हूँ कि कैम्ब्रेज विश्वविद्यालय के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ प्रो० कालडर जो कुछ वर्ष पहले भारत में आये थे उनका यह विचार था कि भारत जैसे देश में धनवान लोगों के व्यय में कमी करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि हमारे देश में आम लोग तो इतने गरीब हैं कि वे कुछ नहीं बचा सकते हैं। अतः व्यय पर रोक लगाने से प्रोत्साहन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई फर्क पड़ता होता तो प्रो० कालडर जैसा व्यक्ति ऐसा सुझाव न देता।

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी व्यय पर रोक लगाई जानी चाहिये। आजकल हमारे देश में बड़ी भारी आर्थिक विषमता है। एक ओर तो लोग भूखे मरते हैं और दूसरी ओर लोग विलासता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही कारण है कि जनसाधारण काम करने में दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि उसे पता है कि यदि वह अधिक परिश्रम करेगा तो भी पूंजीवाद मुनाफा ले जायेंगे। अतः यदि व्यय पर रोक लगा दी जाए तो इसका जनसाधारण पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा पड़ेगा। यह जानते हुए कि वह जितना उत्पादन करेगा वह देश के विकास के लिए पूंजी निर्माण में सहायक होगा, वह अधिक परिश्रम करेगा।

मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि एक ओर भूख और दूसरी ओर विलास चलता रहा तो देश में क्रान्ति हो जाएगी। जो कुछ चीन में हुआ था वह यहां भी हो सकता है।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को व्यक्तिगत व्यय पर रोक लगाने के प्रश्न की जांच करने के लिये समिति बनाने के सुझाव को अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I welcome the motion moved by Dr. Ram Manohar Lohia. This is the first time that he has moved a motion which is very meaningful. The spirit behind this motion is that the basis needs of every person such as the food, cloth, housing, medical facilities etc. must be met. This is a question of social change and I being a socialist welcome it. At the same time I would like to say that this is the ideal of congress party too. It would, therefore, be better if the mover of this motion, Dr. Ram Manohar Lohia, tries to achieve this common objective with the cooperation of the congress party.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : डा० लोहिया ने अपने प्रस्ताव में यही कहा है कि व्यय पर सीमा लगाई जानी चाहिये। यदि सीमा लगाने के लिये तत्काल तरीके नहीं हैं तो व्यक्तिगत मासिक व्यय पर रोक लगाने के लिए सुझाव देने वाली एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। व्यक्तिगत मासिक व्यव की 1500 रुपये सीमा काफी अधिक है क्योंकि औसत 330 अथवा 380 बैठती है। भारत में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 1500 रुपये मासिक व्यय कर सकते हैं। केवल शोषक ही इतना धन व्यय कर सकते हैं। शोषकों के अलावा किसी के पास इतना धन नहीं होता जो वह व्यय कर सकें। विदेशी शोषक जाने के बाद अब दूसरे शोषक उत्पन्न हो गये हैं। इस शोषण को रोकने के लिये लोगों के दिमाग में क्रान्तिकारी विचार आ रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तो देश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसे हममें से बहुत से लोग न चाहते हों। अतः मैं सरकार और कांग्रेस दल से पुनः निवेदन करूंगा कि वे इसे अवश्य स्वीकार करें।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं अकसर डा० राम मनोहर लोहिया की बात से सहमत नहीं होता हूँ और इस मामले में भी मैं समिति की नियुक्ति के विरुद्ध हूं। कौन जानता है कि सरकार इस प्रस्ताव को मान ले। यह प्रस्ताव एक खतरनाक प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव बहुत अधार्मिक भी है। ईसामसीह ने कहा था कि स्वर्ग गरीबों के लिये है अमीरों के लिए नहीं। हमारे धर्मग्रन्थ भी यही कहते हैं कि धन सम्पत्ति का होना एक खतरे की निशानी है। इसलिए यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि धनवान लोगों को और अधिक धनवान और गरीब लोगों को और अधिक गरीब क्यों न होने दिया जाये जैसाकि यह सौभाग्यशाली सरकार इस समय कर रही है।

मुझे किसी प्रकार की क्रान्ति होने का कोई भय नहीं है क्योंकि यहां की जनता बहुत निर्धन है। वह कभी क्रान्ति नहीं करेगी क्योंकि उसे इतना दबा कर रखा गया हैं कि उसमें ईर्ष्या करने की क्षमता नहीं है। हम देख चुके हैं कलकत्ता में लोग भूख से मर गए किन्तु उन्होंने खाद्यानों से भरी हुई दुकानें नहीं लूटी और न किसी प्रकार की क्रान्ति ही की। इस देश की जनता में किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। इस देश के लोग अपने प्राण दे देंगे किन्तु वे उस वस्तु पर हाथ नहीं लगायेंगे जिसे वे अपना नहीं समझते हैं। वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और सदा सन्तुष्ट रहते हैं। अतः मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Morarji Desai) : I am staunch supporter of democracy. I agree with the basic intention of the mover of this motion but I am not in favour of appointing a committee for this purpose as proposed by hon. Member. I wish that wasteful expenditure should be curbed in over country. Everybody should get two square meals, clotes, house and education and also should lead a decent life. Disparity from the society should be removed. Nobody should have a monopoly of wealth. Wealth should not be allowed to concentrate in few hands. Every citizen of this country should have a standard of life, according to the work done by him. These objectives can, however, hardly be achieved by the methods suggested by the hon. Member in his motion. To accept the suggestion for appointing a committee for this purpose would only be building a castle in the air. Had it been a worthwhile and concrete suggestion I would have gladly accepted it.

The hon. Member Dr. Lohia has stated in his motion that by limiting the expenditure to rupees 1,500 a month a saving of rupees 1,000 crores can be effected. I do not think that that much saving can be possible if expenditure is limited to this extent. According to my calculation we can save only 25 crores. There are 26 lakh people who pay income-tax. Of these the income of 25 lakh is less than rupees 40,000 a year. A person, with an income of rupees 40,000 is left with rupees 18,000 for expenditure. There are 20,000 companies and 23,000 firms and rest are 22,700 individuals. Out of these there are about 20,000 people whose income is between rupees 40,000 and 1 lakh. Those who earn more than rupees one lakh are 2,700 in number. Out of an income of rupees one lakh the Government take away as much as rupees 92,000, by way taxen and only a sum of rupees 8,000 is left with these people. By making all these calculations it will be found that only less than rupees 50 crores can be saved by limiting the income and expenditure to the limit of rupees 1,500 per month as suggested by the hon. Member Dr. Lohia.

There would be a very few agriculturists having an income more than rupees 40,000. I think in any case we cannot get more than 2 to 4 crores rupees from them.

Government had imposed expenditure tax on an expenditure more than rupees 36 thousands but it was withdrawn because of evasion of tax. We have to consider a matter on its merits and demerits.

Then there is a question of incentive. If 100 per cent tax is imposed nobody will like to earn taxable wealth. If something is left with a person after paying taxes only then he will like to earn. Those who earn money want to spend it also. A restriction on expenditure should not be imposed in a manner that people may stop earning. If people earn, then only we will get taxes.

Dr. Lohia has also stated that there are one crores Government employees. No doubt their is one crores but out of these their will hardly be 10 to 12 thousand employees with an income of more than 18,000 per year. This is a very small number.

I fully agree with Dr. Lohia that there should be a check on wasteful expenditure and control on lavish living. But this objective can be achieved by self-control, No doubt can make the law but it can help only to a certain extent. I have no doubt that income and expenditure will have to be limited in some manner some day. In the meantime the income has to be increased.

I have made the position clear. Dr. Lohia's suggestion to appoint a Committee to work out a scheme for restricting expenditure is not acceptable.

Dr. Ram Manohar Lohia : The Finance Minister has stated that there will not be more than 12,000 Government employee whose income is more than rupees 1,500 per month. But when I talk of income, I mean real wages and not only nominal wages. Various kinds of facilities that the Government employees are getting should also be taken into account while calculating their income because a huge amount of money is spent on these facilities by the Government.

The hon. Finance Minister has also stated that a ceiling on expenditure cannot be practicable without a limit on income. But the motion indirectly suggests a restriction on income also.

There is a relationship between the bureaucracy and the money for long and it must be put an end to if we are to execute our policies property.

There is rupees 15,000 crores worth of gold, silver and diamonds in the country. Some suitable legislation should be framed so that that hidden wealth is brought out and utilised for the development purposes.

Our tax structure is defective and full of loopholes. While the Finance Minister has said that only an amount of rupees 8,000 is left out of rupees one lakh on higher incomes by taking away rupees 92,000 in the form of income tax, our information is that actually those people are left with rupees 50,000 out of rupees one lakh. In the end I again say that this motion should be adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संकल्प करती है कि सरकार को, व्यक्तिगत मासिक व्यय 1,500 रुपये तक सीमित करने के हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि विकास कार्य में लगाने के लिये प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपया उपलब्ध किया जा सके।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

उपाध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 73;	**विपक्ष में 123**
Ayes 73	**Noes 123**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS, BILLS AND RESOLUTIONS

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी ग्यारहवें प्रतिवेदन से, जो 2 अगस्त, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

{ **श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon *in the Chair* }

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 1967

INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) BILL, 1967

(धारा 25 एफ एफ एफ का संशोधन)

(Amendment of Section 25 F F F)

Shri Deven Sen (Asansol) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industrial Disputes act, 1947.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Deven Sen : Sir, I introduce the Bill.

विदेशी सहायता (लेखा संधारण) विधेयक 1967

FOREIGN AID (MAINTENANCE OF ACCOUNT) BILL 1967

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्तियों, संस्थाओं, आदि द्वारा विदेशी सरकारों अथवा विदेशी अभिकरणों से प्राप्त सहायता के लेखे के संधारण के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यक्तियों, संस्थाओं आदि द्वारा विदेशी अभिकरणों से प्राप्त सहायता के लेखे के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कंवरलाल गुप्त : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

INDIAN PANEL CODE (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 309 का संशोधन)

(Amendment of Section 309)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्रीमानजी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री दी० चं० शर्मा : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 21 का संशोधन)

(Amendment of Section 21)

Shri A. B. Vajpayee : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri A. B. Vajpayee : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 352 का प्रतिस्थापन तथा नये अनुच्छेद 359क का रखा जाना)

(Substitution of article 352 and insertion of new article 359 A)

श्री सेक्वीरा (गोवा, दमन तथा दीव) : श्रीमानजी मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सेक्वीरा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 358 का हटाया जाना)
(Omission of Article 358)

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री स० कुण्डू : श्रीमानजी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

श्री स० कुण्डू : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री स० कुण्डू : श्रीमान् जी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 164 का संशोधन)
(Amendment of article 164)

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri O. P. Tyagi : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 311 का संशोधन)

(Amendment of Article 311)

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमान् जी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक 1967

ALL INDIA AYURVEDIC UNIVERSITY BILL 1967

श्री अ० भि० शर्मा (मंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन तथा विकास को पुनरुज्जीवित करने तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में आयुर्वेद विज्ञान के अध्ययन तथा विकास को पुनरुज्जीवित करने तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत सरकार के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री अ० भि शर्मा : श्रीमान् जी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद विधेयक 1967

ALL INDIA AYURVEDIC MEDICAL COUNCIL BILL 1967

श्री अ० भि० शर्मा (भंजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के लिये एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के लिये एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद् के गठन, समस्त भारत के लिये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा रजिस्टर रखने तथा तत्संसक्त विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री अ० भि० शर्मा : श्रीमान् जी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

(Amendment of article 85)

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I introduce the Bill.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मेरा सुझाव है कि नियमों को निलम्बित किया जाये और इस विधेयक को तुरन्त पारित किया जाये।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967–जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967—Contd.

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

(Amendment of Article 368)

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : जहां तक इस देश के लोगों का सम्बन्ध है, श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार मूलभूत अधिकारों में संसद, यदि वह चाहे भी तो परिवर्तन नहीं कर सकती और संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकार शवासत काल के लिये रहने चाहिए। किन्तु इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता। मूलभूत अधिकार भिन्न-भिन्न समाज में अलग-अलग होते हैं। इसलिये उनमें कभी कोई परिवर्तन न करने का अर्थ यह होगा कि हमारे देश के सामाजिक जीवन में परिवर्तन की कतई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के रूप में संविधान में ऐसी कई बातें हैं जो आज केवल निदेशक सिद्धान्त ही नहीं हो सकते और उन्हें न्यायोचित अधिकारों के रूप में मूलभूत अधिकारों में स्थान मिलना चाहिए। उदाहरणार्थ–काम करने का अधिकार अथवा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, इनका उल्लेख निदेशक सिद्धान्तों के रूप में किया गया है और सरकार यदि उन्हें लागू नहीं करती, तो एक नागरिक उन्हें अदालत में लागू नहीं कर सकता। यह स्वभावतः अनिवार्य है कि समाज में ज्यों-ज्यों प्रगति होती जायेगी त्यों-त्यों इनमें से बहुत सी बातों को मूलभूत अधिकारों का रूप देना पड़ेगा।

जब हम सम्पत्ति सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन करने के अधिकार की बात करते हैं तो खतरा यह है कि संसद, का गठन प्रतिक्रियावादी तत्वों से हुआ हो तो, भाषण स्वातंत्र्य, साहचर्य स्वातंत्र्य तथा अन्य कई बातों सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। किन्तु अन्ततोगत्वा हम देश के लोगों पर ही आश्रित हैं। हमें आम जनता पर इस बात का पूरा भरोसा है कि वह ऐसे प्रतिक्रियावादी को इतनी बड़ी संख्या में संसद में नहीं भेजेगी जिससे भाषण स्वातंत्र्य तथा अन्य बातों सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में खतरा पैदा हो जाये, इसका अर्थ यह है कि अन्ततोगत्वा जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होगी।

जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से नहीं चुनी गयी थी सविधान सभा के सदस्य 1935 के संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित किये गये थे, और इस संविधान सभा का गठन एक अत्यधिक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था । इसलिये यह बात समझ में नहीं आती कि संविधान सभा द्वारा बनाये गये मूलभूत अधिकार इतने पवित्र क्यों हैं कि उनमें इस देश के लोग यदि कोई परिवर्तन करना चाहें तो नहीं कर सकते ।

इसलिये उच्चतम न्यायालय के इस नकारात्मक निर्णय का संसद द्वारा अस्वीकार किया जाना जरुरी है । श्री नाथ पाई के प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य एक समर्थकारी संशोधन का उपबन्ध करना है । मैं तो यहां तक मानने को तैयार हूं कि आगे और यह संरक्षण हो सकता है कि यदि मूलभूतों अधिकारों में कोई संशोधन करना हो, तो जनमत संग्रह के माध्यम से पूरी जनता द्वारा उस विशेष संशोधन का समर्थन प्राप्त करना जरुरी है क्योंकि अन्ततोगत्वा जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है न कि वे संविधान निर्माता, जिन्होंने 15 या 20 साल पहले संविधान बनाया था ।

संविधान सभा का गठन उस आधार पर किया गया था जो ब्रिटिश सरकार ने निर्धारित किया था । उसने संविधान बनाया है और संविधान के अन्तर्गत संसद और विधान सभाएं निर्वाचित हुई थीं । वास्तव में जनता द्वारा इस संविधान का समर्थन नहीं किया गया है । अतः हमें इसे इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए । इसलिये भविष्य में यदि हमारे देश के लोग कुछ मूलभूत अधिकारों में और अधिक प्रगतिशील दिशा में परिवर्तन करना चाहेंगे तो जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होगी न कि पुरानी संविधान सभा जो अत्यधिक सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई थी ।

मैं सभी दलों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूँ और सभी के सन्तोष के लिये यह सुझाव देता हूं कि इस पर जनमत संग्रह किया जाये और यदि उसे पूरी जनता द्वारा समर्थन प्राप्त होता है तो तभी सभा उसे स्वीकार करें ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I introduce the Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta : I agree with my hon. friend Shri P. Ramamurti when he says we cannot take the position that fundamental rights are immutable for all times to come and they could not be amended.

As a matter of fact with the growth of Society the conception of fundamental rights also charges and therefore, there is no need to change them. So far as the Bill in question is concerned, I do not support it is it goes against the historic Judgement of the Supreme Court. The Court in its Judgement had not held that the fundamental rights are immutable for all the time to come and they could not be changed. What the Court has said is the Parliament is not competent to change them and a constituent Assembly should be called for the purpose, and it should be elected on the basis of publicopinion. This decision of the Supreme Court will rather strengthen the roots of democracy in the country.

On the other hand, if we accept this Bill it would gradually weaken our democratic structure. If the Parliament is empowered to amend the provision regarding the fundamental rights a day will come when it will assert that instead of two thirds majorty it can be done evenly a simple majority. Such a develovment will endanger democracy and individual liberty. It is, therefor, very essential to abide by the decision of the Supreme Court.

With these words, I request my hon, friend, the mover to withdraw his Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी (होशंगाबाद) : ऐसा लगता है कि 27 फरवरी, 1967 का दिन-जब कि उच्चतम न्यायालय ने तीन लेख याचिकाओं पर अपना स्मरणीय निर्णय दिया था और यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व का दिन बन जायेगा। न्यायाधीश हिदायतउल्ला ने तो अपने निर्णय में यह कहा है कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने के लिये संसद को एक संविधान सभा बुलानी पड़ेगी।

सभा के सामने यह प्रश्न है कि क्या वह मूलभूत अधिकारों में संशोधन कर सकती है या इस प्रयोजन के लिये उसे वह प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिसका सुझाव उच्चतम न्यायालय ने दिया है। यह सर्वमान्य बात है कि हमने ब्रिटिश संविधान अपनाया है और ब्रिटेन में संसद विधायी निकाय भी है और संविधायी निकाय भी। तदनुसार यह संसद भी, विधायी तथा संविधायी दोनों ही निकाय है।

हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है, और यदि हम मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, तो उनमें गतिरोध आ जायेगा और वे निष्प्रभावी हो जायेंगे और यदि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उनका विकास भी नहीं होगा। हमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलना है। संविधान उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों पर भी हमें विचार करना है। समय बदलने के साथ हमें इन निदेशक सिद्धान्तों को संविधान के III भाग में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों का रूप देना पड़ेगा।

संविधान के अनुच्छेद 139, 140 और 142 विशिष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि संसद उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिये वह सर्वोच्च हैं न कि उच्चतम न्यायालय। यह बताने के लिये कि संविधान के निर्माताओं के दिमाग में इस बारे में क्या बात थी, पंडित जवाहरलाल ने संविधान सभा में कहा था कि "कोई उच्चतम न्यायालय और न्याय-पालिका संसद की जो कि सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, सार्वभौम इच्छा के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकते। यदि हम कहीं पर कोई गलती करते हैं उसकी ओर वह हमारा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, किन्तु अन्तत: जहां तक समाज के भविष्य का सम्बन्ध है, कोई न्यायपालिका उसके संसद मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती।

हमारे संविधान के निर्माता चाहते थे कि संविधान इतना विशिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसे बदलती हालतों के अनुकूल न बनाया जा सके। संविधान के मुख्य निर्माता डा० अम्बेदकर ने कहा था।

"This Assembly has not only refrained from putting a seal of finality and infallibility upon this constitution by denying the people the right to amend the Constitution as in Canada or by making the amendments of the Constitution subject to the fulifilement of extra--ordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amending the Constitution."

डा० अलादी कृष्ण स्वामी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भी यही मत व्यक्त किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और सीरवाई जैसे संविधान के मान्यपंडित ने अपनी कान्स्टीट्यूशनल ला आफ इंडिया नामक पुस्तक में इस सम्बन्ध में यह लिखा है:—

"If a law made by Parliament to amend Part III in the exercise of its residuary Power and in compliance with art. 368 in void as contravening art. 13 (2), a law passed by the same Parliament coanvening a Constituent Assembly and authorising it to do that very thing must be equally void. For what Parliament cannot do itself, it cannot authorise another body to do."

इसलिये इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य संसद के इस अधिकार की स्थापना करना है।

श्री कृ० मा० कौशिक (चांदा) : कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा कि संसद सर्वोपरि है और कुछ अन्य वक्ताओं ने कहा कि संसद् सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध व्यवस्था दे सकती है। इन भाषणों में अनेक दोषपूर्ण प्रस्ताव रखे गये हैं और इनका कारण अहम् भावना और आवेग हैं। संविधान के सिद्धान्त की वास्तविक व्याख्या करने में अहम् भावना और आवेग का कोई स्थान नहीं है।

इस विधेयक के प्रस्तुत कर्ता श्री नाथ पाई का कहना है कि मूलभूत अधिकारों के संबन्ध में संविधान संशोधन करने में संसद् की क्षमता तथा शक्यता पर सन्देह व्यक्त किये जाने के कारण उन्होंने ये विधेयक पेश किया है। परन्तु सच तो यह है कि इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां तक मूलभूत अधिकारों का सम्बन्ध है इस संसद् के पास संविधान में संशोधन करने के लिये कोई भी शक्ति नहीं है। इसलिये जिस आशय से यह विधेयक पेश किया गया है, उसका कोई आधार ही नहीं है।

दूसरी बात जो इस प्रस्तुत कर्ता ने कही है, वह है कि संसद् की सर्वोच्चता पर बल देना इस विधेयक का उद्देश्य है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि संसद् बिल्कुल सर्वोच्च नहीं है। हमारा एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान में राज्य के तीनों अंगों को—कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान मण्डल—अपनी सभी शक्तियां संविधान से और संविधान के अन्तर्गत प्राप्त होती हैं। अत: उनमें से कोई भी सर्वोच्च नहीं है। वास्तव में तो संविधान सर्वोच्च है। हमारे विधि मंत्री ने विधेयक के समर्थन में हमारी संसद् ब्रिटेन की संसद् से तुलना की परन्तु वे इस बात को भूल गये कि ब्रिटेन की संसद का कोई लिखित संविधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के प्रत्येक अंग के कर्तव्य बताये गये हैं, इनसे आगे नहीं जा सकते हैं।

श्री नाथ पाई ने आगे कहा कि गोलक नाथ के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय संसद् की शक्तियां कम करता है, इसलिये संसद् के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये यह विधेयक आवश्यक है। जहां तक मूलभूत अधिकारों का सम्बन्ध है, अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि कार्यपालिका अथवा विधान मण्डल संविधान के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का हनन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा यदि उन्होंने अपनी शक्तियों के अनुकूल काम किया है तो वह उसे शक्त्यधीन घोषित करेगा और यदि उन्होंने अपनी शक्ति से बाहर काम किया है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शक्ति बाह्य करा देना सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार किसी की शक्ति कम नहीं करता वह तो केवल संविधान के उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने से रक्षा करता है। इसलिये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस विधेयक को इस कारण पारित किया जाये।

इस विशेष मामले में चर्चा योग्य विषय यह है कि क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संसद् को मूलभूत अधिकारों सम्बन्धी अध्याय में संशोधन करने की शक्ति हैं अथवा नहीं। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि आपको यह अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 368 अपने में पूर्ण नहीं है और यह प्रक्रिया ही निर्धारित करता है और इसलिये इसके द्वारा संविधान के सिद्धान्तों का संशोधन करने का अधिकार संसद् को नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के इन स्पष्ट कथनों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिये इसका उल्लंघन करना और इस प्रकार सर्वोच्च विधेयक प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे हम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर रहे हैं।

श्री नाथ पाई ने अपने विधेयक के पक्ष में दो निर्णय बताये हैं परन्तु गोकल नाथ के मामले में निर्णय वे निर्थक हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 27 फरवरी, 1967 के बाद से संसद् को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

अन्त में उन्होंने कहा कि डा० अम्बेडकर ने जो संविधान के प्रमुख निर्माता थे, स्वयं कहा था कि संसद् द्वारा संशोधन किये जा सकते हैं। डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि "हम संविधान के अनुच्छेदों को तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे अनुच्छेद आते हैं, जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन किये जा सकते हैं। दूसरी पंक्ति में वे अनुच्छेद आते हैं जिनमें दो तिहाई बहुमत से संशोधन हो सकते हैं। यदि भावी संसद् प्रारूपी संविधान के भाग तीन अथवा अनुच्छेद 304 (जो अनुच्छेद 368 के समान है) में उल्लिखित अनुच्छेदों के अतिरिक्त किसी विशेष अनुच्छेद में संशोधन करने के लिये केवल दो-तिहाई बहुमत ही आवश्यक है।" इन शब्दों से स्पष्ट है कि भाग 3 और अनुच्छेद 368 में उल्लिखित अधिकारों का संशोधन संविधान के निर्माताओं के विचार में नहीं था इसलिये यह तर्क भी लागू नहीं होता है। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज न तो नीतिज्ञ और न ही एक कानूनी पंडित के रूप में बोलना चाहता हूं। मैं तो जनसाधारण के प्रतिनिधि के रूप में सामान्य रूप से बोलना चाहता हूं। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में विषयों तथा समवर्ती विषयों के बारे में विधान बनाने में भारतीय संसद् को कोई व्यापक शक्तियां अथवा उन्मुक्त

लाइसेंस देने का कोई संकेत नहीं दिया। अन्यथा उन्हें मूलभूत की संज्ञा ही क्यों दी जाती ? शब्द 'मूल' का कुछ अर्थ है और उसका प्रयोग संविधान सभा द्वारा भलीभांति सोच समझ कर किया था।

संघीय ढांचे के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जनता के मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में संरक्षक का कार्य करना होगा। यह निर्णय देकर कि संसद् चाहे जितनी भी सर्वोच्च क्यों न हो, वह मूलभूत अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती सर्वोच्च न्यायालय ने केवल अपने कर्त्तव्य का ही पालन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से दो बातें सामने आई हैं एक तो "मूलभूत" शब्द का अर्थ तथा दूसरे उनका यह मान लेना कि यदि संसद् मूलभूत अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने के लिये असीमित शक्ति ग्रहण करना चाहती है, तो वह संविधान में संशोधन कर सकती है। उन्होंने एक प्रकार से संकेत दिया है कि संसद् को ऐसा करना चाहिये अथवा नहीं। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि मूलभूत अधिकार पवित्र हैं और उनके साथ खिलवाड़ करने के लिये संसद् को असीमित शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। यदि ऐसा किया गया, तो ऐसे दोषपूर्ण संविधान बनेंगे जैसे कि जर्मनी का वाइमर संविधान, जिससे जनता और देश का पतन होगा।

यदि संसद् सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकार नहीं करती, तो उन दिनों के बारे में सोचिए जब संसद् में ऐसे लोगों का बहुमत हो, जिनके मन में जनता के अधिकारियों के प्रति कोई आदर नहीं है और जो सरकार के अधिकारों को सर्वोच्च मानते हैं। इस प्रकार का दल सभी मूलभूत अधिकारों तथा विधियों को समाप्त कर देगा और देश में वाइमर संविधान द्वारा जर्मनी में पैदा की गई स्थिति के समान स्थिति हो जायेगी।

यह कहा गया है कि संसद् संविधान सभा की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करती है और विधायी शक्तियां और क्षमता, जो चुनावों के माध्यम से जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती है, कहीं अधिक है। किन्तु इन दो अंगों के उद्देश्यों में कोई समानता नहीं है। संविधान सभा मुख्य रूप से संविधान बनाने के निमित की गई थी। इसके विपरीत हमने संविधान के किसी भी अनुच्छेद पर उतनी गंभीरता और व्यापक रूप से कभी भी विचार नहीं किया कि संविधान सभा ने किया। जिसमें डा० अम्बेडकर जैसे संविधान दिग्गज तथा राजनैतिक दलों के उच्च कोटि के पंडित थे।

विधी मंत्री ने संविधान में उल्लिखित निदेशक सिद्धान्तों का महत्व बताने का प्रयत्न किया। ऐसा मालूम देता है कि मंत्री महोदय तथा मंत्रीमण्डल के कुछ अन्य सदस्य आदि जनता के अधिकारों की उपेक्षा निदेशक सिद्धान्तों को अधिक महत्व देना चाहते हैं। वास्तव में मूलभूत अधिकार वे स्पष्ट अधिकार हैं। जिनमें नीति के निदेशक सिद्धान्त सुनिश्चित करना होता है कि वे केवल जारी ही न रहें अपितु सुरक्षित रहें, तथा उनमें वृद्धि हो।

विधी मत्री ने यह भी कहा है कि इस विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपना चाहते हैं, परन्तु इस प्रस्ताव में तीन दोष हैं। प्रथम तो संयुक्त समिति की शक्ति सीमित होती है। दूसरे वह विधेयक के आशय को नहीं बदल सकती है और तीसरे विधि मंत्री ने इस बात की व्याख्या नहीं की कि वे किन बातों को समिति को निर्देशित करना चाहते हैं। मत विभाजन होने दीजिये और हमें अपनी अन्तरात्मा की आवाज को सुन कर मत देना चाहिये। हमें अपने मतदाताओं की राय लेनी चाहिए। यदि दो-तिहाई मतदान इस विधेयक को पारित करने के पक्ष में हों, तो इसे अवश्य पारित कीजिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यदि हम इस प्रकार के विधेयक को पुरःस्थापित करने अथवा पारित करने की अनुमति दें तो इसका परिणाम यह होगा कि संविधान को इस सभा के सदस्यों की दया पर छोड़ दिया जायेगा, जैसे परिस्थितियां बदल रही है, यह सभा केवल बहुमत से ही मूलभूत मामलों के सम्बन्ध में संविधान को निष्प्रभाव कर देगी।

इस सभा को यह विधेयक स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उस भावना के विरुद्ध होगा जिससे संविधान सभा ने सोच समझ कर तथा विचार-विमर्श के बाद इस सविधान को बनाया था।

विधि-मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : विधि मंत्री बीच बोलते हुए यह बता चुके हैं कि सरकार विधेयक में निहित प्रस्ताव से सिद्धान्त रूप में सहमत है। इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का संशोधन भी रखा गया है। ताकि दोनों सदनों के अनेक सदस्य इस पर विचार विमर्श कर सकें और जो सूची तैयार की गई है, उसमें महान तथा प्रसिद्ध न्यायशास्त्री तथा महान कानूनी ज्ञाता हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, जिनके अन्तर्गत संसद् एक कानून बना सकती है, एक नई संविधान सभा बुला सकती है और उसे शक्ति दे सकती है ताकि केवल संविधान के भाग 3 में सम्मिलित अनुच्छेदों में बल्कि संविधान सभी अनुच्छेदों में सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सके, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में सुझाव दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश श्री राव ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अन्तिम मत व्यक्त नहीं किया है और चार न्यायाधीशों ने उनके साथ सहमति व्यक्त की है। लेकिन न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला ने स्पष्ट कहा है कि संसद मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने के लिये शक्ति प्राप्त करने के हेतु एक नई संविधान सभा बुलाने के लिये अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार यह नया अधिकार, चाहे उसे संविधान सभा का नाम अथवा कोई अन्य नाम दिया जाये; 'राज्य' होगा। अनुच्छेद 12 इस प्रकार है:—

"यदि प्रसग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो, तो इस भाग में "राज्य" के अन्तर्गत भारत की सरकार और संसद्, तथा राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधान-मण्डल, तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सब स्थानीय और अन्य अधीकारी, भी हैं।'

मेरा मत यह है कि अनुच्छेद 12 के अर्थों में वह अधिकार "राज्य" होगा। इसके बाद हमें अनुच्छेद 13 (2) देखना होगा, जो इस प्रकार है:

"राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा, जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो और इस खण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उल्लघन की मात्रा शून्य होगी

इस सम्बन्ध में 3 अप्रैल, 1967 को राजस्थान के विद्युत बोर्ड के मामले में दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना चाहूँगा। संविधान में संशोधन करने के प्रयोजन के लिये संसद् द्वारा अधिनियमित विधि के अधीन गठित की गई कोई विधान सभा अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अनुसार "राज्य" होगी, जैसा मैं बता चूका हूँ और जैसाकि सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में बहुमत से दिये गये निर्णय में कहा गया है, संविधान का संशोधन कानून होने के कारण संविधान के भाग तीन में दिये गये किसी मूलभूत अधिकार को छीन अथवा कम नहीं कर सकता। इस बात को देखते हुए उपर्युक्त प्रकार से बताई गई सविधान सभा पर अनुच्छेद 13 (2) द्वारा यह निषेध लगा दिया गया है कि जहां तक ऐसे संशोधन से उपर्युक्त भाग द्वारा दिये किसी मूलभूत अधिकार को ले लिया जाता है अथवा कम किया जाता है, वह संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।

श्री नाथ पाई ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले दिये गये निर्णयों का, शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ तथा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामलों में, उल्लेख किया जहां उन्होंने यह स्वीकार किया है कि संसद् को भाग तीन के किसी अनुच्छेद में सशोधन करने की शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा उसमें दिये गये अधिकारों को छीना गया हो अथवा उनमें कमी की गई हो। पहले दिये गये निर्णयों के निष्कर्ष इस प्रकार निकाले गये हैं कि अनुच्छेद 368 के अनुसरण में बताई गई विधि एक संवैधानिक विधि है और वह अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ में विधि नहीं है। यह निर्णय अब बदल गया है और वे कहते हैं कि सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में संसद् द्वारा बताई गई विधि और उसके संविधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई विधि अनुच्छेद 13 (2) के अर्थ में विधि है। प्रस्तावित संशोधन द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुच्छेद 368 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसरण में संसद् द्वारा बनाई गई कोई विधि अनुच्छेद 13 (2) के अन्तर्गत विधि नहीं है।

एक सुझाव यह दिया गया है कि क्यों न जनमत संग्रह किया जाये अथवा संविधान सभा बुलाई जाये। सविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा के गठन की कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिये उच्चतम न्यायालय में इस पर आपत्ति उठाई जा सकती है। यदि आप संविधान के भाग 20 को देखें, तो उसमें "संविधान का संशोधन" शीर्षक के अन्तर्गत अनुच्छेद 368 लिखित है। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है।

परन्तु इस अनुच्छेद के नीचे एक परन्तुक दिया गया है, जिसमें उल्लिखित अनुच्छेदों का उक्त प्राक्रिया से संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः माननीय सदस्यों के इस सुझाव से कि संविधान का संशोधन करने के लिये नई संविधान सभा बुलाई जाये, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बिजली बोर्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय पहले ही यह निर्णय दे चुका है कि अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत बुलाई गई संविधान सभा राज्य की परिभाषा के अन्तर्गत आयेगी तथा उसे ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा जिसके कारण संविधान के भाग तीन में दिये गये उपबन्धों पर प्रभाव पड़े।

कई अन्य मार्ग भी हैं। परन्तु उन में अनेक कठिनाइयां हैं। अतः श्री गोलकनाथ के मामले में दिये गये निर्णय द्वारा उत्पन्न हुई कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये केवल यही एक मार्ग है। इस निर्णय से इतनी कठिनाइयां पैदा हो गई है कि यदि उस निर्णय को ज्यों का त्यों रहने दिया तो मूलभूत अधिकारों तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में समन्वय स्थापित करना सम्भव नहीं होगा और समाज की उन्नति के लिये तथा देश की आर्थिक प्रगति के लिये राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त नितान्त आवश्यक है।

वर्तमान परिस्थितियों में संसद की अनुच्छेद 368 का संशोधन करने तथा यह स्पष्ट करने की शक्ति प्राप्त है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में परिवर्तन करने वाली विधि अनुच्छेद 13 (2) के प्रयजनों के लिये विधि समझी जायेगी। अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, आपने यह मत व्यक्त किया गया है कि इस विधेयक की चर्चा में सब से अधिक समय लगा है। मैं आशा करता हूं कि विधेयक का महत्व इस बात से नहीं आंका जायेगा कि इस पर चर्चा में कितना समय लगा, बल्कि इस बात से आकां जायेगा कि इससे देश को कितना लाभ होगा।

इस विधेयक के पक्ष तथा विरोध में अनेक माननीय सदस्यों ने ओजस्वी भाषण दिये हैं। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ। माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वे इस विधेयक के उद्देश्यों को पूर्णतया समझने में असफल रहे हैं। मैं माननीय आचार्य कृपालानी तथा डा० राम मनोहर लोहिया का बहुत आदर करता हूँ तथा उनके कथनों का मुझ पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे मैं उनकी बातों से सहमत न हूं। डा० लोहिया ने कहा है कि इस विधेयक की पास करने से देश में हिटलर पैदा हो जायेगा। मैं माननीय डाक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि संविधान का पालन करने से हिटलर पैदा नहीं होता, हिटलर तो समाजिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है।

श्री मसानी के दल के सदस्यों द्वारा भी इस विधेयक की कटु आलोचना की गई है। उनका दल अब प्रवर समिति में शामिल होने को भी तैयार नहीं है।

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : प्रवर समिति में शामिल होने का प्रश्न तो तब उठता, जब हम इस विधेयक को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करते। हमें यह विधेयक सिद्धान्त रूप में मान्य नहीं है, इस लिये हम प्रवर समिति में शामिल होने को तैयार नहीं हैं।

श्री नाथ पाई : कुछ माननीय सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया है कि मैं संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। परन्तु मैं उन माननीय सदस्यों से जो मुझ से इस विधेयक के बारे में सहमत नहीं है, निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं भारत के संविधान का संशोधन करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। भारत के संविधान में संशोधन करने का प्रयत्न तो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया है। यह उच्चतम न्यायालय था जिसने 27 फरवरी, 1967 को चार के विरूद्ध पांच के बहुमत निर्णय से, निर्वचन की प्रक्रिया द्वारा भारत के संविधान में आमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। पहले दो अवसरों पर इसी उच्चतम न्यायालय ने, एक बार सर्वसम्मत निर्णय के तथा दूसरी बार बहुत अधिक बहुमत के निर्णय से यह घोषित किया था कि संसद को मूलभूत अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। 27 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उससे तो भारतीय संविधान का नक्शा ही बदल जाता है। मैं माननीय पिलो मोदी तथा आचार्य कृपालानी से निवेदन करूंगा कि वह इस स्थिति पर गौर करें।

निर्वचन के विषय में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और कानून बनाने के क्षेत्र में संसद् सदैव सर्वोच्च रही है तथा रहनी चाहिये। एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अत्याधिक उत्साही कार्यपालिका द्वारा सम्भव ज्यादतियों पर रोक लगानी चाहिये, परन्तु उन लोगों के आगे बढ़ने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये, जिन्होंने अपने आप को किसी आदर्श के समर्पित कर रखा है। जब उच्चतम न्यायालय ने निर्वचन के अपने वैध क्षेत्र का उल्लंघन किया है तथा निर्वचन की आड़ में संसद् के कृत्यों को हड़पने का प्रयत्न किया है, तो इस प्रयास को रोका जाना चाहिये। मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनादर नहीं कर रहा हूं। जब तक यह निर्णय है, तब तक हमें मान्य है। यह भी हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय हमारे इस संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दे, तब हमें दूसरा उपाय करना पड़ेगा। मेरा सुझाव यह नहीं है कि हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानना चाहिये। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि निर्वचन के मामले में उच्चतम न्यायालय और कानून बनाने के मामले में संसद् सर्वोच्च है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं।

इस बात को स्वीकार करना कि न्यायपालिका का निर्णय सर्वथा सही होता है तथा वह गलती कर ही नहीं सकती सम्भव नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि न्यायपालिका गलती कर ही नहीं सकती। अभी तक हमारे पास ऐसे न्यायाधीश नहीं हैं, जो भगवान हों तथा जिनका निर्णय सर्वथा गलती से परे हो। पिछले निर्णयों को रद्द करते समय उच्चतम न्याया-लय ने स्वयं कहा है कि वे गलत थे। यदि वे निर्णय गलत थे, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि यह निर्णय गलत नहीं है। यह कहना कि पिछले निर्णय-एक सर्वसम्मत तथा दूसरा अधिक बहुमत से, गलत थे, परन्तु चार के विरूद्ध पांच के बहुमत से किया गया यह निर्णय सही है, एक विचित्र सी बात है।

इसके अतिरिक्त मैं उन माननीय सदस्यों का ध्यान जिन्होंने मेरे विधेयक की आलोचना की है, न्यायाधीश वान्चू के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं। न्यायाधीश वान्चू गोलकनाथ के मामले में अल्पसंख्यक निर्णय देने वाले न्यायाधीश थे; आज वह भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। हमें अब यह देखना है कि यदि उच्चतम न्यायालय में कोई याचिका प्रस्तुत की जाती है

और न्यायाधीश वान्चू गोकलनाथ के मामले में दिये गये निर्णय के विपरीत निर्णय देते हैं, तो क्या स्थिति होगी। यदि न्यायाधीश वान्चू निर्णय करते हैं कि गोलकनाथ के मामले में दिया गया निर्णय गलत है और संसद् को मूलभूत अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है, तो फिर हमारा क्या आधार रह जायेगा कि मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह होगा कि संविधान में संशोधन संसद् द्वारा नहीं जिस में भारत की जनता की भावना प्रतिबिम्बित होती है अपितु किसी विशेष समय में उच्चतम न्यायालय में जिस प्रकार के न्यायाधीश होंगे उनकी इच्छानुसार किया जायेगा।

संपूर्ण–प्रभुत्व–सम्पन्नता जनता में निहित है। संविधान में सर्वप्रथम कहा गया है कि "हम भारत के लोग—इस संविधान को अङ्गीकृत करते हैं" इससे यह सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता जनता में निहित है और उसी ने यह संविधान बनाया है। ऐन्थस के काल से यह प्रथा चली आ रही है कि जनता की प्रभुसत्ता का प्रयोग विधान बनाने वाली निकाय जिसे विधान सभा अथवा संसद कहा जाता रहा है, द्वारा किया जाता रहा है। यदि हमने यह स्वीकार किया होता कि हमारी संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है, तो हमने गोआ का महाराष्ट्र में विलय कर दिया होता, क्योंकि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि इस पक्ष में थे कि गोआ का महाराष्ट्र में विलय किया जाये। परन्तु आप जानते हैं कि जनमत संग्रह का परिणाम क्या निकला? अतः मैं कहना चाहता हूं कि संसद् सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नहीं है, अपितु भारत की जनता सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है। संसद भारत की जनता की सम्पूर्ण–प्रभुत्व-सम्पन्नता के न्यास धारी के रूप में काम करती है। यह सम्पूर्ण–प्रभुत्व-सम्पन्नता भारत की जनता को पुनः सौंप दी जानी चाहिये, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसे छीन लेने का प्रयास किया है।

यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये और देश के महान तथा बुद्धिमान व्यक्तियों की राय से लाभ उठाया जाना चाहिये। मैं श्री मसानी से निवेदन करता हूँ कि वह भी अपने दल का सहयोग दें, ताकि इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार किया जा सके।

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : हम प्रवर समिति में शामिल नहीं हो रहे हैं, इस लिये मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना नाम वापस लेना चाहते हैं।

श्री पीलू मोडी : मैंने अपना नाम वापस ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : तो आप एक नया विधेयक पेश करेंगे।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। अब मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सूची में चौथे स्थान पर श्री कवर लाल गुप्त का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने पत्र द्वारा मुझे सूचित किया है कि वह समिति में शामिल नहीं होना चाहते।

श्री पीलू मोडी : मैं भी समिति में शामिल नहीं होना चाहता।

श्री नाथ पाई : श्री गोयल ने मुझे बताया था कि वह समिति में शामिल होना चाहते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : हमने अब निर्णय कर लिया है कि हमारे दल का कोई सदस्य समिति में शामिल नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि भारत के संविधान में अग्रेसर संशोधन करने वाले विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात्:—

श्री र० के० खाडिलकर, श्री आर० एस० अरुमुगम, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री सुरेन्द्र–नाथ द्विवेदी, श्री राम कृष्ण गुप्त, श्री के० हनुमन्तैया, श्री एस० एम० जोशी, श्री कामेश्वर सिंह श्री कृष्णन मनोहरन, श्री दत्तात्रय के० कुण्टे, श्री जे० रामेश्वर राव, श्री वी० विश्वा नाथ मेनन, श्री मुहम्मद यूसुफ, श्री जुगल मण्डल, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री नाथ पाई श्री पार्था सार्थी श्री देवराव शिवराम पाटिल, श्री खगपति प्रधानी, श्री के० नारायण राव, श्री मुहम्मद यूनुस सलीम, श्री आनन्द नारायण मुल्ला, श्री द्वैपायन सेन, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री दिग्विजय नारायण सिंह, श्री सन्त बख्श सिंह, श्री सुन्दर लाल, श्री वी० वाई० तामस्कर, श्री तेन्निटि विश्वनाथम् और श्री पनमपिल्लि गोविन्द मेनन और राज्य सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक–तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

विधि मन्त्री (श्री गोबिन्द मेनन) : मैंने गलती से इस प्रस्ताव के विरूद्ध मत दे दिया है। मैं इसके पक्ष में मत देना चाहता हूँ कृपया इसे ठीक किया जाये।

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : क्या इस प्रस्ताव के लिये कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री लोबो प्रभु : आप इस आधार पर कहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान में ही यह उपबन्ध है मतदान का परिणाम इस प्रकार है:-

पक्ष में 67, विपक्ष में 35

Ayes 67. Noes 35

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1967

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1967

धारा 293 क, 34 आदि का प्रतिस्थापन

(SUBSTITUTION OF SECTIONS 293A, 324 etc)

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy Speaker, I move that the Companies Amendment Bill be taken into consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रस्ताव किया है कि विधेयक पर विचार किया जाय । इसे अगले सत्र में लिया जायेगा ।

---

*वाईकाउंट विमान

*VISCOUNTS

Shri George Fernandes (Bombay South) : I am raising this half an hour discussion regarding the business being carried out by Indian Airlines Corporation. The amount of loss being suffered by the Indian Airlines Corporation is on the increase for the last many years.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फरनेन्डीज कृपया बैठ जायें । घण्टी बजाई जा रही है । अभी भी सभा में गणपूर्ति नहीं है । इसलिये सभा की बैठक को सोमवार, 7 अगस्त, 1967 के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 7 अगस्त, 1967/16 श्रावण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha than adjourned till Eleven of the clock on Monday, August 7, 1967 Sravana 16, 1889 (Saka)

---

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half an Hour Discussion